मंगलवार,
३१ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा (मुज़फ्फर पुर-उत्तर-पश्चिम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का तराई की भूमि (उत्तर प्रदेश) पर बसाया जाना

*१०९०. **श्री बी० के० दास :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल की कितने विस्थापित परिवारों को अब तक जूट-उत्पादन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की तराई वाली भूमि पर बसाया गया है ?

(ख) उनमें से कितने सन् १९५२ में भेजे गये थे ?

(ग) उनको कौन कौन सी पुनर्वास सुविधायें दी गई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ५०० परिवार।

(ख) २८३ परिवार।

(ग) ७ से ८ एकड़ तक भूमि और प्रत्येक परिवार को २,२४० रुपये का ऋण।

श्री बी० के० दास : उन ५०० परिवारों में से जो वहां भेजे गये थे, कितने परिवार वहां से वापस लौट आये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : ८३।

श्री बी० के० दास : वह कठिनाइयां क्या थीं जिनके कारण वह वहां से वापस लौट आये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : यह बताना कि कठिनाइयां विशेष क्या थीं बहुत मुश्किल है। ४१७ परिवार अब भी वहीं रह रहे हैं, शायद इन लोगों को वह जगह पसन्द नहीं आई या वह वहां पर्याप्त परिश्रम नहीं कर सके।

श्री बी० के० दास : क्या यह तथ्य है कि नैनीताल के पास वाले एक कैम्प में, मोहनपुर तराई कैम्प में, ज़मीन बंजर है और कृषि योग्य नहीं है और पीने का पानी ६ मील दूर मिलता है ?

श्री ए० पी० जैन : इस तरह के आरोप लगाये गये हैं, परन्तु मैं उनकी पुष्टि नहीं कर सका हूं। वैसे तराई की भूमि बहुत उपजाऊ है।

श्री बी० के० दास : क्या यह तथ्य है कि परिवारों को, परिवार के सदस्यों की संख्या का कोई विचार किये बिना, अधिक से अधिक २५ रुपया प्रति परिवार दिया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । अधिकतम भत्ता और दान मिल कर ६० रुपये प्रति परिवार हो जाता है ।

श्री बी० के० दास: क्या उनको वही सामान्य दान, अर्थात् १२ रुपया प्रति वयस्क तथा ८ रुपया प्रति अवयस्क, दिया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: यह ठीक है, परन्तु अधिकतम रक़म ६० रुपया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या इन व्यक्तियों को कृषि-करण सहायता भी दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन: ४४० रुपया कृषिकरण पर व्यय हुए हैं ।

श्री टी० के० चौधरी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जब से यह परिवार वहां गये हैं जूट बोने की कितनी फ़स्लें निकल चुकी हैं और इन शरणार्थी परिवारों को जूट की कृषि के मामले में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

श्री ए० पी० जैन: यह परिवार वहां सन् १९५१ में गये थे, और जब से वह वहां हैं, वह अंशत: जूट बो रहे हैं और अंशत: धान ।

इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी को विश्व बैंक से मिला ऋण

*१०९१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि विश्व बैंक ने, जिसने इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी को एक ऋण दिया है, उससे उसकी समय समय पर पड़ने वाली विदेशी विनिमय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उतनी रक़म तक के जितनी उसने बैंक से ली है बन्ध-पत्र जारी करने को कहा है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): जी हां, श्रीमान् । विश्व बैंक और इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के बीच हुए ऋण सम्बन्धी क़रार की शर्तों के अनुसार कम्पनी को, यदि बैंक की ऐसी इच्छा हो तो, जितनी रक़म वह उस ऋण खाते में से निकाले उस सीमा तक के बन्ध-पत्रों को निष्पादित तथा हस्तान्तरित करना है ।

डा० राम सुभग सिंह: इस आयरन तथा स्टील कम्पनी की वह कौन सी विशेषतायें हैं जिनके कारण विश्व बैंक ने उस कम्पनी को अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बन्ध-पत्र जारी करने का अधिकार दिया है ?

श्री बी० आर० भगत: विश्व बैंक के सभी ऋणों में बन्ध-पत्रों की व्यवस्था की जानी एक सामान्य बात है : इसी प्रकार का उपबन्ध भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से लिए ऋणों के सम्बन्ध में किये गये क़रारों में मौजूद है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह बन्ध-पत्र केवल मात्र भारतीय विनियोजकों द्वारा लिये जायेंगे या विदेशी विनियोजकों द्वारा भी ?

श्री बी० आर० भगत: मैंने निवेदन किया कि विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत सभी ऋणों का यह एक सामान्य उपबन्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन बन्ध-पत्रों का हस्तान्तरण केवलमात्र भारतीय विनियोजकों द्वारा किया जाना है या विदेशी विनियोजकों द्वारा भी ?

श्री बी० आर० भगत: वह विश्व बैंक के नाम जारी किये जायेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह: इस बांड पर कोई सूद होगा ?

श्री बी० आर० भगत: इंटरेस्ट (सूद) भी होगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस का रेट (दर) क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : जब बांड मेच्योर होगा उस समय जो बाज़ार की हालत रहेगी उसी हिसाब से सूद भी लिया जायेगा ।

डा० जयसूर्य : प्रदि इन बन्ध-पत्रों का निष्क्रमण न किया गया तो क्या होगा ?

श्री बी० आर० भगत : अभी तक न बन्ध-पत्रों की कोई मांग की गई है और न उनका हस्तान्तरण ही हुआ है । इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

डा० जयसूर्य : इस बात की कल्पना करते हुए कि उनका निष्क्रमण नहीं किया जाता है, तो क्या होगा ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक काल्पनिक प्रश्न है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विश्व बैंक द्वारा जो ऋण इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिया गया है क्या वह उक्त कम्पनी के सम्पूर्ण पूंजी व्यय के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : यह बात इस प्रश्न से संगत नहीं है । प्रश्न का सम्बन्ध केवल मात्र बन्ध-पत्रों से ही है ।

राष्ट्रीय कला निधि कोष

***१०९२. श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५१-५२ में कलात्मक कृतियों को खरीदने के लिए जो धन राशि राष्ट्रीय कलानिधि कोष को स्वीकृत की गई थी क्या वह पूर्णरूप से व्यय हो चुकी है ?

(ख) इस कार्य के लिए सन् १९५२-५३ में कितना आवंटन किया गया था, और उसमें से कितना अब तक व्यय किया जा चुका है ?

(ग) सन् १९५२ में कितने तैल चित्र तथा रेखा चित्र प्राप्त किये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) १८,६०० रुपये की एक रक़म राष्ट्रीय कलानिधि कोष को भारत सरकार द्वारा दी गई है, परन्तु इस रक़म में से अभी तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया है।

(ग) कोई नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि आदिवासियों की जो कला वस्तुयें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, । सारे भारत वर्ष में जो कला की वस्तुयें हैं उन सब को एकत्रित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है । और यह प्रबन्ध सरकार के बजट प्रावीजन (उपबन्ध) से किया जाता है । इस फंड की रक़म को धीरे धीरे इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जाता है जो कि बजट प्रावीज़न से अलहदा है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कांगड़ा क़लम के कुछ दुर्लभ चित्रों को भी खरीदा जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक सुझाव है, और मैं माननीय सदस्य से इस सुझाव को मेरे पास भेज देने की प्रार्थना करूंगा ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों ने इस कोष में कितना अंशदान दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : गत दो या तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों ने कोष में अंशदान दिया है ।

सन् १९५०-५१ में भारत सरकार का अंशदान २५,००० रुपये था और राज्यों का अंशदान १६,००० रुपये था ।

सन् १९५१-५२ में भारत सरकार का अंशदान ११,५०० रुपये था और राज्यों का अंशदान १२,५०० रुपये था ।

सन् १९५२-५३ में भारत सरकार का अंशदान १८,६०० रुपये था और राज्यों का अंशदान १७,००० रुपये था ।

श्री रघुरामय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस कोष में से व्यय करने तथा कलात्मक वस्तुओं को प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने की सरकार की प्रस्थापना है ?

श्री के० डी० मालवीय : भारत सरकार की क्रय समिति सभी प्रस्तावों पर विचार करती है और आवश्यक क्रय करती है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस कोष में से कुछ धनराशि जगत प्रसिद्ध तख्ते ताऊस को वापस लेने के लिए व्यय की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने निवेदन किया अभी तक इस कोष में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया है । इसके लिए प्रथक आयव्ययक प्रावधान है और कलात्मक वस्तुओं का क्रय उसी प्रावधान से किया जाता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या इस फंड में से विदेशों में जो हिन्दुस्तानी कला की चीज़ें हैं उन को भी मंगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और यदि किया गया है, तो उस में क्या सफलता मिली है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । विदेशों में जो हमारी कला की वस्तुयें हैं उनके खरीदने के प्रश्न पर सरकार ग़ौर कर रही है ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह मामला कब तक ज़ेर ग़ौर रहेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इसमें कई दिक्कतें हैं । वह आसानी से नहीं हो सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : रिपोर्ट में यह दिया गया है कि स्केचेज़ (रेखाचित्र) और पेन्टिंग्स (तैल चित्र) इकट्ठे किये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि यह सब चीज़ें कहां रखी गयी हैं नेशनल म्यूज़ियम में या आर्ट गैलरी में ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ठीक से नहीं कह सकता पर कुछ तो नेशनल आर्ट गैलरी में रखे गये होंगे और कुछ म्यूज़ियम में ।

बुनियादी शिक्षा

*१०९३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का विशेष कार्यक्रम ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट के शिक्षा सम्बन्धी अध्याय की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) पंचवर्षीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत एक प्रस्तावना यह है कि बुनियादी शिक्षा की सम्पूर्ण विचारधारा की प्रारम्भिक स्तर से लगाकर स्नातकोत्तोर स्तर (प्रशिक्षण) तक जांच की जाये, कार्य को प्रयोग की भांति करने की कोई उपयुक्त प्रणाली निकाली जाये; और समान शिक्षा के कार्यक्रम के साथ उसे मिलाकर उसका स्थानीय जनता पर पड़ने वाले सम्पूर्ण प्रभाव का अध्ययन किया जाये ।

प्रारम्भिक तथा बुनियादी स्कूलों की अवस्था के सुधारने के लिए राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान दिये जाते हैं।

बुनियादी शिक्षा के प्रसार कार्यक्रम के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना में वर्णित आधार के ऊपर सरकार ने इस बेसिक एजुकेशन के सिस्टम को क्या रूप दिया है और क्या इस सम्बन्ध में राज्यों से भी कोई पत्र व्यवहार हुआ है, और यदि हुआ है, तो उसका क्या नतीजा हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : पिछले साल सरकार ने ११ फ़रवरी को पंचवर्षीय योजना में जो प्राइमरी और बेसिक ऐजुकेशन के सम्बन्ध की योजनायें हैं उनकी ओर सरकारों का ध्यान दिलाया है। विशेषतः मैं आनरेबुल मैम्बर का ध्यान स्कीम नम्बर १ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह तमाम योजनायें शामिल हैं और जिस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने स्टेट सरकारों को पार साल सहायता दी है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : अगले वर्ष के लिए जो १९८ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, तो उसमें से बुनियादी शिक्षा पर कितना व्यय किये जाने की प्रस्थापना है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है परन्तु गत वर्ष कोई ३३ लाख रुपया राज्य सरकारों को दिया गया था।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस कोष में से कितना रुपया राज्यों द्वारा व्यय किये जाने की प्रस्थापना है, और कितना भारत सरकार द्वारा सीधा ही व्यय किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : पांचों वर्षों के लिए नियुत १·९८ करोड़ रुपये में से यह विचार है कि भारत सरकार ३३ करोड़ रुपया व्यय करेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो पत्र व्यवहार राज्यों से सरकार ने किया है उस सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा और केन्द्र की तरफ़ से इसमें कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : केन्द्र की तरफ़ से जो धन व्यय किया जा रहा है उस को तो मैंने अभी बताया। लेकिन यह जो पंचवर्षीय योजना है और बेसिक ऐजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) की जो योजना है उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि यह एक दम से नतीजा नहीं दिखा सकतीं और बहुत जल्द इनका कोई परिणाम नहीं देखा जा सकता। धीरे-धीरे जैसे जैसे यहां उपयुक्त वातावरण बनता जायगा उसी हिसाब से यह योजनायें आगे बढ़ेंगी।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि यह जो योजना है क्या इस को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है या अभी तक इस को सिर्फ़ ऐक्सपैरीमैंटल स्टेज (प्रयोगात्मक स्तर) पर ही रखा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो गवर्नमेंट ने स्वीकार करके ही योजना चालू की है और इसकी सूचना भी स्टेट गवर्नमेंटों को दे दी है। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा इसके लिए क्षेत्रों के चुनाव का आधार उसी प्रकार का है जैसा कि कम्युनिटी प्रोजैक्ट (ग्राम विकास योजनाओं) का आधार प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) की योजनाओं में माना गया है।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बुनियादी शिक्षा के उत्पादक पहलू को अब स्वीकार कर लिया गया है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार बुनियादी शिक्षा की उत्पादक क्षमता के पूर्ण रुपेण विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटों के सम्बन्ध में जांच करने के कार्य को प्रारम्भ करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बात और पूछना चाहता हूं और वह यह है कि क्या इस शिक्षा का प्रारम्भ केवल प्राइमरी शिक्षा तक ही रहेगा या इसको और आगे स्कूल और कालेज में भी चलाया जायगा ? इस सम्बन्ध में अगर सरकार ने कोई रूप-रेखा बनाई हो तो वह बताने की कृपा करें ।

श्री के० डी० मालवीय : जैसा मैं ने अभी कहा, यह शुरू से आखिर तक की शिक्षा में लागू होगी । पोस्ट ग्रैजूएट ट्रेनिंग (स्नातकोत्तर प्रशिक्षण) तक इस शिक्षा का आयोजन किया गया है ।

कज़ाक

*१०९४. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कज़ाक (जिनकी संख्या कोई ४०० थी), जो कि लेह की सीमा की ओर से विस्थापित व्यक्तियों के रूप में आये थे और सन् १९५१-५२ में काश्मीर राज्य में स्थित कैम्पों में रखे गये थे और जिनको उस समय तक वहां ठहरना था जब तक कि उनकी वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती हैं, अब वापस लौट गये हैं ?

(ख) यदि नहीं तो क्या वह अभी तक कैम्पों में हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख)। सन् १९५१ में ३७५ कज़ाक शरणार्थी राज्य में दाखिल हुए थे, उनमें से २५ मर गये हैं, १७२ टर्की और ६ मक्का चले गये हैं । शेष अर्थात् १७२ अभी उसी राज्य में ही हैं--१६८ श्रीनगर में हैं और ४ लद्दाख में हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन में कोई देश के किसी अन्य भाग में भी दाखिल हुए हैं ?

श्री दातार : जी नहीं, उनको देश के किसी अन्य भाग में नहीं भेजा गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई चीनी शरणार्थी भी इन कज़ाकों के साथ आये थे ?

श्री दातार : जी नहीं श्रीमान् ; जहां तक हमारी सूचना है, केवल यही व्यक्ति आये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : उनके इस देश में आने तथा उनके भरण पोषण पर क्या भारत सरकार को कुछ व्यय करना पड़ा है ?

श्री दातार : सारा व्यय केवल भारत सरकार को ही करना पड़ा है ।

सरदार हुक्म सिंह : कितनी रक़म व्यय की गई है ?

श्री दातार : अब तक जो व्यय किया गया है वह ४२, ८२० रु० ४ आ० ९ पा० है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि वह किस राज्य से आये थे ?

श्री दातार : वह तिब्बत से आये थे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इन व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार ने सोवियट संघ सरकार या चीन सरकार की सम्मति ज्ञात की है ?

श्री दातार : मैं प्रश्न समझा नहीं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार ने रूस की सोवियेट संघ सरकार या चीन की सरकार से परामर्श किया है अथवा उनकी सम्मति ज्ञात की है ?

श्री दातार : हमने उन में से किसी की भी सम्मति ज्ञात नहीं की है । यह व्यक्ति राजनैतिक शरणार्थी हैं, और इसलिए उनको यहां पनाह दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वह लोग इसलिए यहां आये हैं क्योंकि और किसी देश में उनको आने की अनुमति नहीं दी गई थी , या इस कारण वह यहां हैं कि वह भारत से बाहर जाने को अनिच्छुक हैं ?

श्री दातार : जी नहीं, श्रीमान् । उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान तलाश करने की कठिनाई थी, और इसलिए अन्त में उन में से कुछ को टर्की में पनाह दिलाई गई, और कुछ को मक्का में । इसलिए वह यहां से, चले गये हैं । जहां तक औरों का सम्बन्ध है यथा संभव उनको अन्य देशों को भेजने के लिए समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये व्यापार स्थान

*१०९५. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए व्यापार स्थानों की व्यवस्था करने के हेतु गत पांच वर्षों में भारत सरकार, दिल्ली राज्य सरकार या दिल्ली नगरपालिका समिति या नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा बनाई गई दुकानों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस प्रकार की कितनी दुकानें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं ?

(ग) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा उन पर कब्ज़ा न किये जाने अथवा एक बार कब्ज़ा करके फिर उनके खाली कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) बनवाई गई दुकानों की संख्या इस प्रकार है :

(१) पुनर्वास मंत्रालय	३८०६
(२) दिल्ली नगर पालिका समिति	२२८१
(३) नई दिल्ली नगरपालिका समिति	१२२९
योग	७३१६

(ख) २२७ ।

(ग) कुछ मामलों में नियमित दुकान का आवंटन हो जाने के बाद भी विस्थापित दुकानदार अवैध रूप से बनाई गई दुकानों में ही रहना पसन्द करते हैं, क्योंकि पहली अवस्था में उसे किराया देना पड़ता है परन्तु दूसरी अवस्था में उसे कोई किराया नहीं देना पड़ता है । कुछ दुकानदार शायद अपनी दुकानों में आ रहे हों, कुछ ने शायद किन्हीं अन्य कारणों से उन पर कब्ज़ा न किया हो ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन अस्थायी इमारतों या लकड़ी की बनी बैरकों में अभी भी कोई ऐसे विस्थापित व्यक्ति इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके लिए दुकानें नहीं हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रश्न को समझा नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या दिल्ली में अभी भी कुछ विस्थापित व्यक्ति ऐसे हैं जोकि व्यापार स्थान की कमी होने के कारण इन लकड़ी की बनी झोंपड़ियों तथा अस्थायी दुकानों में रह रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, ऐसे तो हज़ारों हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं उनकी संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन : कोई ७००० या ८००० ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं उन व्यापार स्थानों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं जिनको बनाये जाने के बाद तोड़ दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : एक भी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : अब तक जो मारकेट बनाये गये हैं क्या उन में से किसी को तोड़ देने की प्रस्थापना है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं माननीय सदस्य के आरोप को समझ नहीं सका हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : आरोप तो कोई नहीं है श्रीमान् । आज प्रातः के समाचार-पत्रों में यह ख़बर थी कि रेल विभाग उस भूमि खंड को वापस लेना चाहता है जिस पर अमृतकौर मारकेट बनाया गया है, और इसलिए उसे तोड़ देने का विचार है । क्या इस में कोई सत्यता है ? आरोप तो कोई भी नहीं था ।

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास इस के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि अधिकांश दुकानदार अपना किराया नहीं दे सके हैं, और किराये की बक़ाया को अव-पीड़क तरीक़ों से वसूल किया जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : बक़ाया वसूल की जा रही है, और वह वसूल की जाती रहेगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन दुकानों के बनवाने पर कुल कितनी रक़म व्यय की गई थी ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पहले जो किराया निश्चित किया गया था क्या उसके सम्बन्ध में कोई झगड़ा था, और क्या इन शरणार्थियों को कोई समझौता होने से पूर्व ही उनकी दुकानों से निकाल दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

उपध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या किराये के सम्बन्ध में कोई झगड़ा है, और क्या उसके सम्बन्ध में कोई समझौता होने से पहले ही उनको दुकानों से निकाला जा रहा है और किराये की बक़ाया को वसूल करने में अवपीड़क तरीक़े काम में लाये जा रहे हैं ।

श्री ए० पी० जैन : किराये के सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण

*१०९६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सन् १९५० में हुए पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में ८०,००० का जो लक्ष्य निर्धा-रित किया गया था क्या उसे प्राप्त कर लिया गया है; तथा

(ख) क्या सरकार ने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया है जो उन व्यव-सायों में, जिनका उनको प्रशिक्षण दिया गया था, लग गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों में से ८०,००० को प्रशिक्षित करने का जो लक्ष्य बनाया गया था, उसमें से मार्च, १९५३ तक कोई ६३,००० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । प्रशिक्षण अभी जारी है ।

(ख) ऐसा कोई अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भी कोई अनुमान है जिनको उनके

प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर स्वतन्त्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण दिये गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं उन स्त्रियों की यदि कोई थीं तो, संख्या ज्ञात कर सकता हूं जिनको प्रशिक्षण दिया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे विचार से इन ६३,००० में से कोई २५,००० या उससे भी अधिक स्त्रियां थीं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही किसी उत्पादक कार्य में भी लगे हुए हैं ?

श्री ए० पी० जैन : वह उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं उन मुख्य व्यापारों तथा व्यवसायों के नाम जान सकता हूं जिन में इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : उनकी संख्या कोई एक सौ से अधिक होगी। विभिन्न प्रकार के व्यापार हैं, जैसे कपड़ा बुनना, लोहे का काम करना, बांस की चीजें बनाना और इसी तरह और भी अधिक व्यवसाय हैं। ऐसे व्यवसायों की संख्या बहुत अधिक है।

त्रावनकोर-कोचीन में अनुसूचित आदिम-जातियों की जनसंख्या

*१०९७. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार त्रावनकोर-कोचीन की अनुसूचित आदिम-जातियों के विकास के लिए कोई आर्थिक सहायता दे रही है, और यदि हां, तो वह सहायता कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी हां, अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की जो विकास योजना राज्य सरकार द्वारा उपस्थित की गई थी उसको कार्यान्वित के लिए सन् १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को २५,००० रुपये अवंटित किये गये थे। अगले वित्तीय वर्ष में इसी कार्य के लिए १ लाख रुपये का आयव्ययक में प्रावधान किया गया है।

श्री पी० टी० चाको : उस राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या क्या है ?

श्री दातार : २०,०००।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या उनमें से अधिकांश पहाड़ी जातियां हैं जो वास्तव में सुरक्षित वनों में रहती हैं ?

श्री दातार : जहां तक व्यौरे का सम्बन्ध है मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार को ज्ञात है कि किस प्रकार से इस धन-राशि को व्यय किया गया है ?

श्री दातार : श्रीमान्, यह धन-राशि राज्य सरकार को मुराम और कुलाम के पहाड़ी भागों की, तथा उन अन्य पहाड़ी भागों की, जिनका हमारे आयुक्त ने दौरा किया था, आदिमजातियों के बसाने की अत्यावश्यक कल्याणकारी कार्यवाहियों के लिए दी गई थी ?

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या राज्य इन व्यक्तियों को कृषि कार्य के लिए कोई सरकारी भूमि दे रही है ?

श्री दातार : इसकी हमें कोई सूचना नहीं है।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए स्वयं राज्य सरकार कितनी अतिरिक्त धन-राशि दे रही है ?

श्री दातार : श्रीमान्, गत वर्ष हमने २५,००० रुपये दिये थे । अगले वर्ष हम १ लाख रुपया दे रहे हैं ?

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि इस धन राशि का कितना भाग शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया है ।

श्री दातार : श्रीमान्, कठिनाई यह थी, जहां तक २५,००० रुपये की रक़म का सम्बन्ध था, उसको केवल एक चौथाई रक़म दी गई थी और उससे रिपोर्ट करने को कहा गया था । उसने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, और इसलिए हम उससे रिपोर्ट प्रस्तुत करने, शेष रक़म को ले लेने की प्रार्थना कर रहे हैं; नहीं तो वह रक़म अतिपन्न हो जायेगी ।

श्री भीखा भाई : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या त्रावनकोर-कोचीन में कोई आदिमजाति परामर्शदात्री परिषद् स्थापित की गई है ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार को विदित है कि इनमें से अधिकांश व्यक्ति गृह विहीन हैं और क्या सरकार उनके लिए घरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री दातार : हमें इसकी कोई सूचना नहीं है । यह राज्य सरकार का कार्य है ।

श्री दामोदर मेनन : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई किन्हीं योजनाओं के आधार पर दिया गया है अथवा क्या यह केवल तदर्थ अनुदान है ?

श्री दातार : जी हां श्रीमान् । योजनायें उपस्थित की जाती हैं और तब अनुदान दिये जाते हैं ।

गणराज्य दिवस पर प्रकाशयुक्त की गई इमारतें

*१०९८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार की उन इमारतों के नाम जिन को सन् १९५३ के गणराज्य दिवस के समारोह के अवसर पर प्रकाशयुक्त किया गया;

(ख) इस कार्य पर हुआ सम्पूर्ण व्यय;

(ग) किस इमारत विशेष को प्रकाश-युक्त किया जायेगा इसका निर्णय किस ने किया था; तथा

(घ) क्या इस कार्य के लिए कोई समारोह समिति है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) राष्ट्रपति भवन के अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय, युद्ध स्मारक मेहराब अर्थात् इंडिया गेट तथा ग्रेट प्लेस तथा प्रिंसेज़ पार्क के फ़व्वारों पर रोशनी की गई थी ।

(ख) दो दिन, अर्थात् २६ तथा २७ जनवरी, १९५३, का व्यय ८,०५० रुपये ।

(ग) गणराज्य दिवस के समारोह के लिए नियुक्त की गई विशेष सहयोजन समिति ने ।

(घ) जी हां । इस के यह सदस्य थे :–

(१) सचिव, रक्षा मंत्रालय

(२) सचिव, गृह कार्य मंत्रालय

(३) सचिव, शिक्षा मंत्रालय

(४) प्रधान मंत्री के मुख्य निजी सचिव

(५) मुख्य आयुक्त, दिल्ली ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि जब इन इमारतों पर रोशनी करने का निर्णय किया गया था तो क्या

संसद् भवन के मामले पर भी विचार किया गया था, और यदि हां, तो उसे छोड़ क्यों दिया गया था ?

सरदार मजीठिया: जैसा कि कुछ दिन पूर्व रक्षा संगठन मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था, कि केवल मात्र मितव्ययता के कारण ही यह सांकेतिक रोशनी की गई थी ।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब क्योंकि सरकार को गणराज्य दिवस समारोह के अवसर पर संसद् भवन पर रोशनी न किये जाने के सम्बन्ध में जनता की और विशेष कर संसद् सदस्यों की मनोभावनाओं का पता है, तो क्या सरकार इस सदन को यह आश्वासन देगी कि जब भी किसी अवसर पर सरकारी इमारतों पर रोशनी किये जाने का कार्यक्रम बनाया जायेगा तो संसद् भवन की उपेक्षा नहीं की जायेगी ?

सरदार मजीठिया : जी हां, श्रीमान् हम इस बात पर तैयार हैं...

श्री पी० टी० चाको : बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न पहले कभी पूछा गया था और इस सदन में उसका उत्तर दे दिया गया था । इसलिए हम सदन का समय क्यों नष्ट करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आश्वासन प्राप्त किया गया है कि संसद् भवन पर भी रोशनी की जायेगी ।

श्री गिडवानी : उत्तर से यह बात उत्पन्न होती है, माननीय मंत्री ने बताया कि मितव्ययता करने के विचार से ही संसद् भवन पर रोशनी नहीं की गई थी । तो क्या रोशनी करने के कार्यक्रम के स्थायी रूप से जारी रखने का विचार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी कल्पनात्मक प्रश्न हैं ।

श्री गिडवानी : पिछले अवसर पर मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में यह कहा गया था कि १०,००० रुपये प्रति वर्ष रोशनी करने पर और २०,००० रुपये संस्थापनाओं पर व्यय किये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: तो माननीय सदस्य और अधिक क्या जानना चाहते हैं ? श्री केलप्पन ।

श्री केलप्पन: क्या कुछ इमारतों पर अभी तक रोशनी की जा रही है ?

सरदार मजीठिया: अब किसी भी इमारत पर रोशनी नहीं की जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर : यदि मैंने माननीय मंत्री की बात को ठीक तरह से सुना है, तो उन्होंने यह कहा था कि प्रिंसेज़ पार्क पर भी रोशनी की गई थी । क्या श्रीमान्, मैं प्रिंसेज़ पार्क में रोशनी किये जाने का कारण ज्ञात कर सकता हूं ?

सरदार मजीठिया : पार्क में नहीं बल्कि फ़व्वारों पर रोशनी की गई थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाएं

*१०९९. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन प्रसिद्ध भारतीयों के नाम जिन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उनकी विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी विषयों में प्राप्त की गई विशेष योग्यताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठायें या पदक दिये गये थे;

(ख) उन विषयों की अत्यावश्यक विशेषतायें; तथा

(ग) उन देशों के नाम जिन्होंने यह मान्यतायें प्रदान की हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) : यह निर्णय करने के लिए कि अन्त-

र्राष्ट्रीय प्रतिष्ठायें तथा पदक वास्तव में कौन से हैं कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई सूचना का देना संभव नहीं है ।

आदिमजाति कल्याण योजनायें

*११००. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ में विभिन्न राज्यों को आदिम जाति कल्याण योजनाओं की कार्यान्विति के सम्बन्ध में प्राप्त हुई सफलतायें;

(ख) सन् १९५३-५४ के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित आदिमजाति कल्याण योजनायें; तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार कुल कितना अंशदान देने की प्रस्थापना करती है और विभिन्न राज्यों को कितना कितना भाग प्राप्त होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६]**

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं श्रीमान् उन राज्यों के नाम ज्ञात कर सकता हूं जिन्होंने सन् १९५२-५३ के लिए आवंटित धन को काम में लिया तथा उन राज्यों के भी नाम जिन्होंने उस रक़म को पूर्णतया या उसका कुछ भाग बिना काम में लाये वापस कर दिया ?

श्री दातार : यह सूचना तो मांगी ही नहीं गई थी ।

बिहार में आदिवासियों का उद्धार

*११०१. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार के आदिवासियोंके उद्धार के लिए किसी विशिष्ठ अनुदान की मांग की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : बिहार सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सन् १९५१-५२ में ३२·० लाख रुपये और सन् १९५२-५३ में २१·८ लाख रुपये के अनुदान दिये जाने की मांग की थी । १५ और १८ लाख रुपये के अनुदान क्रमशः स्वीकृत किये गये थे । अगले वित्तीय वर्ष के लिए २१ लाख रुपये का आयव्ययक प्रावधान किया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या श्रीमान्, उन व्यय शीर्षों को बता सकते हैं जिनके अन्तर्गत इस धन राशि को व्यय किया जाना है ?

श्री दातार : व्यय शीर्ष हैं : (१) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्य को प्रोत्साहन देना तथा (२) अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्तर को राज्य के शेष भाग के प्रशासन स्तर पर लाया जाना ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इन अनुदानों के सम्बन्ध में कोई शर्तें हैं ?

श्री दातार : कोई शर्तें नहीं हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह पूर्ण अनुदान हैं अथवा किस प्रतिशतता के आधार पर हैं ?

श्री दातार : यह अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री मिश्र के प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में यह कहा गया है कि यह अनुदान सामान्य कल्याण कार्यों के लिए था। क्या इसमें कोई उपविभाग किये गये हैं—जैसे इस में से कितना शिक्षा पर व्यय किया जायेगा, कितना स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर व्यय किया जायेगा ?

श्री दातार : मेरे पास यहां ब्यौरा नहीं है, श्रीमान्।

नई दिल्ली में गण राज्य दीवस समारोह पर हुआ व्यय

* ११०२. **श्री पुन्नूस :** (क) क्या रक्षा मंत्री सन् १९५१ और १९५२ में नई दिल्ली में गणराज्य दिवस समारोह पर कुल हुए तुलनात्मक व्यय को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस व्यय का कितना भाग (१) आतिशबाज़ी पर और (२) केवलमात्र रोशनी पर खर्च किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सन् १९५१—१८३६२-६-० सन् १९५२—१८८५७-१०-०।

(ख) सन् १९५१ और १९५२ में आतिशबाज़ी छोड़ी गई थी और रोशनी की गई थी।

श्री पुन्नूस : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि इस धन राशि का कितना भाग विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों को लाने पर खर्च किया गया था ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि मुझे अलग अलग आंकड़े ज्ञात नहीं हैं।

श्री पुन्नूस : क्या यह तथ्य है श्रीमान्, कि त्रावनकोर-कोचीन से एक दल नाव की दौड का प्रदर्शन करने के लिए लाया गया था ?

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य किस वर्ष का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री पुन्नूस : गत वर्ष का।

सरदार मजीठिया : मैं तो सिर्फ सन् १९५१-५२ के सम्बन्ध में उत्तर दे रहा था।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : उक्त समारोह के नाते क्या निर्धनों और गरीबों को भोजन कराया गया था ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वह विभिन्न शीर्ष कौन से हैं जिन पर व्यय किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को विभिन्न शीर्षों के सम्बन्ध में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कुछ धन मिठाइयां बांटने पर व्यय किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। प्रत्येक राज्य अपने गण-तंत्र दिवस मनाता है। मिठाई बांटना जैसी छोटी छोटी बातों के ब्यौरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आयकर अधिकारियों की भरती

*११०३. **श्री सी० आर० इय्युनी :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रेणी २ और ३ के आयकर अधिकारियों को सीधे ही भरती करने की क्या कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि है, तो क्या भाग ख में के राज्यों के उन स्थानापन्न अधिकारियों का, जो केन्द्रीय पुनर्व्यवस्था में लिये नहीं गये थे या स्थानापन्न अधिकारियों के समान स्तर पर नहीं रखे गये थे, कोई ख्याल किया जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए म० सी० शाह): (क) जी हां, श्रेणी २ और तीन के २१५ आयकर अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरती करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) भाग ख में के राज्यों के जिन अधिकारियों को केन्द्रीय पुनर्व्यवस्था में अघोषित पदों पर ले लिया गया है उन को भाग क में के राज्यों के अघोषित अधिकारियों के समान स्तर पर ही रखा गया है। यदि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को अपने प्रार्थना पत्र भेजे है और यदि वह भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो आय कर अधिकारियों, श्रेणी २ और ३ के पदों के लिए उनको भी ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री सी० आर० इय्युनी: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि उन्होंने जो अनुभव अधिकारी के रूप में प्राप्त किया है क्या उसे, उनके प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय करते समय, ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री एम० सी० शाह: कुछ अर्हतायें निर्धारित की गई हैं, और यदि उन में वह अर्हतायें होंगी तो उनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन्टरव्यू के लिये बुलाया जायेगा और आयोग सभी बातों पर विचार करेगा।

श्री सीं० आर० इय्यूनी: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह: मैं अपेक्षित अर्हतायें पढ़कर सुनाये देता हूं । वह हैं :

"बी० ए० या बी० एस० सी० या उसके समान स्तर वाली प्रथम श्रेणी की उपाधि; अथवा कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी० ए० या बी० एस० सी० या उसके समान स्तर वाली आनर्स उपाधि;

अथवा, कम से कम ऐम० ए०, ऐम० एस० सी०, या ऐम० कॉम० की द्वितीय श्रेणी की या बी० काम की प्रथम श्रेणी की उपाधि;

अथवा कम से कम बी० काम० की द्वितीय श्रेणी की आनर्स उपाधि, अथवा···"

उपाध्यक्ष महोदय: और अधिक सूची देने की आवश्यकता नहीं है । यह तो साधारण अधि सूचनायें हैं जो सभी प्रकार के समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं । इस लम्बी सूची को पढ़ कर सुनाने से क्या लाभ ? माननीय मंत्री को उन को पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है । जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है उसे पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है, और उनसे सूचना प्राप्त करना माननीय सदस्य का ही कार्य है ।

श्री अलगू राय शास्त्री: मगर वह प्रश्न स्वीकृत ही क्यों किये जाते हैं जो नोटि-फिकेशन (अधिसूचना) से ताल्लुक रखते हैं ?

श्री वी० पी० नायर: माननीय मंत्री के उत्तर से उत्पन्न होते हुए मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या सरकार को यह विदित है कि अर्हताओं के सम्बन्ध में मदरास तथा त्रावनकोर विश्वविद्यालय उतनी संख्या में प्रथम श्रेणी की उपाधियां नहीं दे रही हैं जितनी कि अन्य विश्वविद्यालय दे रहे हैं और क्या सरकार इस बात का प्रावधान करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति; सदन में और अधिक शान्ति होनी चाहिए ।

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या इस अधिकारी पद ली के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं अपितु सीधी भरती की गई थी ?

श्री एम० सी० शाह: इन २१५ पदों के लिए भरती संघ लोक सेवा आयोग के

द्वारा की जायेगी, और यह प्रश्न भी उसी के सम्बन्ध में है श्रीमान् ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या संघ लोक सेवा आयोग को केवलमात्र प्रार्थना पत्रों को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया है और चुनाव राजस्व पर्षद् द्वारा किया जायेगा ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे विचार से संघ लोक सेवा आयोग ही चुनाव करेगा । वही अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू के लिए बुलायेगा ।

श्री अच्युतन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सेवायुक्त कर्मचारियों तथा बाहर वालों के लिए अभ्यंश नियत किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : कोई अभ्यंश निर्धारित नहीं किया गया है ।

श्री हेडा : अब तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या है और कितना शुल्क प्राप्त हुआ ?

श्री एम० सी० शाह : प्रार्थना पत्रों की संख्या जहां तक मुझे ज्ञात है ८,२०० है । शुल्क के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

त्रिपुरा में स्कूलों को आर्थिक सहायता

*११०४. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा के गैर-सरकारी स्कूलों के अधिकांश विद्यार्थी विस्थापित व्यक्ति हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक स्कूल को इमारतें बनाने के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक स्कूल को प्रति वर्ष कितनी सम्पूर्ण सहायता दी जाती है ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा इन स्कूलों को यह सूचना दी गई है कि विस्थापित विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता मार्च १९५३ से बन्द कर दी जायेगी; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किन आर्थिक संकटों में होकर उनको गुज़रना पड़ रहा है, सरकार इन स्कूलों को चलने देने के लिए क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक स्कूल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी । पर तो भी ऐसे सभी स्कूलों को भवन निर्माण के मद्दे १५,००० रुपये की और विस्थापित विद्यार्थियों को स्कूल शुल्क तथा पुस्तकों सम्बन्धी सहायता के लिए ८१,८१४ रुपये दिये गये हैं ।

(ग) वह सम्पूर्ण सहायता जो ऐसे स्कूलों को दी गई है ३३,३०० रुपये का आवर्त्ती सहायता अनुदान है । प्रत्येक स्कूल को दी गई विशिष्ठ सहायता के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) जी हां

(ङ) विद्यार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को चालू रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या यह तथ्य है श्रीमान्, कि इन माध्यमिक स्कूलों के, अर्थात् नलाज़ी, प्रेच्छाया, बरती और बोरडूल के स्कूलों, भवन निर्माण के लिए अनुदान दिये जाने के लिए बार बार प्रतिनिधान किये हैं ? यदि हां, तो उनको उनके प्रतिनिधानों के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : किस कार्य के लिए प्रतिनिधान ?

श्री बीरेन दत्त : सहायता दिये जाने के लिए ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे श्रीमान् इन स्कूलों विशेष के मामलों का ज्ञान नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि विस्थापित विद्यार्थियों को दाखिल करने के बाद औसत वृद्धि कितनी हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिए ।

खोवई का शशी सरकार डकैती केस

*११०५. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि खोवई के शशी सरकार डकैती केस के इक्कीसों अभियुक्त छोड़ दिये गये हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि सैशन जज ने अपने निर्णय में यह कहा था कि इस मामले में अभियुक्तों से अपराध-स्वीकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की सरकार द्वारा जांच की जानी वांछनीय थी; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस मामले में एक ग़ैर सरकारी जांच कराई जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) निर्देश कदाचित उस डकैती के मामले की ओर है जो १२ जून १९५१ के खोवई नगर से थोड़ी दूर हुई थी। जांच करने के बाद पुलिस ने ५० आदमियों का चालान किया, जिन में से २६ भागे हुए थे । शेष २४ में से दण्डाधीश ने २१ व्यक्तियों को सैशन सुपुर्द कर दिया । इन व्यक्तियों को सैशन जज द्वारा पर्याप्त प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया गया ।

(ख) अपराध-स्वीकरण प्राप्त करने के लिए पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में दिये गये एक वक्तव्य का निर्देश करते हुए सैशन जज ने जांच किये जाने की वांछनीयता का सुझाव दिया था ।

(ग) ज़िलाधीश से मामले की जांच करने को कहा गया है। कोई ग़ैर-सरकारी जांच किये जाने की सरकार कोई आवश्यकता नहीं समझती है ।

श्री बीरेन दत्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या किन्हीं व्यक्तियों को शनाख्ती परेड में ग़लती से शनाख्त किया जा कर महीनों तक जेल में रखा गया और बाद को छोड़ दिया गया ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र इस सम्बन्ध में मुझ से अधिक जानते हैं ; परन्तु वकील होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकार से अभियुक्तों का छोड़ा जाना और उन घटनाओं का होना, जिन की ओर उन्होंने निर्देश किया, दिन प्रति दिन की सी घटना है ।

श्री के० के० बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस और पुलिस प्रशासन के प्रभारी मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार किन्हीं स्वतंत्र स्रोतों के द्वारा जांच कराये जाने की संभावना पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि जब इस प्रकार की डकैतियां पड़ रही हैं तो गांव वालों तथा अन्य व्यक्तियों की गवाहियां क्यों नहीं आ रही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक सामान्य मामला है; जब तक इस देश का प्रत्यक नागरिक अपने कर्त्तव्य को नहीं पहिचानता है, तब तक ऐसा होता ही रहेगा।

खनन तथा धातुकर्म में प्रशिक्षण सुविधायें

*११०६. **श्री मादिया गौडा** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के नवयुवकों को खनन तथा धातुकर्म में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए क्या सुविधायें दी गई हैं ?

(ख) किन विद्यालयों में गत पांच वर्षों में उनको प्रशिक्षित किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री मादिया गौडा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने खनन तथा धातुकर्म के अध्ययन के लिए कोई छात्रवृत्तियां देनी प्रारम्भ की हैं, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने विभिन्न प्रविधिक तथा वैज्ञानिक विषयों के लिये छात्रवृत्तियां देना प्रारम्भ किया है।

श्री मादिया गौडा : मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या उसने खनन तथा धातुकर्म के लिए भी कोई छात्रवृत्तियां दी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सूचना मेरे पास नहीं है, श्रीमान्।

श्री मादिया गौडा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उस के पास इस विषय के लिए कोई विदेशी छात्रवृत्तियां हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : छात्रवृत्तियां प्रविधिक विषयों के लिए दी जाती हैं और शायद खनन तथा धातु कर्म भी उस में है।

श्री मादिया गौडा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विवरण में बताये गये विद्यालयों में जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं क्या वह कोलारस्वर्ण खानों जैसी बड़ी खानों की व्यवस्था करने के योग्य हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं, श्रीमान्।

यूगोस्लाविया द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

*१११०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य ने उस देश में उच्च प्रौद्योगकीय अध्ययन करने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को कुछ छात्रवृत्तियां देने की प्रस्तावना की है ?

(ख) कितने विद्यार्थियों को इन अध्ययन कार्यों के लिए चुना गया है और किन विषयों में वह विशेष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं ?

(ग) इन विद्यार्थियों की संख्या, राज्यवार, क्या है ?

(घ) क्या यूगोस्लाव विद्यार्थियों के प्रति इस प्रकार का कोई अन्योन्य दृष्टिकोण सरकार द्वारा दिखाया गया है, और यदि हां, तो इस समय भारत में अध्ययन करने वाले इन विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) जी हां

(ख) दस, जिन में से दो दो इन विषयों के लिए हैं--

(१) कृषि मशीनों का निर्माण;

(२) धातु कर्म उद्योग; और इन में से प्रत्येक के लिए एक

(३) पोलविंग क्लोराइड तथा/अथवा कास्टिक सोडा बनाना;

(४) विद्युत-इंजीनियरिंग;
(५) खाद्य सुरक्षण;
(६) कांच उद्योग;
(७) प्लास्टिक प्रौद्योगकीय; तथा
(८) सैल्यूलोज़ तथा कागज़ ।

(ग) बम्बई ३
दिल्ली २
सौराष्ट्र १
उत्तर प्रदेश २
पश्चिमी बंगाल २

(घ) मामला विचाराधीन है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : किस भाषा में उन को शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): अंग्रेजी में ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका ज्ञान नहीं है, परन्तु खयाल यही किया जाता है कि वह उसी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे जिसे वह समझते हैं ?

श्री केलप्पन : चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक विभागीय समिति द्वारा किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सती

*१११११. **श्री वीरस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि बम्बई की संयुक्त महिला संस्था ने सती होने की घटनाओं की बढ़ती जाती संख्या के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष प्रतिनिधान किया है; तथा

(ख) उसके प्रतिनिधान पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को कठोर आदेश जारी करने, और यदि और कोई ऐसी घटनायें हों तो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क़ानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ।

श्री वीरस्वामी क्या मैं सन् १९५२ में हुई सती की घटनाओं की संख्या तथा उनके स्थान ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री दातार : जहां तक सन् १९५२ का सम्बन्ध है, राजस्थान में दो घटनायें हो चुकी हैं, जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है सन् १९४८ और १९५२ के बीच की अवधि में तीन घटनायें हुई हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने सती होने की घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या का कारण ज्ञात करने का कोई प्रयत्न किया है ? क्या इनका कारण पति की मृत्यु के बाद भूख से तड़प तड़प कर जान देने की स्थिति का निवारण करना है ?

श्री दातार : पहली बात तो यह है कि कोई वृद्धि नहीं हुई है । दूसरे यह कि हमारी महिलायें काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुकी हैं।

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार सती होने की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाये जाने से पूर्व उसकी विद्यमानता के सम्बन्ध में नहीं जानती थी ?

श्री दातार : इतिहास के द्वारा सरकार को सती प्रथा के होने का पता है । जहां तक आज कल हुई घटनाओं का सम्बन्ध है, उनकी संख्या बहुत कम है, और इसलिए सती प्रथा को रोकने के लिए किसी अखिल भारतीय अधिनियम के बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

प्रौद्योगकीय विद्यालय, खड़गपुर

*१११२. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रौद्योगकीय विद्यालय, खड़गपुर में विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिए चुनाव करने की क्या प्रणाली है और क्या उसमें विभिन्न राज्यों के लिए स्थानों का कोई आवंटन किया गया है;

(ख) सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में विज्ञान तथा प्रौद्योगकीय में अनुसन्धान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां देने के लिए विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है; तथा

(ग) इन छात्र वृत्तियों के लिए आवेदन पत्र भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इस विद्यालय में दाखिला देश में ८ केन्द्रों में स्थापित की गई प्रादेशिक चुनाव समितियों की सिफ़ारिशों के आधार पर किया जाता है। सम्पूर्ण स्थानों में से ५० प्रतिशत स्थान पिछड़े हुए राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है और शेष ५० प्रतिशत अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं।

(ख) अनुसन्धान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियें को दिये जाने के लिए विभिन्न सम्बद्ध विश्वविद्यालय और संस्थायें विद्यार्थियों को अनुसन्धान कार्य के लिए उनकी योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर नामनिर्देशित करती हैं। यह चुनाव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् कार्यान्वित होता है।

(ग) विश्वविद्यालय तथा संस्थायें सभी उपयुक्त विद्यार्थियों के मामलों पर विचार करती हैं और इस कारण यह सूचना कि कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उपलब्ध नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह : वह कौन से राज्य हैं जिन को इस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में पिछड़ा हुआ समझा जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : पिछड़े राज्यों की यह परिभाषा की जाती है जिन में न तो इस सरकार के प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं और या जिन में इन सुविधाओं की कमी है ?

श्री सिंहासन सिंह : मैं पिछड़े हुए राज्यों के नाम ज्ञात करना चाहता हूं.

श्री के० डी० मालवीय : वह हैं आसाम, कुर्ग तथा अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत, उड़ीसा पंजाब, पैप्सू और विन्ध्य प्रदेश।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन स्थानों के नाम ज्ञात कर सकता हूं जहां यह चुनाव किये जाते हैं और यह वर्ष में किस समय किये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वह आठ केन्द्र जिनका मैंने निर्देश किया, यह हैं इलाहाबाद; बंगलौर; कलकत्ता (दो केन्द्र) दिल्ली; खड़गपुर; नागपुर और वाल्टेर चुनाव के समय के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह : क्या चुनाव के लिए कोई प्रतियोगीय परीक्षा ली जाती है; या उनको केवल मात्र किसी मौखिक परीक्षा के आधार पर ही लिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मौखिक तथा लिखित दोनों तरह की प्रतियोगीय परीक्षायें ली जाती हैं।

प्रतिष्ठानीय व्यवहारिक प्रशिक्षण

*१११३. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रतिष्ठानीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिसके लिए ९ लाख रुपये की रकम का

सन् १९५३-५४ के आयव्ययक में प्रावधान किया गया है, के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों का चुनाव करने की क्या प्रणाली है;

(ख) इन पदों की उपलक्षणायें तथा उपयोगितायें; तथा

(ग) क्या यह प्रशिक्षण भारत में दिया जायगा या विदेशों में ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) उत्तर प्रतिष्ठनीय व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों का चुनाव सम्बद्ध विद्यालयों द्वारा अन्तिम उत्तीणोत्तर परीक्षा के परिणामों के आधार पर केवलमात्र योग्यता क्रम के अनुसार किया जाता है। चुने गये विद्यार्थियों को वृत्तियों का दिया जाना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनाधीन होता है। जिस किसी भी प्रशिक्षण विद्यालय में उस विद्यालय के सहयोग से वृत्तियों का दिया जाना प्रारम्भ किया जाता है तो उनके लिए विद्यार्थियों का चुनाव उसी संस्था द्वारा एक खुला विज्ञापन देकर किया जाता है।

(ख) उत्तर-प्रतिष्ठानीय व्यवहारिक प्रशिक्षण की योजना को वैज्ञानिक जन शक्ति समिति की सिफ़ारिश पर प्रारम्भ किया गया है, और इस का उद्देश्य विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगकीय जैसे विषयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उनको लाभप्रद नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाना है।

(ग) प्रशिक्षण भारत में ही दिया जायेगा।

श्री सिंहासन सिंह: भारत में वह विद्यालय कौन से हैं जो इस प्रशिक्षण को देते हैं ? क्या मैं उनके नाम ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय: इन विद्यालयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिस्वीकृत किया जाता है और वह देश के सभी भागों में स्थित हैं। उन स्थानों के नाम इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए चुने गये व्यक्तियों को वहां केवलमात्र इसी प्रत्याभूति पर भेजा जाता है कि वापस लौटने पर उनको उनके सन्तोषानुसार तथा जो प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है उसके अनुसार नौकरियां दी जायेंगी

श्री के० डी० मालवीय: ऐसा कोई प्रत्याभूति नहीं दी जाती है।

अवकाश संचितियां

*१११४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अवकाश संचितियों की कितनी प्रतिशतता रखी जाती है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि विभागों में काम के बकाया होने के कारण अर्जित छुट्टियों को देने से इन्कार कर दिया जाता है अथवा उसके देने में देर कर दी जाती है; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार करती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) अवकाश संचितियां केवल उन्हीं पदों के सम्बन्ध में रखी जाती हैं जिनको सामान्यतया सीधी भरती के आधार पर भरा जाता है। भारत सरकार के विभागों में, युद्ध से पूर्व इस श्रेणी के पदों के लिए विभाग की समस्त स्थायी संख्या का १४ प्रतिशत अवकाश संचित में रखा जाता था। सन् १९४५ से इसमें इन पदों की अस्थायी संख्या की ५ प्रतिशत के बराबर संचित और जोड़ दी गई है।

(ख) छुट्टी का दिया जाना एक प्रशासनिक मामला है और निश्चय ही यह सेवा की आवश्यकता पर निर्भर होता है यदि छुट्टी किसी उपयुक्त कारण से मांगी जाती है तो काम की बक़ाया की आवश्यकीयता के आधार पर छुट्टी देने से इन्कार करना या देने में देरी करना सरकार की नीति नहीं है ।

(ग) भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न इस सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या सरकार को विदित है कि बहुत से सरकारी दफ़्तर इस कारण छुट्टी देने में इन्कार कर देते हैं क्योंकि उन में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है ?

श्री एम० सी० शाह : मैंने निवेदन किया कि यह सत्य नहीं है । यदि कोई समुचित कारण होते हैं तो साधारणतया छुट्टी स्वीकृत कर दी जाती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह तो प्रायः एक सामान्य नियम बन गया है कि छुट्टियां स्वीकृत नहीं की जाती हैं । अतः मैं ज्ञात करना चाहती हूं कि क्या सरकार ४ प्रतिशत की अवकाश संचिति को बढ़ाकर १४ प्रतिशत की सामान्य संख्या कर देने की प्रस्थापना करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है । अतः इस मामले पर तर्क करने से क्या लाभ ?

श्री विट्टल राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अवकाश से संचिति की प्रतिशतता विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न है ?

श्री एम० सी० शाह : वह साधारणतया १४ प्रतिशत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हो गई है । अब हम उसे फिर प्रारम्भ से लेते हैं । क्या श्री दशरथ देव यहां उपस्थित हैं ? मैं देखता हूं कि वह उपस्थित नहीं हैं । अब हम अगला कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम और अधिक प्रश्नों को स्वीकार करा सकते हैं ? सामान्यतया मैं यह देखती हूं कि प्रश्नों का घंटा समाप्त होने से पूर्व ही हम सारे प्रश्नों को समाप्त कर लेते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक प्रश्नों के स्वीकृत कराये जाने का प्रयत्न करूंगा, परन्तु प्रश्नों की संख्या कम होने के कारण हम अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : आपकी अनुमति से श्रीमान्, जहां तक प्रश्न संख्या ११११ का सम्बन्ध है मैं एक बहुत छोटा सा संशोधन करना चाहता हूं । मैंने निवेदन किया था कि कोई अखिल-भारतीय अधिनियम नहीं था । मुझे ज्ञात हुआ है कि एक अखिल भारतीय सती निवारण अधिनियम, १८३० है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । प्रश्न सूची समाप्त हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

महारानी और चन्कय क्षेत्रों में बंजर भूमियां

* ११०७. **श्री दशरथ देव :** राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि महारानी और चन्कय क्षेत्रों में भूमि के बहुत बड़े बड़े खंड पानी की कमी के कारण बंजर पड़े हुए हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि यदि महारानी और चन्कय द्वारा पानी को काम में

लाया जाये तो इसी भूमी की सिंचाई की जा सकती है; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इन क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). यह सूचना मिली है कि इन में से कुछ क्षेत्र जाड़े की ऋतु में पानी की कमी के कारण बेकार रहते हैं। कुएं तथा तालाब खोदे जाने की प्रस्थापना की जांच की जा रही है।

त्रिपुरा में आदिम जातियों का उत्थान

*** ११०८. श्री दशरथ देव** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आदिम जाति कल्याण निधि में से त्रिपुरा की आदिम जातियों के उत्थान के निमित्त कोई आवंटन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कितना और उस धन को कब तथा किस प्रकार काम में लाया जायेगा ?

(ग) क्या केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण समिति में त्रिपुरा की आदिम जातियों को प्रतिनिधान देने की कोई प्रस्थापना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). सन् १९५२-५३ में त्रिपुरा की आदिम जातियों के कल्याण के हेतु तीन लाख रुपये के प्रावधान की स्वीकृति दी गई है। सन् १९५३-५४ में त्रिपुरा की आदिम जातियों के व्यक्तियों के कल्याण के लिए पांच लाख रुपये का प्रावधान दिया गया है। जो योजनायें स्वीकृत की गई हैं उनमें उत्पादक सिंचाई कार्य, शिक्षा प्रसार, देहाती सड़कों का सुधार तथा मलेरिया विरोधी योजनायें सम्मिलित हैं।

(ग) जी नहीं।

त्रिपुरा में शिक्षा

***११०९. श्री दशरथ देव** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि यद्यपि आदिम जातियों की अपनी एक विशिष्ठ भाषा है तथापि उनको अपनी शिक्षा वर्नाकुलर के माध्यम से प्राप्त करनी होती है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले आदिम जातियों के छोटे छोटे बच्चों को उन शिक्षकों से, जोकि आदिम जातीय भाषा को नहीं जानते है, शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है ?

(ग) क्या सरकार आदिम जाति क्षेत्र में स्थित प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में आदिम जातीय भाषा जानने वाले कम से कम एक शिक्षक को नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, आदिम जाति के व्यक्तियों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न बोलियां हैं, पर उनकी वर्णमाला नहीं है। एक समान लेखन वर्णमाला न होने के कारण बंगाली, जो कि उस क्षेत्र की बाज़ारू भाषा है, शिक्षा का माध्यम है।

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिए शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण काल में ही उनके विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का काम चलाऊ ज्ञान करा दिया जाता है, जिससे कि छोटी कक्षाओं में जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो शिक्षक विस्तार पूर्वक विषय को समझाने के लिए इस बोली को काम में ला सकें।

(ग) यदि उन में भी वह न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें हों तो आदिम जाति वाले स्कूलों में सेवायुक्त किये जाने के लिए उनको सदैव ही पसन्द किया जाता है।

नई खानों का चलाया जाना

८०२. **श्री भीखाभाई :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह तथ्य है कि नई खानों को खनिज पदार्थ अनुमोचन नियमों, १९४९ के अन्तर्गत चलाया जा रहा है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इन नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) खनिज पदार्थ अनुमोचन नियम, १९४९ पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थों के खनन के लिए अनुमोदन प्रमाण पत्रों, खोज अनुज्ञप्तियों, तथा खनन पट्टों के दिये जाने को विनियमित करते हैं। यह नियम जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त समस्त भारत पर लागू होते हैं और इनको २५ अक्तूबर, १९४९ से लागू किया गया था। उस तारीख के बाद ऐसी कोई भी खनन अनुज्ञप्ति, जो खनिज पदार्थ अनुमोचन नियमों के अनुसार न हो, जारी नहीं की जा सकती है और इन नियमों के विरुद्ध जारी की गई अनुज्ञप्तियां निरर्थक हैं।

(ख) खनिज पदार्थ अनुमोचन नियमों की प्रतियां पहले ही से सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कैलाशहर में हाथियों द्वारा फसलों को पहुंचाई हानि

८०३. **श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कैलाशहर की भानू और देव घाटियों में हाथी किसानों की फसलों को हानि पहुंचाते हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि इन में से कुछ हाथी स्थानीय ज़मींदार के हैं, तथा

(ग) वहां फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जब कभी भी इस प्रकार की हानि की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तो बन्दूक़ चला कर उनको डरा कर भगा देने के लिए आदमी मुकर्रर किये जाते हैं और पालतू हाथियों को पकड़ने का प्रबन्ध किया जाता है।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये आयुक्त

८०४. **श्री नाना दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां आयुक्त ने ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाली अवधि के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा जायेगा; तथा

(ग) उस पर सदन में कब चर्चा होगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग): रिपोर्ट मार्च के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो गई थी और अब मुद्रित हो रही है। किस तिथि को इस रिपोर्ट की प्रतियां सदन पटल पर रखी जायेंगी तथा किस दिन इस विषय को चर्चा के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, ऐसे विषय हैं जिनका निर्णय मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होते ही किया जायेगा।

इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठापनों में प्रशिक्षण के लिये वृत्तियां

८०५. **श्री केलप्पन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठापनों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग तथा प्रोद्योगकीय विषयों के स्नातकों तथा प्रमाण पत्रधारियों को दी जाने वाली १७५ वरिष्ठ और ६० कनिष्ठ वृत्तियां सन् १९५२-५३ में किस प्रकार राज्य-वार बांटी गई थीं;

(ख) अनुसन्धान कार्य के लिए सन् १९५२-५३ के लिए आवंटित रक़म क्या खर्च हो गई है;

(ग) सन् १९५२-५३ में दी गई अनुसन्धान छात्रवृत्तियों की कुल संख्या (राज्य-वार) और प्रत्येक छात्रवृत्ति की वार्षिक रक़म;

(घ) सन् १९५२-५३ में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिए रखी गई ३० लाख रुपये की रक़म में से कितने विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त हुए और कितनों ने अनुदानों के लिए आवेदन किया था;

(ङ) अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त रक़में, तथा उन के नाम भी जिनको ऐसे अनुदान दिये जाने से इन्कार कर दिया गया; तथा

(च) सन् १९५२-५३ में आवर्त्तक अनुदान देने के लिए रखी गई ५ लाख रुपये की रक़म में से कितने विश्वविद्यालय यह अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम, तथा उन को दी गई रक़में ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) अपेक्षित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है।

(ख) उपबन्धित सारी रक़म अभी व्यय नहीं हुई है। चार वर्ष में अब तक हुआ व्यय ५,११,१०० रुपये है।

(ग) अपेक्षित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है।

(घ) २६ विश्वविद्यालयों ने अपनी पंचवर्षीय विकास योजनायें प्रस्तुत की हैं, और वह सरकार के विचाराधीन हैं। कुछ विश्वविद्यालयों की योजनाओं को अविलम्ब ही कार्यान्वित किये जाने के लिए चुना गया है और उनको इसी वर्ष अनुदान दे दिये गये हैं। अन्य के मामलों पर आगामी वर्षों में अनुदान दिये जाने के लिये विचार किया जा रहा है। एक विवरण जिसमें अपनी पंचवर्षीय विकास योजना प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम, इस वर्ष अनुदान दिये जाने के लिए विश्वविद्यालयों के नाम आवर्त्ती तथा अनुवर्त्ती व्यय के लिए स्वीकृत की गई अनुदानों की रक़में दी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**(क), (ख) (ग) और (घ) से (च) तक के लिये देखिये परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या २८**]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

८०६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

(ख) उन में से कितनों को दण्ड दिया गया ?

(ग) सन् १९५१ के तत्संवादी आंकड़े क्या थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) ५१.

(ख) कोई भी नहीं, क्योंकि मुक़दमों का अभी निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) क्रमशः ४० और १०।

शिक्षा का विकास

८०७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय शिक्षण संस्था संघ ने शिक्षा तथा प्रशिक्षण के सर्वतोमुखी विकास सम्बन्धी क्या सूचना दिसम्बर १९५२ के अन्तिम सप्ताह में नागपुर में समवेत हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की थी;

(ख) माध्यमिक शिक्षा पुनः संगठन आयोग ने अब तक क्या प्रगति की है, और आयोग के प्रतिवेदन के कब तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा है।

(ग) क्या सरकार ने नागपुर में हुए शिक्षा सम्मेलन के सभापति द्वारा इस देश के अध्यापकों की अवस्था के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी पर विचार किया है; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क), (ग) और (घ)। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में नागपुर में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की कार्यवाही तथा सिफ़ारिशें अभी सरकारी रूप से भारत सरकार को भेजी नहीं गई हैं।

(ख) आयोग ने प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों तथा शिक्षा के विषय में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों की गवाहियों को लेखबद्ध किया है। आशा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट मई १९५३ तक भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगकीय अनुसन्धान विद्यालय द्वारा खोज निकाला गया एक नया खाद्य पदार्थ

८०८. **श्री एम० एल० द्विवेदी**
श्री एस० सी० सामन्त } :—

(क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगकीय अनुसन्धान विद्यालय ऐसे एक नये खाद्य पदार्थ को खोज निकालने में सफल हुआ है जो दूध, पानी तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं में घुल सकता है और जिस के द्वारा कोको, चाकलेट, हल्वा इत्यादि खाद्य-पदार्थों की पोषकता में बहुत अधिक वृद्धि किये जाने की आशा की जाती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उस वस्तु का क्या नाम है और उसमें क्या क्या वस्तुयें मिली हुई हैं ?

(ग) उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में क्या कोई प्रयोग किये गये हैं ?

(घ) उसे व्यापारिक परिमात्राओं में बनाने के लिए क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

(ङ) यदि हां, तो वह कब तक जन उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख)। जी हां, श्रीमान्। विद्यालय में घुलनशील कैसीनेट (किलाटीय) को तैयार करने और उसे ग्लाईसिरोफ़ौस्फ़ेट (मधुर-मास्वीय) के साथ मिलाकर आयात किये गये सिचाटोजन जैसा विटामिन तथा खनिज पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ बनाने का एक सरल तरीक़ा

निकाला है। यह पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थों के साथ सरलता से घुल मिल जाता है और इस प्रकार उनकी पोषकता को बढ़ाता है। इस में केसीन (किलाटि) या मूंगफली के प्रोटीन जैसे प्रोटीन (प्रोमूजिल), विटामिन तथा खनिज पदार्थ मिले होते हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) इस प्रणाली से अभी तक केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगकीय अनुसन्धान विद्यालय, मैसूर में केवलमात्र अग्रम संयन्त्र पैमाने पर इसे बनाने की चेष्टा की गई है और इसके लिए एकस्व (पेटैन्ट) प्राप्त कर लिया गया है।

(ङ) यह प्रणाली अब निजी रूप से बनाये जाने के लिए उपलब्ध है।

नई दिल्ली की वस्तियों में सेवा सुविधायें

८०९. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि नगरपालिका समिति ने नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में १ अप्रैल १९५३ से सेवा सुविधाओं के संधारण का कार्यभार इस शर्त पर उठाना स्वीकार किया है कि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा उन सेवा सुविधाओं की वर्तमान अवस्था में सुधार कर दिया जाये?

(ख) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली नगरपालिका समिति के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर स्थिति लाजपत नगर, कोटला मुबारिकपुर, तथा अन्य बस्तियों में सफ़ाई सम्बन्धी व्यवस्थायें बहुत ही बुरी थीं और नालियों को मल ले जाने वाले नालों से मिलाया नहीं गया था, सड़क पर रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं था, और सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ थीं; दिलाया गया है?

(ग) यदि हां, तो अवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) पुनर्वास मंत्रालय को कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) दिल्ली राज्य सरकार के कथनानुसार स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने केवलमात्र लाजपतनगर की अस्वच्छ अवस्था की ओर निर्देश किया था तथा यह बताया था उपयुक्त प्रकार की नालियां तथा मल ले जाने वाले नालों की उस बस्ती में व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ग) लाजपत नगर को पड़ौस की दो बस्तियों में नालियां तथा मल ले जाने वाले नाले बना कर तैयार कर दिये गये हैं, और पड़ौस की दो बस्तियों में यह काम किया जा रहा है।

त्रिपुरा के अध्यापकों को मंहगाई भत्ता

८१०. **श्री बीरेन दत्त :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के निजी स्कूलों के अध्यापकों को कितना भत्ता, यदि कोई हो दिया जाता है?

(ख) उस बन्धे हुए व्ययं का कितना भाग सरकार द्वारा वहन किया जाता है?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार उन अध्यापकों को, कम से कम पश्चिमी बंगाल की दर के अनुसार, कोई महंगाई भत्ता देने की प्रस्थापना करती है?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) त्रिपुरा राज्य के निजी स्कूलों के अध्यापकों को कोई महंगाई भत्ता सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

विदेशी विशेषज्ञ

८११. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी:** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में कितनी विदेशी एजैन्सियां इस समय कार्य कर रही हैं ?

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले हमारे उद्योगों को विकसित करने के लिए कितने विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया है ?

(ग) उन पर कितना वार्षिक अथवा मासिक व्यय होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) यह कल्पना करके कि 'विदेशी एजैन्सियों' से माननीय सदस्यों का आशय 'विदेशियों द्वारा नियंत्रित सार्थों तथा व्यवसाय गृहों' से है, तो संलग्न विवरण ३०१६-१९४८ की स्थिति को दिखलाता है ; वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ख) और (ग) । निजी उद्योगों द्वारा सेवामुक्त किये हुए विदेशी विशेषज्ञों तथा परामर्शकों की संख्या के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है । जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवायुक्त किये गये, अथवा उद्योगों के विकास के लिए प्रविधिक सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए विदेशी विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री गोमतेश्वर की मूर्ति

८१२. **श्री माबिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि श्रवणवलंगना (मैसूर) में स्थापित श्री गोमतेश्वर की मूर्त्ति में कुछ सीमा तक लोनी लग गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या और अग्रेतर क्षय को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई अथवा करने की प्रस्थापना है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) । जी हां, इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग

८१३. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यूनैस्को से सहकारिता के हेतु स्थापित किये गये भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कृत्यों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) आयोग के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या यह एक परिनियत संस्था है ?

(घ) यदि हां, तो किस अधिनियम के अन्तर्गत इसे स्थापित किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) (१) भारतीय गणराज्य की जनता में यूनैस्को के उद्देश्यों तथा कार्यों के सम्बन्धी जानकारी में वृद्धि करना;

(२) यूनैस्को तथा सम्बद्ध संस्थाओं के मध्य सहयोजन अभिकर्ता की भांति कार्य करना तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की प्रगति के लिए कार्य करना; तथा

(३) यूनैस्को से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में भारत सरकार के परामर्शदाता के रूप में कार्य करना ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने के लिए समिति

८१४. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री उन मुख्य सिद्धान्तों को बतलाने की कृपा करेंगे जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने के लिए बनाई गई समिति ने निश्चित किये हैं और क्या इन सिद्धान्तों के अनुसार कोई पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं या लिखी जा रही हैं ?

(ख) अध्यापकों के मार्ग प्रदर्शन के लिए क्या सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) और (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३१**]

त्रिपुरा में साक्षरता

८१५. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में असाक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि एक असरकारी संस्था जिस का नाम जन शिक्षा समिति है, गत पांच वर्षों से कोई १००० प्राथमिक स्कूल चला रही है ?

(ग) उन में से कितनों को सरकार से सहायता मिलती है और अभी कितनों को सहायता मिलना शेष है ?

(घ) शिक्षा मद के अन्तर्गत कई हज़ार रुपये इस वर्ष क्यों वाप किर दये गये हैं ?

(ङ) त्रिपुरा में असाक्षरता को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ८७·३ प्रतिशत।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(घ) प्राथमिक स्कूलों को सहायता-अनुदान दिये जाने के लिए इस वर्ष के आवंटन को सम्पूर्ण रूप से काम में लाया जा चुका है वापस नहीं किया गया है।

(ङ) आदिम जातियां कल्याण योजना के अन्तर्गत सन् १९५२-५३ में छात्रावास सुविधाओं से युक्त ८० प्राथमिक स्कूल तथा १० लोअर वरनाकुलर स्कूल खोले गये हैं। सन् १९५३-५४ में नये स्कूलों तथा छात्रावासों को खोलने का अग्रेतर प्रावधान किया गया है।

मानू और देव घाटी (त्रिपुरा) में कृषि के अयोग्य भूमि

८१६. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा राज्य की मानू और देव घाटी में स्थित सात वर्ग मील भूमि प्रत्येक वर्ष बाढ़ में डूब जाती है जिससे फसलों को हानि पहुंचती है और बहुत बड़े बड़े भूमि खंड कृषि कार्य के अयोग्य हो जाते हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार ऐसा न होने देने तथा उस भूमि खंड को कृषि कार्य के लिए फिर से प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) एक योजना बनाई जा रही है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में रिक्तियां

८१७. **श्री एच० एस० प्रसाद :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई-अगस्त १९४७ में केन्द्रीय

सरकार के कर्मचारियों द्वारा पाकिस्तान का विकल्प दिये जाने के कारण वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अधीक्षकों, असिस्टैन्टों, तथा क्लर्कों की श्रेणियों में कितनी स्थायी रिक्तियां हुई थीं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व था कि वह उन क्षेत्रों में, जोकि अब पाकिस्तान का भाग है, स्थित कार्यालयों के भारत के लिए विकल्प देने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करते ?

(ग) यदि ऐसा है, तो भारत के लिए विकल्प देने वाले कितने कर्मचारियों को, जो इस समय पाकिस्तान स्थित क्षेत्रों में सेवायुक्त थे, प्रारम्भ में वैदेशिक कार्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया था, और कितनों को बाद में, उनके प्रतिनिधान करने पर, नियुक्त किया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) रिक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :

अधीक्षक	कोई नहीं
असिस्टैन्ट	१२
क्लार्क	७०

(ख) जी हां, प्रत्येक विभाग से ऐसे सभी व्यक्तियों को, जहां तक संभव हो सके, नियुक्त करने तथा अन्तः विभागीय समायोजन के लिए कमी अथवा आधिक्य सम्बन्धी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने का आदेश दिया गया था ।

(ग) प्रारम्भ में ३१ और एक को प्रतिनिधान करने पर ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित राज्यों को अनुदान

८१८. **श्री अच्युतन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित राज्यों को हिन्दी के शिक्षण का व्यय वहन करने के लिए कोई विशिष्ठ अनुदान दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो भारत के संविधान के लागू होने से इस प्रकार कितनी रक़म स्वीकृत की गई है और किन किन राज्यों को दी गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सरकार की सम्मति के अनुसार यह कार्य उन असरकारी संस्थाओं, द्वारा, जोकि पहले ही से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है । सरकार ने उनको अनुदान दिये हैं और पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में नई कार्ययोजना तैयार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्तियां

८१९. **श्री इलयापेरूमल** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में अन्नमलाई विश्वविद्यालय से अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के अभ्यार्थियों के कितने प्रार्थनापत्र छात्रवृत्तियां दिये जाने के लिए प्राप्त हुए थे ?

(ख) इन में से कितने स्वीकृत किये गये ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क)	अनुसूचित जातियां	कोई नहीं
	अन्य पिछड़े वर्ग	४८
(ख)	अन्य पिछड़े वर्ग	८

विस्थापित तथा निराश्रय महिला आश्रम रूपसी

८२१. **श्री अमजद अली :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम के अपने पिछले दौरे में माननीय मंत्री ने "विस्थापित तथा निराश्रित महिला आश्रम" रूपसी (ज़िला गोलपाड़ा, आसाम) का निरीक्षण किया था;

(ख) उसमें रहने वाले इस प्रकार के निराश्रितों की संख्या;

(ग) क्या उनके लिए किसी प्रकार की जीविका का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या नारी कल्याण समिति, धुबरी द्वारा उनको नगरीय-क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिये जाने की प्रार्थना की गई थी; तथा

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) ७५

(ग) आश्रम के सभी निवासियों के भोजन तथा निवास स्थान की व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाती है और उनको विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है।

(घ) और (ङ)। उस आश्रम को वहां से हटाने के लिए धुबरी कांग्रेस समिति द्वारा किया गया एक प्रतिनिधिान विचाराधीन है।

हवाई अड्डे

८२२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री भारत में रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों की संख्या और सन् १९५२ में सरकार द्वारा उनके संधारण पर किये गये व्यय को बतलाने की कृपा करेंगे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : रक्षा मंत्रालय के अधीन यह हैं :—

(१) भारतीय वायु बल द्वारा नियंत्रित १७ हवाई अड्डे जिनको दिन प्रति दिन के कार्य के लिए ठीक रखा जा रहा है।

(२) २८ को आपातिक इस्तैमाल के लिए ठीक रखा जा रहा है।

सन् १९५२ में उनकी देख रेख तथा संधारण पर हुआ अनुमानित व्यय ८० लाख रुपये है।

नैशनल फिज़ीकल लैबोरेटरी, नई दिल्ली

८२३. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नैशनल फिज़ीकल लैबोरेटरी (राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला), नई दिल्ली की वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था;

(ख) उक्त प्रयोगशाला में कितने वरिष्ठ और कनिष्ठ विज्ञान सहायक इस समय सेवा-युक्त हैं, और कितने वेतन तथा भत्ता वह प्राप्त कर रहे हैं; तथा

(ग) सन् १९५२-५३ में इस प्रयोगशाला पर इन मदों पर पृथक् रूप से किया गया सम्पूर्ण व्यय :

(१) वेतन तथा भत्ते; तथा

(२) उपकरण तथा यंत्रादि

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन चलाये जाने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से है। प्रयोगशाला का अध्यक्ष डा० कृष्णन उसके संचालक हैं और उनके अधीन अनेकों वैज्ञानिक कर्मचारी कार्य करते है। कर्मचारीवर्ग उपसंचालकों

की श्रेणियों में बंटा हुआ है, और यह उपसंचालक प्रयोगशाला के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं, उनके अधीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि कार्य करते हैं।

(ख) २५०-५०-५०० वेतन क्रम के २० वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक

१६०-१०-३३० वेतन क्रम के ४७ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,

इस कर्मचारीवर्ग को वही भत्ते, अर्थात् महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और भत्ता, मिलते हैं जोकि नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं।

(ग) सन् १९५२-५३ में हुआ व्यय इस प्रकार है :

	रुपये
(१) वेतन	१०,१०,३००
भत्ते	५,३५,०००
योग	१५,४५,३००

(यह वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान हैं)

(२) उपकरण तथा यंत्रादि (जनवरी, १९५३ तक का वास्तविक व्यय)

१,२८,२०२ रुपये

Par. S. 18. III. 2. 53
285.

अंक ३

संख्या २

मंगलवार

३१ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

पटल पर रखे गये पत्र—
परमाधिक खनिजों के स्वत्वाधिकार के बारे में करार [पृष्ठ भाग २५७४]
सम्पदा शुल्क विधेयक—प्रवर समिति की रिपोर्ट समक्ष रखना [पृष्ठ भाग २५७४]
हैदराबादी सिक्के तथा पत्र चलार्थ (विविध उपबन्ध) विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २५७४-२५७७]
अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ५२—गृहकार्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २५७७—२६६२]
मांग संख्या ५३—मंत्रिमंडल [पृष्ठ भाग २५७७—२६६२]
मांग संख्या ५४—दिल्ली [पृष्ठ भाग २५७७—२६६२]
मांग संख्या ५५—पुलिस [पृष्ठ भाग २५७७—२६६२]
मांग संख्या ५६—जनगणना [पृष्ठ भाग २५७७—२६६२]
मांग संख्या ५७—गृह मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय। [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या—५८—अन्दमान निकोबार द्वीप [पृष्ठ भांग २५७७—२६६३]
मांग संख्या १२७—गृहकार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ८९—भारतीय नरेशों की निजी थैली तथा भत्ते [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ९०—कच्छ [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ९१—बिलासपुर [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ९२—मनीपुर [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ९३—त्रिपुरा [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ९४—राज्यों के साथ सम्बन्ध [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय का विविध व्यय [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]
मांग संख्या १३५—राज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय [पृष्ठ भाग २५७७—२६६३]

279 PSD

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

मंगलवार, ३१ मार्च १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

पटल पर रखे गये पत्र

परमाण्विक खनिजों के स्वत्वाधिकार के बारे में करार

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): परमाण्विक खनिजों के स्वत्वाधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रपति और भाग ख राज्यों के राजप्रमुखों में जो करार हुआ है उस की एक प्रति मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५]

सम्पदा शुल्क विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट समक्ष रखना

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): सम्पदा शुल्क लगाने तथा वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को मैं समक्ष रखता हूं।

हैद्राबादी सिक्के तथा पत्र चलार्थ (विविध उपबंध) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब उस विधेयक पर अग्रेतर विचार किया जाएगा जिस में

उपबन्ध है कि हैद्राबादी एक रुपए के नोट कुछ और अवधि तक विधिग्राह्य रहें तथा हैद्राबाद के १३२७ फ. के पत्र चलार्थ अधिनियम संख्या २, का निरसन कर दिया जाये। इसे राज्य परिषद् पारित कर चुकी है। इस पर राष्ट्रपति की अनुमति आज प्राप्त होगी।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): इस विषय में बहुत से सुझाव दिये गये थे यह महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि हाली सिक्कों को भारतीय सिक्कों में बदलने की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। इसका पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है। इसके प्रचार के लिए हम ने हैद्राबाद सरकार को १ लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति दी है। हैद्राबाद सरकार ने यह आपत्ति की कि यदि १ रुपये वाले नोट और छोटे सिक्के अधिक अवधि तक गांवों में विधिग्राहय न माने जायेंगे तो वहां के लोगों को कठिनाई होगी तथा कुछ चालाक लोग भोले भाले आदमियों को ठग लेंगे। पूरी स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् सरकार ने यह उचित समझा कि १ रुपये वाले नोट और छोटे सिक्के २ साल तक और विधिग्राह्य बनाए जाएं। हैद्राबाद सरकार के आवेदन के अनुसार सरकार ने यह भी निश्चित किया है कि अतिरिक्त छोटे सिक्के (आठ आना और उस से कम) आवश्यक मात्रा में निर्गमित कियें जायेंगे। हम ने हैद्राबाद सरकार को लिखा है कि वह विनिमय की पूरी पूरी सुविधाएं दे।

[श्री एम० सी० शाह]

अब दो साल का समय और मिल गया है इसलिये गरीबों को कोई कठिनाई न होगी।

यहां पर यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार और हैद्राबाद सरकार में पूर्ण समन्वय होना चाहिये। अभी पूर्ण समन्वय है। उसकी चिन्ता न होनी चाहिए।

यही बात चलार्थ और टंकन की देयता तथा परिसम्पत के बारे में है। जिस दिन हैद्राबाद राज्य भारत में मिला उस दिन से वहां के चलार्थ और टंकन की देयता तथा परिसम्पत केन्द्र ने ले ली है।

परिचलन में जितना चलार्थ है उसके आंकड़े ठीक नहीं बताए गए। २५ फरवरी १९५३ को वहां १ रुपए वाले नोट ८.३३ करोड़ थे तथा ३५.६० करोड़ रुपयों के पांच रुपये और आधक राशि के नोट थे। दो वर्ष के अन्दर यह सारा चलार्थ भारतीय हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाए।

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक के लिए कोई संशोधन नहीं था। खंड १, २, ३, ४ और नाम तथा अधि-नियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गए।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री वी० जी० देशपांडे (गूना) : मैं विधे-यक का विरोध करता हूं। अन्य सब राज्यों के चलार्थ बन्द कर दिए गए हैं फिर हैद्राबाद में ही क्यों इसे दो वर्ष के लिए बनाए रखा जा रहा है। हैद्राबाद सरकार को नए छोटे सिक्के निकालने की भी अनुमति दी जा रही है।

श्री एम० सी० शाह : कल वे अनुपस्थित थे। इस विधेयक के पारित होने पर हैद्राबाद सरकार नए सिक्के न निकालेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपमंत्री जी ने कहा था कि अगले दो वर्षों में नए सिक्के निकाले जाएंगे।

श्री एम० सी० शाह : मैं ने यह कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो आठ आने वाले सिक्के तथा अन्य छोटे सिक्के निकाले जायेंगे जिस से कि गरीबों को कष्ट न हो।

श्री वी० जी० देशपांडे : इस का मैं विरोध करता हूं। हैद्राबाद सरकार को नए सिक्के निकालने का अधिकार न होना चाहिए।

डा० **जयसूर्य** (मेदक) : उपमंत्री जी ने ने कहा कि केन्द्रीय सरकार सारी देयता तथा परिसम्पत ले रही है। अब तक हैदराबाद सरकार ने जो प्रतिज्ञा अर्थपत्र निकाले हैं उन की सारी जिम्मेवारी क्या भारत सरकार लेगी ?

श्री एम० सी० शाह : हमने चलाथ और सिक्कों की सारी देयता तथा परिसम्पत ले ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : गृहकार्य तथा राज्य मंत्रालय से संबद्ध अनुदानों की मांगों पर अब चर्चा होगी। श्री आर० डी० मिश्र बोल रहे थे।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल में यह कह रहा था कि मैं अपने होम मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने देश में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रक्खा। जिस वक्त यह देश आज़ाद हुआ उस वक्त इस देश में अशान्ति फैली हुई थी और इस देश के आदमी खूंख्वार बन चुके थे और एक दूसरे की जान के ग्राहक बने हुए थे, ऐसे नाजुक समय में इस मिनिस्ट्री ने उम्दगी से काम किया और आज उसी का यह नतीजा है कि आज देश के अन्दर हम शान्ति देखते हैं और जो हमारी हुकूमत डगमगाती और बदलती हुई दिखाई देती थी, वह अब मजबूत हो गई है। हम यह भी जानते हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद देश में जो हम प्रजातंत्र क़ायम करना चाहते हैं, उस के विरुद्ध बहुत सी ताक़तें इस प्रयत्न में लगी हुई हैं कि यहां पर इस देश में प्रजातन्त्र कायम न हो और उन्होंने मुख्तलिफ़ शक्लें अख़्तियार कर ली हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियां क़ायम कर दी हैं, वह यह नहीं समझते कि आज देश में प्रजातंत्र संविधान बन जाने से देश में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो गया है, हमें इस देश के एक एक नागरिक को प्रजातंत्र का सिद्धान्त सिखलाना है, उन्हें प्रेम का सबक़ देना है ताकि हम सब आपस में मिल कर ऐसे सुसंगठित हो जायं ताकि हमारा यह देश बलवान और शक्तिशाली हो। जब कि हम इस काम में लगे हुए हैं, उस वक्त हमारे देश की कुछ शक्तियां इस काम में बाधक बन रही हैं और इस हाउस में जहां हम आ कर बैठे हुए हैं हम देखते हैं कि रोज़मर्रा मुखालफ़ीन को बहुत काफ़ी मौक़ा मिलता है और वह काफ़ी बहस करते हैं और दलीलें देते हैं, जब प्रेसीडेंट एड्रेस आता है तो तब भी वही एक राग अलापा जाता है, बजट पेश होता है तो तब भी वही राग अलापा जाता है। एक बात एक दफ़ा हो चुकी, उस को खत्म करो, अब तो हमारे यहां प्रजातंत्र राज्य स्थापित है और इस प्रजातंत्री सरकार के सामने तमाम बातें मौजूद हैं लेकिन कोई ख्याल नहीं किया जाता और काफ़ी बातचीत और बहस इस बात पर होती है और हम यहां तक देखते हैं कि हमारे अख़बार वाले इस पार्लियामेंट की क्या क़ीमत लगाते हैं ? मेरे सामने यह पैम्फलेट है जिस में आप देखेंगे कि इस पार्लियामेंट का नाम टाकेटिव पार्लियामेंट रक्खा गया है और इस परचे को शाया करने वाले हैं फ़िल्म इंडिया के एडीटर बाबूराव पटेल जो इस देश के अन्दर प्रजातंत्र को कामयाब होता देखना नहीं चाहते। रोज़मर्रा इस क़िस्म की नई नई बातें फ़िल्म इंडिया में छापते हैं, मालूम ऐसा पड़ता है मानों इन्हीं को सारी आज़ादी मिली हो और इन के अलावा जितने आदमी इस देश में बसते हैं वह सब बेवकूफ़ बसते हैं। आज यह फ़िल्म इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें छाप छाप कर और पैम्फलेट निकाल कर नफ़रत का इज़हार करें और परचे निकाल कर पार्लियामेंट के हर एक मेम्बर के पास भेजते हैं और एक एक को दिखाते हैं कि मैं इस आज़ादी का इस तरह फ़ायदा उठा रहा हूं और इस तरह फूल्स पैराडाइस के द्वारा यहां के प्रेस वाले इस तरह आज़ादी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और प्रेस वाले यहां के लोगों में प्रेम का सबक़ सिखाने के बजाय नफ़रत फैलाते हैं। अगर हम अपने देश की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए और बिजली का उत्पादन करने के लिये बांध बनाते हैं या बांध की स्कीम सोचते हैं तो वे हमारे भाई उस में से छोटी छोटी बातें निकाल कर यह बतलाना चाहते हैं कि यह तमाम काम बेकार हैं, अगर हम तालीम बढ़ाना चाहते हैं तो कहते हैं कि तालीम बेकार है। अगर हम ज़मींदारी को खत्म करते हैं तो वह यह कहने लगते हैं कि यह काम बेकार है और अगर

[श्री आर० डी० मिश्र]

हम राजाओं को खत्म करते हैं तो उस के लिये भी इन की ओर से कह दिया जाता है कि यह बेकार काम है, गरज़े कि कोई भी काम हम जनता की बहबूदी का करें, यह उसको बेकार कहते हैं, आप भी तो कोई काम हमें करने को कहें और हमें बतलायें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इस हाउस में बैठ कर हम देखते हैं कि हमारे वह कम्युनिस्ट भाई जो हमारे साथ काम करने वाले थे और जो महात्मा गांधी के ज़माने में पैदा हुए, उन में बड़े क़ाबिल लोग हैं, बी० ए०, एम० ए० और डाक्टर और वकील आदि हैं, फिर समझ में नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद क्या यह डेमोक्रेसी नहीं समझते या पार्टी गवर्नमेंट नहीं समझते और क्या यह देश हित नहीं समझते ? वह तो सिर्फ़ यह ही समझते प्रतीत होते हैं कि आ कर यहां हुकूमत की मुखालफ़त करो, मैं पूछना चाहता हूं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से कि आखिर आप क्या चाहते हो ? अरे राजा लोग तो हम ने खत्म कर दिये, अब इस देश में कोई राजा नहीं है। आज इसी आप की पार्लियामेंट के अन्दर वह राजे महाराजे जो किसी ज़माने में राजा थे, आज एक कौमनमैन की हैसियत से हमारे साथ इन बैंचों पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने यह काम कर के दिखाया, क्या इन्हीं कम्युनिस्ट बैंचों पर बैठे हुए राजाओं में से कोई भी कांग्रेस पार्टी में आकर शामिल हुआ है, वह लोग तो कम्युनिस्टों के साथ वोट करते हैं और उन के साथ मिलते हैं। दूसरी तरफ़ देखिये बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिन को हम ने खत्म किया, हमें कोई राजाओं व ज़मींदारों से दुश्मनी नहीं थी, हम तो एक मुआहिदे के ज़रिए उन को खत्म करना चाहते थे, हम उन राजा और ज़मींदार लोगों को मुआविज़ा देते हैं और कहते हैं कि भाई जैसे हम रहते हैं वैसे ही तम लोग भी इस देश में रहो, तुम भी इस देश के नागरिक हो और हमारा तुम्हारा सब का फ़र्ज है कि मिल कर देश की तरक्की करें। लेकिन ज़मींदार हम से नाराज़ हैं और इन के साथ शामिल हैं जिन की ओर से यह नारा लगाया जा रहा है कि धेला मत दो और आज आप उन के साथ शामिल हैं जो यह कहते हैं कि गोली मार देनी चाहिये, चीन की बड़ी तारीफ करते हैं, उस चीन में मालूम है कि ज़मींदारों का क्या हश्र हो रहा है ? वहां चीन में ज़मींदारों की हालत अछूतों से भी गई बीती है, वहां पर ज़मींदारों को कोई वोट का राइट नहीं, वहां बड़े बड़े मालदारों को वोट को राइट नहीं है और मज़े की बात यह है कि आज बड़े बड़े राजा और ज़मींदार और पूंजीपति वगैरह उन कम्युनिस्ट भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, भले ही आप उन के साथ कांग्रेस के खिलाफ़ वोट दे लो, लेकिन याद रक्खो कि अगर तुम्हारी बदकिस्मती से, मेरी से नहीं, अगर तुम्हारी बदक़िस्मती से इस देश में कम्युनिस्ट राज्य हुआ तो सब से पहले पेड़ के तने में तुम्हीं लोगों को लटकाया जायगा और सब से पहले तुम्हें ही गोलियां मारी जायेंगी।

यह हमारे होम मिनिस्टर साहब की बदौलत है कि आप को वोट का हक़ मिल गया और उसका अहसान न मान कर आज आप हमारे कांग्रेस के खिलाफ़ मुक़ाबले में बैठ कर वोट देते हैं। पुराने ज़माने में जब कांग्रेस होती थी तो जैसा कल हमारे स्टेट के भाई रामानन्द तीर्थ कह रहे थे कि वहां यह कहा जाता था कि हमें भी कांग्रेस में शामिल कर लो, कांग्रेस का मेम्बर बना लो, और हम भी समझते थे कि कांग्रेस में अगर यह स्टेट्स वाले आ जायेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जायगी। उस पर हमारे लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू,

मौलाना आज़ाद आदि बड़े बड़े लोगों ने बतलाया कि नहीं भाई इन्हें नहीं लेना चाहिए तो उस समय हमारी समझ में नहीं आया कि यह हमारे नेता स्टेट के लोगों को क्यों कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहते हैं। इस विषय पर मैंने उन से अकेले में बातचीत की और पूछा कि आखिर यह सलाह किस कारण से दी गई, इस से तो हमारी ताक़त खत्म हो जायगी, तो उन्होंने हमें समझाया कि हम इन स्टेट्स को इसलिए नहीं शामिल करते हैं कि स्टेट्स के ये राजा अपनी स्टेट्स के अन्दर ज़ुल्म करेंगे और अंग्रेज़ दुनिया में प्रोपेगेन्डा करेंगे कि देख लीजिए हिन्दुस्तान के राजा लोग अपने यहां की स्टेट्स कांग्रेस पर ज़ुल्म कर रहे हैं और हम तो अपने यहां पर अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और इसका नतीजा यह होगा कि देश के अन्दर लोगों में इन राजाओं के खिलाफ़ नफ़रत फैलेगी, इसलिए हम इन को शामिल नहीं करना चाहते ।

दूसरी वजह यह है कि राजा लोगों में कोई शक्ति तो है नहीं और यह वही लोग हैं जिन के अन्दर का खून पीला पड़ चुका था । आप ने अगर जुगराफिया पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अंग्रेज़ ने जितना इलाक़ा फ़तह किया था उस पर लाल रंग था जिसका मतलब यह था कि अंग्रेज़ ने तलवार के ज़ोर से हिन्दुस्तान फ़तह किया, लाल रंग से मतलब खूनी ज़मीन का है और जहां पर यह देशी रियासतें थीं, वहां पर रियासतों का पीला रंग था, मतलब यह कि उनका खून पीला पड़ चुका था, उन राजाओं में कोई दम नहीं रह गया था ।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : अखाड़े में आ जाइये ।

श्री आर० डी० मिश्र : आप पुराने ज़माने में ऐसा कह सकते थे, आज आपकी वह चालत नहीं है ।

मैं हाउस में यह निवेदन कर रहा हूं कि यह राजे लोग वही हैं जिन का रंग पीला पड़ चुका था । मेरे दोस्त शायद भरतपुर राज्य से आये हैं । उन को पता नहीं कि भरतपुर को अंग्रेजों ने कैसे फतह किया था । वहां की वज़ारत ने तोपों में बाजरा भर दिया था । ऐसे लोग भरतपुर के रहने वाले हैं जिन्होंने इस तरह से अंग्रेजों का मुकाबला किया था । लेकिन वह क्या करें । उन का रंग पीला पड़ चुका था । इस से कहा गया था कि जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद होगा और अंग्रेज यहां से जायेंगे उसी दिन यह चुपचाप चले आयेंगे क्योंकि उन में हिम्मत नहीं । और आप ने देखा, हमारे सरदार पटेल, मरहूम, ईश्वर उन की रूह को शान्ति दे, उन्होंने राजे लोगों को कैसे चुटकियों में खत्म कर दिया । आज राजे हिन्दुस्तान में नहीं हैं, लेकिन आवाज उठाई जाती है कि पैसा मत दो, यह करो, वह करो, लेकिन हम अहिंसात्मक तरीके से हिन्दुस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं, हम मुल्क के अन्दर बराबरी कायम करना चाहते हैं, राजे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, वह इस जमीन में पैदा हुए हैं, जमींदार हमारे दुश्मन नहीं हैं, वह हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, हम उन को प्रेम से इस देश के अन्दर रखना चाहते हैं । मिल कर रहिये, बराबरी के साथ रहिये, तुम्हें पूरा अधिकार है चाहे यहां के राष्ट्रपति बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, मिनिस्टर बनो, जो मन में आये बनो, लेकिन शान्त रहते हुए, देश की सेवा करते हुए, लेकिन अगर देश की सेवा न कर के देश के साथ गद्दारी की तो मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि हुज़ूर अनवर, यह आप की ड्यूटी है कि आप यह देखें कि इस देश के अन्दर वह ताकतें जो देश की डिमाक्रेसी को खत्म कर देना चाहते हैं वह नाकामयाब रहें । आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है । एक जिम्मेदा—

[श्री आर० डी० मिश्र]

डिफेन्स मिनिस्टर पर है कि वह अपनी फौजों को तैयार रक्खें, अगर कोई गैर मुल्क हमारे देश को बुरी नियत से देखे तो उस के मुकाबले के लिये देश के लोगों को तैयार करें कि यहां का एक एक बच्चा देश के लिये कुर्बान हो जाय। लेकिन इसी के साथ साथ आप के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप देखें कि इस मुल्क के एक एक बच्चे में देश-भक्ति हो, डिमाक्रेसी के लिये प्रेम हो, और वह सच्चे उसूलों के लिये मरने को तैयार हो। और जो विनाशकारी शक्तियां खड़ी हों वह खत्म हो जायें और जल्द से जल्द खत्म हो जायें। मैं कह रहा हूं कि जन संघ है, राम राज्य परिषद है, हिन्दू महासभा है, क्या किया है इन लोगों ने ? उन्होंने धर्म के नाम पर बीड़ा उठाया है, अरे भाई, धर्म का नाम लेते हो और इन कम्युनिस्टों के पास बैठे हो, जो धर्म से वास्ता नहीं रखते, उन को ईश्वर का पता नहीं, जिन का मन्दिर से वास्ता नहीं, जिन को ठाकुर जी का पता नहीं उन के साथ बैठ कर वोट देते हो ? तुम्हारे साथ उन का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक ? कहते हैं पुरानी संस्कृति। पुरानी संस्कृति का नाम लेते हैं और अंग्रेजी में तक़रीर करते हैं। संस्कृत भी नहीं जानते, संस्कृति भी नहीं जानते। राम राज्य परिषद का नाम लेते हैं। राम राज्य क्या है ? राम राज्य तो त्रेता युग की बात है, जब सतयुग खत्म हो गया तो इस देश के अन्दर ऐसा जमाना आया जब कि विनाशकारी शक्तियों ने अपना कार्य संचालन आरम्भ किया था, उस जमाने म राम राज्य आया था। उस राम राज्य में क्या बात हुई। आप राम राज्य की बातें करते हैं, पहले शास्त्रों को पढ़िये तो सही। यह लोग समझते हैं कि चूंकि हमारा नाम राम राज्य परिषद में है इस लिये हम हिन्दू, चूंकि हमारा नाम हिन्दू महासभा में है इस लिये हम हिन्दू हैं और चूंकि मैं कांग्रेस में हूं मैं हू इस लिये मैं हिन्दू ही नहीं। आप समझ लीजिये कि हम भी हिन्दू और आप भी हिन्दू। लेकिन हिन्दुत्व की बुनियाद क्या है ? पढ़ा है आप ने शास्त्र ? जो गुलामी की बुरी बातें इस देश में फैल गई थीं उन को फिर से लाना चाहते हैं। कहीं पर मनुस्मृति का नाम लेते हैं। क्या मतलब है स्मृति का ? इस का मतलब है पुरानी याद। सतयुग की जो बातें हम भूल गए उन को त्रेता में याद कर के मनुस्मृति में संग्रह किया गया। क्या त्रेता के जमाने की याद रह गई उन चीजों को लायेंगे ? आप उसी में लटके हुए हैं। आप का एक एक शास्त्र वेद पर कायम हैं। वेद मौलिक ग्रंथ हैं, और मनुस्मृति के अन्दर लिखा हुआ है कि जो भी बात वेद के विरुद्ध है वह मानने के काबिल नहीं। क्या आप ने कभी यह जानने की कोशिश की कि वेद में क्या लिखा हुआ है, वेद का मतलब क्या है ? आप ने कभी कोशिश नहीं की उस को जानने की। आप तो समझते हैं कि चूंकि स्मृति में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में राजा होना चाहिये, इस लिये राजा बनाना आप का धर्म है। लेकिन इस देश के अन्दर हमेशा से रहा है प्रजातंत्र। और इस देश के प्रजातंत्र की पहली बुनियाद यह थी कि गांव गांव में पंचायतें हों। अंगरेजों ने आ कर इन पंचायतों को खत्म किया। इस देश के अन्दर सतयुग के जमाने से प्रजातंत्र था....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने १५ मिनिट से अधिक समय ले लिया है।

श्री आर० डी० मिश्र : अगर आप गौर से देखें तो आप को पता लगेगा कि जो हमारा राष्ट्रीय संविधान है वह वेदों के ऊपर कायम है। आप को मैं मंत्र दिये देता हूं, अर्थ करने

का समय नहीं, लेकिन मैं एक बात आप को बता देना चाहता हूं कि अगर आप दो तीन मंत्रों पर गौर करें तो आप को पता लगेगा कि हमारा देश वैदिक नीति के ऊपर चल रहा है, वैदिक सिद्धान्तों पर चल रहा है। अगर आप को मौका लगे तो आप मुझ से आ कर पूछ लें, या और किसी और मौके पर बतलाऊंगा। इस समय एक मंत्र आप के सामने रखता हूं ताकि आप को मालूम हो जाय कि हमारे वेदों में क्या है। इलस्पदे समिद्धसे स नो वसून्या भर ओ३म्। संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ।

एक माननीय सदस्य : तो यह सेकुलर स्टेट कैसे हो गई ?

श्री आर० डी० मिश्र : सेकुलर भी बताऊंगा, आप को कि वेद कैसे सेकुलर था। वेद के जमानें में कोई मजहब नहीं था। वह तो एक युनिवर्सल ला है, किसी खास मजहब का नहीं है, वह तो ह्यूमैनिटी का ला है।आप तो शायद हिन्दू धर्मका पट्टा ले कर बैठ गये हैं। मैं आप को बताता हूं। वह उस धर्म की बुनियाद पर नहीं बना है जिस से कि पाकिस्तान बन गया। वह सब से पुराना ग्रंथ मानव जाति का है। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं वह ऋग वेद का है। वह ऋग वेद के दसवें मंडल के १९१वें सूत्र का पहला मंत्र है। पहले 'सं' का मतलब है ईक्वैलिटी, दूसरे 'सं' के माने हैं यूनिटी, एकता, 'इत्' के माने हैं यह, 'युवसे' के माने हैं यूनियन, या गणराज्य, 'वृषन्न' के माने हैं आश्वासन देना या प्रदान करना, 'अग्नि' के माने हैं कान्स्टिट्यूशन, 'विश्वानि' के माने हैं सब, 'अर्य' के माने हैं भारतवर्ष देश के रहने वाले, 'आ' के माने हैं यह, 'इलस्पदे' के माने हैं सेकुलर मामलात में, 'समिद्धसे' के माने हैं समान रूप से आत्म विकास करने के लिये, 'स' के माने हैं सहित, 'नः' के माने हैं हम, 'वसूनि' के माने हैं राइट्स आफ सिटिजेनशिप, 'आ भर' के माने हैं ऐडाप्ट करते हैं।

मैं अंगरेजी में भी इस को ट्रान्स्लेट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कल गृह मंत्रालय की बहुत आलोचना की गई थी। यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं हैं। अंग्रेजों के जमाने के पुराने कर्मचारी स्वयं को देश के वर्तमान लोकतंत्रीय प्रशासन के अनुकूल नहीं बना पाए हैं तथा अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पंचवर्षीय योजना की भी चर्चा की गई थी। उस योजना के 'प्रशासन' नामक अध्याय में बतलाया गया है कि यदि राजनैतिक नेता ठीक नीति बनायें, सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से उसका अनुसरण करें और जनता का सहयोग हो, केवल रचनात्मक आलोचना की जाए तो प्रशासन में सफलता प्राप्त हो सकती है।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रशासन में अदक्षता बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता पाने के पश्चात् हम पर्याप्त आत्म आलोचना करने लगे हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छे कामों की सराहना करना भी सीखें। उक्त तीन बातों के पूरा होने पर ही प्रशासन दक्ष हो सकेगा।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर]

भारत में सरकारी कर्मचारी स्थायी होते हैं वे सरकार के बदलने पर नहीं बदले जाते। उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। वे सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण करते हैं। इस के लिए सरकारी कर्मचारियों में निष्ठा का होना अत्यावश्यक

[श्री दातार]

है । निष्ठा बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा ।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कल दो बातें कही थीं । उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अच्छी नहीं हैं । उन्हें अपने पद के विषय में कोई सुरक्षा नहीं है । उन्होंने यह भी कहा था कि उच्च अधिकारियों को अत्यधिक वेतन दिया जाता है । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि उन की व्यर्थ में आलोचना न करनी चाहिए । विरोधी पक्ष के सदस्य सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में जो चाहे कह सकते हैं । कुछ अधिकारियों पर वैयक्तिक रूप से भी आरोप लगाया जाता है । न्याय्य बात तो यह है कि ऐसे पदाधिकारियों की शिकायत सरकार से करनी चाहिये । यदि उनका अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए गी । व्यर्थ की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है । यदि वे सरकारी नीति का अनुसरण करते हों तो उन पर विश्वास भी किया जाना चाहिए । उन्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं । पहले उच्च पदाधिकारियों के वेतन बहुत अधिक थे । १९४६ में इस की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । उस की सिपारिशों के अनुसार अब उन के वेतन २५ प्रतिशत कम कर दिए गए ह । स्वर्गीय सरदार पटेल ने प्रसंविदा सेवाओं को कुछ प्रत्याभूतियां दी थीं तथा उन्हें संविधान का अंग बना लिया गया है । जब तक संविधान का संशोधन नहीं किया जाता तब तक उन्हें वे सुविधाएं मिलती रहेंगी ।

सदस्यों ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है । सदस्यों का कर्तव्य है कि वे इस की शिकायत सरकार से करें । यदि दोष सिद्ध हो जाएगा तो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा । भारत सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस की स्थापना की है । महायुद्ध के पश्चात् ही भ्रष्टाचार और चोरबाजारी आरम्भ हुई हैं । संसार भर में यही हाल है । लोगों का कर्तव्य है कि वे इन अपराधों को करने वाले व्यक्तियों की सूचना हमारे पास भेजें । हम उसके विषय में छानबीन करेंगे । भ्रष्टाचार मिटाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं । १९५१-५२ में हम ने बहुत से पदाधिकारियों को पकड़ा था । लोग कहते हैं कि हम बड़े पदाधिकारियों को छोड़ देते हैं ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : कितने बड़े अधिकारियों को पकड़ा ?

श्री दातार : यही बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ आंकड़ों को देने की अनुमति दें तो उन से पता चल जायगा कि सरकार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में—ऊपर से आई० सी० एस० अधिकारी से लेकर निचली श्रेणी के डाक कर्मचारी तक—किस प्रकार से कार्यवाही करती रही है । इन दो वर्षों में घोषित अधिकारियों के विरुद्ध ४५, आज्ञप्त अधिकारियों के विरुद्ध १३ तथा अघोषित और अनाज्ञाप्त अधिकारियों के विरुद्ध ४६३ मामले चलाए गए हैं । प्रत्येक वर्ष यह विभाग बड़ी कठोरता से भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयत्न करता है । परन्तु वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोष या अपराध का सिद्ध करना बहुत कठिन है । कानून की प्रविधियों के अनुसार चलना ही पड़ता है ।

जहां तक इन मामलों का संबंध है, साक्ष्य विधियों तथा दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत काफ़ी विधि-साक्ष्य के मिल जाने पर मंजूरी दी जाती है तथा मामले को चलाया जाता है। मुकदमा चलाये जाने के लिये पक्के प्रमाण आदि के न होने की अवस्था में लोक सेवक आचरण अधिनियम के अन्तर्गत अर्ध-न्यायिक जांच की जाती है तथा उस से हमें देश के उच्चतम न्याय अधिकारी के विचारों को जानने का अवसर मिल जाता है। इस समय भी इस प्रकार की एक जांच चल रही है।

इस के अतिरिक्त वैभागिक जांच की भी व्यवस्था की गई है तथा उस सम्बन्ध में हम ने संक्षिप्त और काफ़ी संतोषजनक प्रक्रिया को निश्चित कर दिया है। सिद्धान्त यह है कि सेवकों को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाता है तथा यदि यह मालूम हो जाय कि वे अनुशासनीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपराधी हैं तो या तो उन्हें पदोच्युत कर दिया जाता है या उन्हें छंटनी में लाया जाता है। सरकार इन तरीकों से भ्रष्टाचार को समाप्त करती है। इस में एक आवश्यक बात यह है कि जनता अपना सहयोग दे, परन्तु जनता बहुत कम सहयोग देती है।

सवाल उठाया गया है कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की संख्या स्थायी कर्मचारियों या अधिकारियों की संख्या से बहुत अधिक है। माननीय सदस्यों की सूचना बिल्कुल ग़लत है। जून १९४८ में स्थायी कर्मचारियों की संख्या ६,७८,००० थी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ७ लाख थी। अन्तर कुछ नहीं है। जून १९५१ में स्थायी कर्मचारियों की संख्या ११ लाख थी तथा अस्थायी कर्मचारियों की ५ लाख थी। इस बारे में आप को यह भी ध्यान रहना चाहिये कि आज की सरकार एक लोक हितकारी सरकार है तथा इसका काम केवल प्रशासन का चलाना या शान्ति तथा व्यवस्था का बनाए रखना ही नहीं है। बहुत से कामों को चलाए रखने के लिये सरकार को बहुत से व्यक्ति नियुक्त करने पड़ते हैं। आप को विदित है कि युद्ध के दिनों में नियंत्रण, परमिट आदि तथा अनेक अन्य कामों के लिए हमें बहुत से व्यक्तियों को रखना पड़ा था। कई एक विभागों के स्थायी या अस्थायी बनाने के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, आप पुनर्वास मंत्रालय को ही लीजिये। इतना महत्वपूर्ण काम करने पर भी किसी न किसी दिन इस मंत्रालय को समाप्त करना ही होगा। नियंत्रण अर्थात् कंट्रोल के बारे में भी स्थिति यही है। इस प्रयोजन से सरकार कुछ नहीं कर सकती कि कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाय और कितनी संख्या को अस्थायी रहने दिया जाय।

युद्ध के बाद सरकार को ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ न कुछ छटनी अवश्य करनी होगी तथा साथ साथ कुछ व्यक्तियों का स्थायीकरण भी करना होगा। अतएव सरकार ने ५० प्रतिशत कर्मचारियों को तत्काल स्थायी बना दिया। इस संख्या को भी काफ़ी नहीं समझा गया क्योंकि सदैव अस्थायी रहने से कार्यक्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण दो वर्षों के अन्दर अन्दर उस संख्या को ८० प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अस्थायी कर्मचारियों की ८० प्रतिशत संख्या को पहले से ही स्थायी बनाया जा चुका है। शेष के सम्बन्ध में कुछेक परिस्थितियों से सरकार विवश है। परन्तु उन के बारे म भी और उपाय किये जा रहे हैं। अर्ध-स्थायीकरण भी एक ऐसा उपाय है। इसके कई एक लाभों में से एक लाभ यह है कि जैसे जैसे नौकरियां खाली होती जायेंगी, इन लोगों

[श्री दातार]

को स्थायी बनाया जायगा । यदि नौकरियां खाली न भी हों तो उन्हें और लाभ दिए जाते हैं । असिस्टैन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा असिस्टैन्टों के बारे में यही प्रश्न उठे थे तथा सरकार ने उन में से भी कुछ अधिकारियों को स्थायी कर दिया है । अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होने से एक नियमित अस्थायी स्थापना कायम की गई तथा उस में १२०० व्यक्ति अभी तक लिए गए हैं । जैसे जैसे स्थिति सुधरती जायगी, उन्हें सेवाओं में विलीन कर लिया जायगा ।

कल यह मांग की गई थी कि तीन वर्ष के सेवा-काल वाले सभी अधिकारियों को स्थायी कर दिया जाय । अब क्या भारत सरकार जैसी किसी सरकार के लिए इन सभी अधिकारियों को स्थायी करने का भार स्वीकार करना संभव है ? कहा गया है कि सरकार बहुत धन का व्यय करती है तथा कि करारोपण की अन्तिम सीमा पहुंच चुकी है । ये दोनों बातें संगत नहीं हैं । सरकार को बीच का मार्ग अपनाना पड़ता है तथा वह यह है कि अस्थायी कर्मचारियों को यथासंभव संख्या में स्थायित्व या अर्ध-स्थायित्व के लाभ दिये जायें । श्रीमान, आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि अभी तक २०,००० व्यक्तियों को अर्ध-स्थायित्व के प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं । प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन पर हम देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ऐसे प्रमाण पत्रों का अधिकार है तथा उन्हें ये प्रमाणपत्र दिए जाते हैं ।

एक और सवाल यह उठाया गया है कि इन सरकारी कर्मचारियों को बाहर के व्यक्तियों के निदेशाधीन अपने संघ बनाने की इजाजत नहीं है । इससे भी एक मूल प्रश्न उठता है । जहां तक इन संघों या संस्थाओं का सम्बन्ध है, सरकार की नीति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं । एक तो उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी है जिन्हें कुछ न कुछ अधिक स्वतंत्रता दी जा सकती है, परन्तु जहां तक अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे ऐसे कर्मचारी हैं जिन का प्रशासन से प्रत्यक्ष संबंध है । उन के सम्बन्ध में निष्ठा की अधिक आवश्यकता है । इस कारण सरकार असरकारी व्यक्तियों नेताओं या कार्यकर्त्ताओं को इन संस्थाओं के सदस्य बनने की अनुमति नहीं दे सकती । इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को उन व्यक्तियों के पूर्वजीवन के बारे में सन्तोष हो ।

जहां तक इन कर्मचारियो का संबंध है उन्हें कभी दासता में नहीं रखा गया है । इस प्रकार की उठाई गई विवादग्रस्त सभी बातें निराधार हैं । अतएव सदन से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात पर विचार करे कि हमारे देश में सर्वोत्तम लोक-सेवाएं हैं जिन पर कोई देश भी गर्व कर सकता है तथा कि बड़े बड़े अधिकारी भी स्वयं को परिवर्तित स्थिति के अनुकूल बना रहे हैं यदि वे ऐसा नहीं करते तो स्वाभावतः उन्हें सेवा से निकलना पड़ेगा । परन्तु सौभाग्य की बात है कि वे भी भारतीय हैं तथा देश-भक्त हैं ।

इस कारण इस सदन के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि पंचवर्षीय योजना में निश्चित किए गये उद्देश्यों की प्राप्ति में——जहां तक प्रशासन की अधिकतम क्षमता का सम्बन्ध है——सरकार को अपना सहयोग दे ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : मुझे किसी और बात की अपेक्षा केन्द्रीय प्रशासन बोर्ड में अधिक रुचि है । यह बोर्ड सेवाओं पर नियंत्रण करता है तथा

राज्यों और केन्द्र से अधिकारियों को चुनता है। इन सेवाओं का केन्द्रीय रूप से समूहीकरण किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च प्रशासनीय सेवाओं में लिया जाता है ।

यह एक विचित्र बात है कि इस बोर्ड के छः या सात सचिव सदस्य स्वयं इस समूहीकरण में सम्मिलित होना चाहते हैं इस से एक निहित स्वार्थ की स्थापना हो गई है। पहले ये लोग 'लोह आवरण' समझे जाते थे परन्तु पहले से अब 'लोह आवरण' बहुत बुरा सिद्ध हो रहा है। इनमें से प्रत्येक का कोई न कोई अपना व्यक्ति होता है जिसे कि वे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में उपसचिव सयुक्त सचिव या सचिव के रूप में स्थानान्तरित करते रहते हैं ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय प्रशासनीय सेवा का पहले यह उद्देश्य हुआ करता था कि राज्यों से अधिकारी केन्द्र में आ कर अनुभव प्राप्त कर के अपने राज्यों को वापस चले जाते थे तथा उस अनुभव का लाभ अपने राज्यों को देते थे। परन्तु अब जो कोई भी वहां से आता है, यहां पर रह जाता है । कारण यह है कि अब दिल्ली में जीवन अधिक अच्छा मालूम होता है और व्यापारी लोग भी अपने अपने 'पिट्ठुओं'की सहायता से लाभ उठाना चाहते हैं ।

डा० काटजू : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न के हेतु, माननीय सदस्य ने कुछ अधिकारियों के सम्बन्ध में अनुचित बातें कही हैं। उन्हें सम्भवतः पता होना चाहिये कि केन्द्रीय प्रशासनीय बोर्ड केवल सचिवालय की नियुक्तियों के बारे में ही कार्यवाही करता है। उन की सिफारिशों को एक मंत्रिमंडल की समिति के सामने रखा जाता है जो अन्तिम रूप से नियुक्तियों के फैसले करती है । इस कारण बोर्ड इन नियुक्तयों के फैसले नहीं करता। उन के लिए यह कहना उचित नहीं है कि उन के अपने 'पिट्ठू' होते हैं जो उन्हें नियुक्तियों के सम्बन्ध में सहायता देते हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं प्रायः देखता हूं कि जब कभी हम केवल इस कारण किसी अधिकारी का नाम लेते हैं कि वे लोग ही सरकारी नीति का निर्माण करते हैं तो माननीय मंत्री तुरन्त ताड़ना से काम लेते हैं।

डा० काटजू : मैं कहता हूं कि आप मुझ पर आक्षेप करें, परन्तु उन अधिकारियों पर आक्षेप न करें जो अपना बचाव पेश करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल वह कुछ कह रहे हैं जो आप को पसन्द नहीं तथा गृह कार्य मंत्री आप को तथ्य बतला रहे हैं। आप अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान, आप ने स्थिति को ठीक समझा है कि अधिकारियों का केन्द्रीय रूप से समूहीकरण किया जाता है तथा जिन व्यक्तियों को यह समिति पसन्द नहीं करती, वह इस समूहीकरण में नहीं लिए जाते हैं। मैं कुछेक अधिकारियों को जानता हूं जो तीन चार मंत्रालयों में घूम चुके हैं तथा जो अपने प्रान्तों को वापस लौटना नहीं चाहते। मुझे इन अधिकारियों के वेतन, अधिकारों आदि से कोई ईर्ष्या नहीं है । मैं तो केवल अच्छे प्रशासन में रुचि रखता हूं तथा चाहता हूं कि ये अधिकारी केन्द्र के विस्तृत अनुभव को प्राप्त कर के अपने प्रान्तों को लौटें तथा वहां इस अनुभव का प्रयोग करें जिस से उन राज्यों का भला

[श्री सारंगधर दास]

हो । इसके बिना प्रशासन में सुधार कैसे हो सकता है ?

मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय बोर्ड में ये सचिव लोग न लिए जायें । यह काम संघीय लोक-सेवा आयोग को सौंपा जाना चाहिये । यहां के सचिवालय में कई एक ऐसे अधिकारी हैं जिन की उपेक्षा करते हुए 'जूनियर' अधिकारियों को उन्नति दे दी जाती है ।

केन्द्रीय बोर्ड के बारे में एक बात और भी कही जाती है । जहां तक मेरी सूचना है, वे लोग मंत्रालय की सिफारिशों में भी बहुत हस्तक्षेप करते हैं । मैं एक बड़े उच्च अधिकारी के बारे में जानता हूं कि उस के विरुद्ध कुछ अपराधों के होने से माननीय मंत्री ने उस सेवा को स्थगित करने की सिफारिश की थी । हो सकता है यह ग़लत हो, परन्तु सुनने में आया है कि बोर्ड ने मंत्रालय के मार्ग बाधाएं उपस्थित करने की चेष्टा की जिसस मामले को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपा गया जिस की जांच के अनुसार सभी अपराध ठीक सिद्ध हुए । इस से पता लग जाता है कि बोर्ड इतना प्रभावशाली है या कम से कम इस के कुछ सदस्य इतन प्रभावशाली हैं कि उन्होंने अधिकारो के बचाव तक का भी प्रयत्न किया तथा यह कहने में संकोच नहीं किया कि इतने बड़े अधिकारी के विरुद्ध इतने अपराधों का लगाना ग़लत बात है । इस से पता चल जाता है कि यह लोह आवरण अब ब्रिटिश समय से भी अधिक बुरा हो गया है ।

श्रीमान्, मैं कुछेक शब्द मितव्ययता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आज से कुछ वर्ष पहले आंक समिति ने कुछ मंत्रालयों में मितव्ययता की सिफारिशें की थीं जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है । जब स्वयं वित्त मंत्रालय में ४,००० रु० प्रति मास का वेतन पाने वाले दो सचिव हों जबकि ब्रिटिश समय में केवल एक ही सचिव से काम चलता था तो वह दूसरे मंत्रालयों से मितव्ययता के लिए किस प्रकार कह सकता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

गृह-कार्य मंत्रालय में भी एक विशेष सचिव महोदय काम करते हैं तथा मेरे विचार से दो सचिव हैं । इसी प्रकार से म समझता हूं कि गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय में भी दो सचिव काम करते हैं । मेरा कहना है कि यदि एक व्यक्ति अपने अधीन अवर सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव तथा अनेक अन्य कर्मचारियों की सहायता से भी काम को नहीं चला सकता तो उसे इस पद से हटा दिया जाना चाहिये । अखिल भारतीय सेवाओं में ऐसे लोग हैं जो अकेले काम को चला सकते हैं ।

मितव्ययता का एक पहलू और है, जिसका सम्बन्ध भी इस आडम्बर को बन्द करने से है । मेरा संकेत चपड़ासी व्यवस्था की ओर है । आप देखते होंगे कि एक मंत्री के ६ चपड़ासी हैं, एक उच्चाधिकारी के दो या तीन और एक अवर सचिव का एक । पुराने ज़माने में जबकि टेलीफोन या तार की सर्विस नहीं थी या बहुत कम थी, चपड़ासी संभवतः आवश्यक थे । परन्तु अब कि हमें बहुत सी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं, चपड़ासियों की इस लम्बी चौड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है । लोकतंत्र में यह चीज़ शोभा नहीं देती कि थोड़े से पत्र या फ़ायल या बंडल उठाने के लिए या कारों का दरवाज़ा खोलने के लिये मंत्री या पदाधिकारी चपड़ासियों पर निर्भर करें । मेरे विचार में कई हज़ार चपड़ासी इस तरह राष्ट्र का

समय नष्ट कर रहे हैं। इन से और रचनात्मक कार्य लिया जा सकता है ।

केन्द्रीय पुलिस स्थापना के बारे में उपमंत्री महोदय ने कहा है कि इस ने बहुत से मामले रजिस्टर किये हैं। हमें रजिस्टर्ड मामलों की संख्या में दिलचस्पी नहीं है । हम तो यह जानना चाहते हैं कि दंड कितने मामलों में दिया गया है। कुछ समय पूर्व वाणिज्य मंत्रालय के एक मामले की ओर, जिस में २ लाख साइकलों के आयात के लिए, लाईसेंस दे दिया गया था, निर्देश किया गया था । यह मामला उच्चन्यायालय में गया था और चार मास बीत चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ।

पंडित एम० बी० भार्गव (अजमेर–दक्षिण) : कल से हम अपनी सेवाओं की निन्दा ही सुन रहे हैं। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने सेवाओं को पूर्णतया अक्षम, अकार्य-कुशल और भ्रष्ट बतलाया है । कुछ एक ने इन की प्रशंसा भी की है । किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात का खंडन नहीं किया जा सकता। पिछले पांच या ६ वर्ष हमारे देश के लिए संकट के वर्ष थे। यदि सेवाओं ने ईमानदारी और सेवा निष्ठ भाव से काम न किया होता, तो हमारे राष्ट्र के नेताओं के लिए संकट पर काबू पा लेना संभव न होता। अतः सामूहिक रूप से सेवाओं की निन्दा करना उचित नहीं है ।

एक बात हमें याद रखनी चाहिए। चूंकि हमारे अधिकांश कर्मचारी ब्रिटिश काल के हैं, इस लिए उन में नौकरशाही अभिमान और पृथक्वाद की भावना अभी है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण के प्रति उन के रवैये में परिवर्तन लाया जाये। चूंकि पंचवर्षीय योजना उन्हों ने ही कार्यान्वित करनी है, इस लिए जनता के सम्पर्क में आना उनके लिए आवश्यक है। गृह मंत्री को मैं यह सुझाव दूंगा कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और अन्य सेवाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकारी खर्च में बहुत बचत की जा सकती है। इस सम्बन्ध में, मैं आप का ध्यान प्राक्कलन समिति की १९५०-५१ की रिपोर्ट की ओर दिलाता हूं। समिति ने सुझाव दिया था कि उस की राय में कुछ अधिक वेतन वाले अधीक्षक पद जैसा कि संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप-महासंचालक, अवर सचिव आदि बिल्कुल अनावश्यक हैं और इन्हें उड़ा देना चाहिए। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इन सिफारिशों पर ध्यान देने का अवसर मिला है। यदि सरकार कुछ कारणों से इन सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे सदन को स्पष्टीकरण देना चाहिए और वह कारण बतलाने चाहिएं ।

सेवा काल के सम्बन्ध में, प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि उस पुरानी प्रथा को जिस के अनुसार उच्च पदाधिकारियों को नियमित रूप से केन्द्र से राज्यों में और राज्यों से केन्द्र में भेजा जाता था, पुनः शुरू किया जाये। यह एक बहुत लाभप्रद प्रथा है क्योंकि इस से केन्द्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श और नीतियों के सम्बन्ध में मेलजोल बढ़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या पग उठाए गए हैं।

सरकार ने वेतन आयोग की इस सिफारिश को कि किसी पदाधिकारी को ३००० रुपये से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए स्वीकार कर लिया था। प्राक्कलन समिति ने यह

[पंडित एम० बी० भार्गव]

सुझाव दिया था कि उन पदाधिकारियों को जिनका वेतन ३००० रुपये से अधिक है, स्वेच्छा से अपने वेतन का कुछ भाग सरकार को वापस करने के लिए प्रेरित किया जाये । मैं जानना चाहुंगा कि इस सम्बन्ध में क्या पग उठाया गया है ।

हम समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि पंजाब सरकार ने उन पदाधिकारियों को, जिन का वेतन ७५० रुपये से अधिक है महंगाई भत्ता या सवारी भत्ता देना बन्द कर दिया है । यदि पंजाब में ऐसा किया जा सकता है, तो यहां क्यों नहीं किया जा सकता ?

प्राक्कलन समिति की एक सिफ़ारिश असिस्टैंटों के बारे में थी । अनुसचिवीय कर्मचारियों में से असिस्टैंटों की संख्या १९३९ में ५०० थी । किन्तु १९५१ में यह इस से पांच गुणा थी । अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि चूंकि असिस्टैंटों का बहुत सा काम साधारण क्लर्क ही कर सकते हैं, इस लिए दूसरी श्रेणी के क्लर्क पुनः रखे जायें और उन असिस्टैंटों का जिन का काम साधारण रूप का है, स्तर घटा कर, उन्हें दूसरी श्रेणी के क्लर्कों के स्तर पर लाया जाय इस से बचत होगी और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी ।

समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है असिस्टैंटों को मुकाबले की परीक्षा द्वारा भर्ती करने का तरीका फिर से चालू किया जाये । मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि चपड़ासियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है और उस ने संदेशवाहक सर्विस जारी करने और चपड़ासियों की संख्या घटाने की सिफ़ारिश की है ।

टेलीफोन के व्यय में बचत करने के लिए प्राक्कलन समिति ने कहा था कि केवल उन पदाधिकारियों को घर पर टेलीफोन रखने की आज्ञा दी जाये, जिन्हें सरकारी काम के लिए इस की आवश्यकता हो । ट्रंक काल्ज़ का एक रजिस्टर खोलने के लिए भी सुझाव दिया गया था, जिस में प्रत्येक काल दर्ज की जायेगी । ये सुझाव मितव्ययता के प्रयोजन के लिये दिये गये थे और मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इन्हें कार्यरूप में परिणत किया है ।

भाग ग राज्यों का प्रश्न भी इस वाद विवाद में उठाया गया है और कुछ मित्रों ने कहा है कि इन्हें तत्काल समावृत क्षेत्रों के साथ मिला देना चाहिये । इस विषय पर मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि भाग ग राज्य विधेयक नवम्बर १९५१ में बहुत चर्चा और विचार के बाद पारित किया गया और इन राज्यों में उत्तरदायी सरकार को स्थापित हुए केवल ११ मास ही हुए हैं । अभी इस प्रयोग पर निर्णय देने का समय नहीं आया । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न को, जिस पर हाल में ही निर्णय किया गया है, इतनी जल्दी से फिर नहीं उठाना चाहिए ।

अन्त में, मैं माननीय गृहमंत्री को यह कहना चाहूंगा कि आबू का प्रश्न राजस्थान के लिए जीवन और मौत का प्रश्न है । भूगोल, संस्कृति, भाषा और इतिहास की दृष्टि से आबू राजस्थान का अंग है । इसे जल्दी पुनः राजस्थान के साथ मिला देना चाहिये ।

श्री नामधारी (फाजिल्का-सिरसा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय होम मिनिस्टर को मुबारकबाद देने में उन भाइयों के साथ शामिल होता हूं जिन्होंने मुझ से पहले उन्हें धन्यवाद दिया है । लेकिन तभी मेरे दिमाग़ में एक सवाल पैदा हुआ कि यह होम मिनिस्ट्री इन कम्युनिस्टों के इतने शोरशराबे और तूफान उठाने के बावजूद एक मज़बूत चट्टान की तरह कैसे खड़ी रही और कैसे सारा इन्तज़ाम अपना मुकम्मिल रक्खा और कोई गड़बड़ नहीं होने दी । इस प्रश्न का उत्तर खुदबखुद मेरे पास आगया कि जैसे कैलाश पर्बत एक बड़ी मज़बूत चीज़ है, उसी तरह इस मुहकमे के मालिक भी तो कैलाश के नाथ पति उस के मालिक हैं, इस वास्ते यह कोई ताज्जुब की बात नहीं । और मैं इसी सिलसिले में अपने भाइयों का ध्यान ज़रा भगवान विष्णु के चित्र की तरफ़ दिलाना चाहता हूं, भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में से हमें एक एक एडमिनिस्ट्रेशन का सार मिलता है । एक भुजा में चक्र है, चक्र का मतलब स्पीड से होता है, इस कलियुग के काल में थोड़ी सी आयु होने से एक सेकेन्ड भी ज़ाया नहीं करना चाहिये । दूसरी भुजा में शंख है, यह शंख उस प्रोपेगेन्डा से बचाने के लिए है जिस के ज़रिये यह लोगों को एक्सप्लायट करते हैं और धोका देते हैं, उस धोके से बचाने के वास्ते वह शंख हाथ में रक्खे हैं, आज जो लोग अपनी ऊंगली में खून लगा कर शहीद होने वाली पार्टी के साथ हो गये हैं, वह पार्टी जिस ने पिछले सौ वर्ष में भारतमाता को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी की, आज यह उस के मुक़ाबले में खड़े हो गये हैं, तो उस शंख के द्वारा लोगों को उन कम्युनिस्टों के मिथ्या प्रचार से लोगों को सावधान करना है । तीसरी भुजा में लक्ष्मी जी खड़ी हैं जिसका मतलब यह हुआ कि हमें सदा अपने मुल्क की फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन को साउन्ड रखना है, क्योंकि जिस देश की आर्थिक पोज़ीशन कमज़ोर हो जाती है, वह देश दुनिया में चल नहीं सकता । और चौथी भुजा में गदा है डंडा है और वह होना निहायत ज़रूरी है और मैं समझता हूं कि भगवान विष्णु का जो मैंने वर्णन किया है उस से हमें पूरा सबक़ मिल जाता है कि किस तरह हमें अपने देश का शासन कार्य चलाना चाहिए और मैं तो समझता हूं कि अगर हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को उन के नकशे कदम पर चलायें तो हम अपने देश का भली भांति सफलतापूर्वक इन्तज़ाम कर सकते हैं ।

मैं अपने हिन्दू सभाई और रामराज्य परिषद् वाले भाइयों की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्यों उन कम्युनिस्टों के साथ घुस कर बैठे हुए हैं, आप के और उन के बीच में तो कुछ भी कौमन नहीं है । मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि दुनिया में प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती । आप ने देखा कि किस प्रकार महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर चल कर राम की शक्ति से बड़े बड़े हवाई जहाज़ों, एटम बमों और तोपों आदि का मुंह बन्द कर दिया और एकमात्र उस राम की शक्ति से, रघुपति राघव राजाराम के बल पर देश को विजयश्री पहनाई और देश ने आज़ादी प्राप्त की । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस राम को जिस को आप और हम दोनों नमस्कार करते हैं उस राम का नाम लेकर और उस की भक्ति बल से जिन लोगों ने भारत के लिए आज़ादी प्राप्त की, उन लोगों और पंडित जवाहर लाल सरीखे देशभक्त वीरों की मुख़ालफ़त कर के आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, मैं आप को सावधान किये देता हूं कि दुनिया की कोई ताक़त भी जब तक ट्रुथ यानी सच्चाई हमारे पास है, हम को

[श्री नामधारी]

ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम में सच्चाई अब नहीं रह गई है, तो फिर ज़रूर हमारा अन्त हो जाना चाहिए, मैं तो इस बात के हक में हूं । राम नाम में कितनी शक्ति है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं ने आप के सामने बतलाया । इसी सिलसिले में मैं आप से अर्ज़ करूं कि एक दफ़ा जयपुर में मैं तक़रीर कर रहा था तो मेरे ऊपर यह सवाल किया गया कि वह सीता माता जो अपनी रसोई में झाड़ू देते वक्त शिव धनुष को एक हाथ से उठा कर झाड़ू दे दिया करती थी और जो धनुष स्वयंवर में रावण से उठाया नहीं गया उन सीतामाता को रावण कैसे उठा कर ले गया ? लेकिन जवाब मुझे मिल गया, सीतामाता जगदम्बा थीं और सर्वशक्तिमान् थीं, लेकिन उन के पतिदेव और आराध्य देव ने कुटिया के बाहर जो उनके लिए एक लकीर खींच दी थी, मर्यादा बांधी थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया और शार्ट सर्कट हुआ इस लिये बल जाता रहा और इस कारण रावण उनका हरण करने में कामयाब हो सका, तो इस से हमें यही सबक़ लेना चाहिए कि हमें अहंकार छोड़ [illegible] जी के पद-चिन्हों और बताये हुए मार्ग पर भक्ति-भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए ।

तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि बात तो यह होनी चाहिये थी कि धर्म की ताकत से यह चीज प्राप्त होती है । सैक्रिफाइस करनी होती है, पंडित जवाहर लाल नेहरू ऐसे ही आ कर यहां नहीं बैठ गये । अपनी फैमिलीज की कुर्बानी के बाद यहां आये । आप लोगों को इस बात को सोचना चाहिये और झगड़े को मिटाना चाहिये, बढ़ाना नहीं चाहिये ।

कश्मीर के बारे में इतनी चर्चा हुई जो कि मेरे समझ में नहीं आई । आप को मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, सेकुलर गवर्नमेंट कौन होती है ? गवर्नमेंट आफ गाड । जैसे ईश्वर की खुदाई में सब इन्सानों को बराबर का हक है उसी तरह सेकुलर गवर्नमेंट में हर इन्सान बराबर के हक से रह सकता है । तो सेकुलर गवर्नमेंट का हमारे ऊपर क्या असर हुआ ? आप यह देखिये कि हमारा इस से इतना फायदा हुआ है कि आज पाकिस्तान एक आइलैंड बन गया है और तमाम मुसलिम पावर्स हमारी दोस्त हैं । हिन्दुस्तान के लिये ब्रिगेडियर उस्मान जैसे आदमियों ने जान दी, हमारी गोमाता की रक्षा के लिये हमारे मुसलमान भाइयों ने जोर दे कर दिल्ली गोवध बन्द करवाया । यह हमारी सेकुलर गवर्नमेंट और हमारी सेकुलर पालिसी का असर हुआ है, इस से आप को देखना चाहिये, इस में हम लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिये । अगर हमारी सेकुलर पालिसी न होती तो पंजाब एक कोरिया बन गया होता ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष–पद पर आसीन]

आज पंजाब मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू की सेकुलर पालिसी की वजह से बचा हुआ है नहीं तो वहां लाखों आदमियों का खून हो गया होता । हिन्दू तो बड़ी भारी चीज थी, वह एक समुद्र था जिस में आस्तिक भी आ सकता था और नास्तिक भी आ सकता था । इस लिये आप बड़े हिन्दू बनिये, छोटे हिन्दू न बनिये जिस में आप सारे मुल्क की तरक्की कर सकें ।

जब मैं ने कश्मीर के मामले को देखा तो उस में मुझे गड़बड़ की बात ही नजर नहीं आई । २२ अक्तूबर को अटैक होता है, २३ अक्तूबर को राजा साहब भाग जाते हैं, २२ तारीख को अटैक होता है और

मुजफ्फराबाद में नैशनल कान्फ्रेन्स के लीडर मास्टर अब्दुल अज़ीज़ को गोली से मार दिया जाता है । उस के बाद बारामूला में एक नैशनल कांन्फ्रेन्स के लीडर को दरखत से बांध कर चौदह गोली से मारा जाता है । दूसरी जगह पुंछ में नैशनल कान्फ्रेन्स के लीडर को उल्टा लटकाया और नीचे से आग लगा कर खत्म किया गया । उस के बाद भी वहां के मुसलमानों ने क्या क्या जुल्म सहे । अगर उन के दिल में मुसलमान होने का खयाल होता तो बड़े प्रेम से कल्मा शरीफ पढ़ कर अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिल सकते थे । तो सोचना तो यह चाहिये था कि उस तूफान बदतमीजी में भी जब कि जम्मू में मुसलमानों का खात्मा हो रहा था यह लोग हमारे साथ रहे । इस सब को देख कर कम से कम हम को सब बातों का फैसला प्रेम से करना चाहिये था । उन्होंने झंडे की बात को मान लिया और सदरे रियासत की बात को भी मान लिया । जब तक राष्ट्रपति जो कन्फर्म नहीं करेंगे तब तक कोई आदमी सदरे रियासत नहीं हो सकता । इन हालात में क्या जरूरत है मुल्क में गड़बड़ी फैलाने की ? अगर थोड़ी सहूलियत से गौर किया जाय तो कोई गड़बड़ी की बात इस में आप को नजर नहीं आयेगी ।

राजप्रमुखों के बारे में मैं ने कल दो तीन बातें सुनीं । मैं तो इस बात पर यकीन करता हूं कि जो सच्चाई की बात है उस को अपने बाप से कहने में भी हर्ज नहीं होता । और हमारी तो सभ्यता ही है कि रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहिं पर वचन न जाही । अगर हम अपने वचनों से कभी भी हटेंगे कभी भी तो ठीक न होगा । हम तमाम रियासतों को दो कैटेगरी में रखते हैं । एक तो हमारे नशनल हीरोज हैं जिन्होंने खुद बखुद अपनी रियासतें आफर की हैं जैसे ग्वालियर है, पटियाला है, जयपुर है दूसरी कैटेगरी ऐसी रियासतों की है जैसे हैदराबाद कश्मीर और जूनागढ़ जिन्होंने हम से मिल कर काम नहीं किया और हम को सर्जन बन कर काम लेना पड़ा है । उन के साथ आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें ट्रीटमेंट कीजिये । हम ने राजप्रमुखों को अफसर बना कर के नहीं रक्खा है, हम ने तो उन की स्पिरिट देखी है, उन को नैशनल हीरोज मान कर उन की जगहों पर कायम किया है । आप को भी इसी नुक्ते नज़र से सोचना चाहिये ।

दूसरी बात मैं सिक्ख भाइयों से कहना चाहता हूं कि वह किसी गलतफहमी के शिकार न हों । क्योंकि जहां तक हर हिन्दुस्तानी के साथ गवर्नमेंट के ताल्लुक का सवाल है वह तो सब के साथ यूनिवर्सली हमदर्द है, वह सब के साथ एक सा सुलूक करना चाहती है, यह बात दूसरी है कि किसी की लीडरशिप में कमी आती हो इस लिये वह लोगों को गुमराह करने की बात करे । मैं ने देखा अख्बार में कि जो बड़ी भारी अकालियों की कान्फरेन्स हुई उस में उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो ठीक नहीं है । मैं नहीं चाहता कि सिक्ख कौम मिसलीड हो क्योंकि सिख कौम के साथ मुझे हमदर्दी है । वह तो हमारे बहादुर सिपाही हैं, लेकिन वह इतने नेक नियत हैं कि वह बहुत जल्द प्रोपेगेन्डा के शिकार हो जाते हैं । इस लिये में उन को सावधान करना अपना फर्ज समझता हूं । उन्होंने कहा कि पेप्सू ओनली नान कांग्रेस मिनिस्ट्री थी जिस को उन्होंने हटाया । लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है । पेप्सू की बात तो छोड़िये क्योंकि वहां हमारी सिर्फ तीन आदमियों की मैजारिटी थी । पंजाब की मिनिस्ट्री को जिस में ८० आदमियों की मैजारिटी थी, उस को पहले खत्म किया । असल बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि राष्ट्रपति जी की यह

[श्री नामधारी]

पालिसी बड़ा मुबारक खयाल है । वह किस वजह से ? इस वजह से कि हिन्दुस्तान में जितनी मिनिस्ट्रियां हैं, कांग्रेस या नान कांग्रेस वह इस डर से करप्शन, नेपाटिज्म वगैरह को दूर कर देंगी । यह सवाल मैजारिटी या नान मेजारिटी का नहीं है । सवाल एफिशिएन्सी का है । इस लिये यह कहना गलत बात है कि नान कांग्रेस मिनिस्ट्री पर अटैक किया गया । सब से पहले कांग्रेस मिनिस्ट्री को खत्म किया गया ।

दूसरी बात यह कही जाती है कि सिक्खों में से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ । हिन्दुओं की ३४ जातें ले लीं और सिक्खों की सिर्फ चार जातें लीं । मैंने सरदार पटेल की स्पीच का पुराना रिकार्ड भी देखा । उस में पहले ज्ञानी कर्तार सिंह ने कहा कि सिक्खों में कोई जात पांत नहीं है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, लेकिन जब देखा कि मिठाई बंटने लगी है तो कहने लगे कि हम में शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं । तो उस वक्त उन्होंने कम्प्रोमाइज़ किया कि हमारी चार जातें ले लो तो ठीक हो जायगा । मैं समझता हूं कि उन्होंने सिक्खों के साथ बड़ी भारी डिससर्विस की चीज को गलत रिप्रेजेन्ट कर के । यहां कोई रिलिजन का सवाल नहीं था । बाप सिक्ख है, बेटा हिन्दू है । तो हिन्दू तो ३४ में आ जाते हैं लेकिन सिक्ख नहीं आते हैं । मैं उन से कहता हूं कि जहां तक सिक्खों का सम्बन्ध है उन के लिये सब ठीक हो जायेगा । बैकवर्ड क्लासेज कमिशन बन चुका है । उस में सारी बातें देखी जायेंगी और जो वाजिब होगा वह किया जायेगा, लेकिन उन को पोलिटिकल कैपिटल नहीं बनाने दिया जायेगा कि वह कहें कि सरकार ने सिक्ख कौम के साथ गलत काम किया । ऐसी ऐसी ही बातें सिक्खों को गलत बतलाई जाती हैं । आप को मैं यकीन दिलाता हूं कि सेकुलर गवर्नमेंट हो जाने में हर धर्म की रक्षा करना, हर मजहब से प्रेम करना हर इन्सान का फर्ज है । आप को याद होगा कि सिक्खों की कृपाण की पवित्रता के लिये अंगरेजी राज्य में सिक्खों को कितनी जद्दो जहद करनी पड़ी । बड़े बड़े लीडर कैद हुए और बाद में अंगरेजों ने कृपाण को आजाद किया । लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कृपाण की पवित्रता का खयाल करते हुए उस को आजाद रक्खा और अपने विधान में एन्टर किया कि यह सिर्फ सिक्खों के लिये किया गया है । लोगों में गलत फहमी फैलाते हैं कि सिक्खों की सर्विसेज नहीं हैं । उन के साथ कोई फालोइंग नहीं है । मैं समझता हूं कि जैसे ध्यान चन्द जैसे हाकी के प्लेअर कोई हो तो उस को टीम में खिलाया ही जायगा । चूंकि सिक्खों को गुरू की बख्शी हुई चीजें हैं इस लिये वह खुद ही अपने आप आ जाती हैं । पंजाब के तीन मिनिस्टर सिक्ख हैं, इन्स्पेक्टर पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रटरी, इन्स्पेक्टर जेनरल कश्मीर, और सेन्टर में एक नहीं दो मिनिस्टर सिक्ख । यह बात दूसरी है कि गुरू साहब के सिक्ख यहां हो गये हैं, दूसरे नहीं हुए हैं । इस का इन्तजाम नहीं किया जा सकता । मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है कि मुझे अकाली जनता से प्रेम है, तमाम सिक्खों की सेवा करने के लिये हम तैयार हैं, लेकिन जो लोग लीडरशिप के लालच में आ कर प्रोपेगेन्डा कर के ट्रबल पैदा करना चाहें उन से मैं कहूंगा कि वह सिक्खों के साथ भलाई नहीं कर रहे हैं । लाहौर में इस पालिसी ने मुसलिम लीग का झंडा फाड़ा और हमारे हजारा और रावलपिंडी के बहुत से हिन्दू और सिक्ख तबाह हुए । अब सिक्खों को भ्रम न होना चाहिये । अगर उन को भ्रम में डाला गया और उन को मुसीबत में डाला गया तो उन की तबाही

का कौन जिम्मेदार होगा । मैं अपील करता हूं, बुजुर्गों की हैसियत में मैं हर लीडर की इज्जत करता हूं कि वह मुल्क को आगे जाने के लिये छोड़ दें । आप में से जो लोग ताश खेलते होंगे वह जानते होंगे कि एक से दो मारा जाता है तीन से दो को और बादशाह से बेगम को मारा जाता है, लेकिन बादशाह को एक्का मार देता है । यानी यूनिटी से सब कुछ हो सकता है । तो इस का मतलब यह है कि सिक्खों को इकट्ठा होना चाहिये, हम सब की खिदमत करने को तैयार हैं । हम किसी को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते । अगर एक आदमी बड़ा पुराना लीडर है तो ठीक है, मुबारक है । हम शरूसी तौर पर उस की इज्जत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बाप भी बच्चे को मारना शुरू कर देंगे तो उस को तो रोकना ही पड़ेगा । किसी तरह हमारी कौम तो तबाही से बचे ।

उन्होंने तो सरदार हुकुम सिंह जैसे नेक आदमी को प्रेसीडेंटी से निकाल दिया । जितने पहले अकाली प्रेसीडेंट थे बाबा खड़ग सिंह और दूसरे लोग जिन्होंने कुरबानियां कर के सिक्खों की शान को चमकाया था उन सब को निकाल दिया । मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि तकसीम कांग्रेस ने करवाई । मैं कांग्रेस को ३० साल से देख रहा हूं । मुस्लिम लीग ने डिमांड किया और अकालियों ने आजाद पंजाब मूवमेंट शुरू किया डिवीज़न से एक दो साल पहले । मैं ने अपोज़ीशन को लीड किया । सिर्फ फर्क यह था कि बाउंडरी चिनाव पर हो जाय या रावी पर हो जाय । कांग्रेस को कम्युनलिस्टों ने कारनर कर लिया और वह मजबूर हो गई इस बात को मानने के लिये । तो खुद ने तो तकसीम की और लोगों को मरवाया और आप ही चौधरी बन रहे हैं । मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । १५ मिनट का वक्त मुझे मिला है । टाइम के लिहाज से तो यह ठीक है लेकिन मेरी कैपेसिटी और वाल्यूम को देखते हुए यह वक्त कम मिला है ।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में । यह कहा जा रहा है कि ३३ मेम्बरों में से सिर्फ एक ही सिक्ख मेम्बर है । मुल्क की आबादी ३३ करोड़ है । इस हिसाब से ३ करोड़ पर एक मेम्बर होना चाहिये । मगर सिक्ख तो ५० लाख ही हैं फिर भी एक मेम्बर सिक्ख बनाया गया है । तो इस सारी बात को सोचना चाहिए । मैं इस से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । मैं सब से यही अपील करता हूं कि जहां तक हो सके ताकत को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ और मासेज़ का फायदा देखो, ज़ाती फायदा न देखो । मैं तो ऐलान करता हूं कि अगर नेशन मुझे चपरासी का काम भी दे तो मैं उसे फख्र के साथ करूंगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : हमारे सहयोगियों ने राज्य मंत्रालय पर सविस्तार बहस की है । मैं केवल वह बातें कहना चाहता हूं जिन का उन्होंने उल्लेख नहीं किया ।

पहली बात तो यह है कि हम ने अभी तक इस गरीब देश ने राजप्रमुखों को, जिन्हें हर साल ४,४०,८०,००० रुपये देने पड़ते हैं, नहीं हटाया । इन्हें जितनी जल्दी हटा दिया जाये, उतना ही अच्छा है ।

दूसरी बात यह है भूतपूर्व राज्यों के कर्मचारियों को संघ सेवाओं में लेते समय उन के साथ बहुत अन्याय किया गया है । चूंकि राज्य सरकार उन्हें बहुत कम वेतन देती थी, इसलिए उस स्तर के अनुसार उन्हें सब से निचली श्रेणी में रखा गया है डाक और तार विभाग में २० या २५ वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को ६० रुपये का प्रारंभिक वेतन दिया गया है । माननीय

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

मंत्री को इस का हल निकालना चाहिए। मेरे विचार में इस का एक ही हल है और वह यह है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य को एक पृथक् खंड या यूनिट माना जाये और इस यूनिट में पदोन्नतियां केवल इस यूनिट के पदाधिकारियों को दी जायें।

एक और प्रश्न जो उस राज्य की जनता को विकल किये हुए है वह त्रावनकोर और कोचीन के सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का विलीनीकरण है। कदाचित सरकार को राज्य की विधान सभा की सम्मति संविधान के अनुच्छेद ३७१ को वहां त्रावनकोर-कोचीन में लागू कर दिये जाने के सम्बन्ध में ज्ञात है। श्री इय्यूनी के सम्बन्ध में मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि ९२ लाख की जनसंख्या में उन की आवाज़ अकेली है। उन्होंने चित्र का केवल एक ही रुख देखा है।

युद्ध काल में एक आदेश निकाला गया था कि अफसरों को स्थायी पूर्व स्वत्व न दिया जाये। लोकप्रिय मंत्रिमंडल बन जाने पर भी वहां की सरकार ने इस आदेश को रद्द नहीं किया। त्रावनकोर राज्य के कर्मचारी पदोन्नति होने के बावजूद भी निचली नौकरियों पर स्थायी पूर्व स्वत्व रख सके। इस के विपरीत कोचीन राज्य में संविलीन होने से पूर्व न केवल ऐसे सभी अफसरों को स्थायी ही कर दिया गया अपितु उन को दुहरी तिहरी पदोन्नति दे दी गई। इस प्रकार त्रावनकोर राज्य के सैकड़ों अफसर अपनी वरीयता से वंचित हो गये। मुझे उन की चिन्ता नहीं है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि निचले वर्ग के कर्मचारियों की दोनों राज्यों में उपेक्षा की गई। उन को भारत संघ के समान पद वाले कर्मचारियों को देखे बहुत कम वेतन मिलता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करता हूं कि कोचीन राज्य में निवृत्त-वेतन प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाने वाला भत्ता त्रावनकोर की अपेक्षा अधिक है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने धन की कमी का बहाना कर के उन के भत्ते को बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। इन निवृत्त-वेतन प्राप्त व्यक्तियों तथा निम्न वर्गों के कर्मचारियों को सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिये।

भ्रष्टाचार इत्यादि के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। मुझे त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधक) विधेयक के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करना है। वहां की विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि यह मामला केन्द्र को निर्देशित किया जायेगा और समुचित विधान बनाया जायेगा। पर यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस दल के ही एक सदस्य ने उस का विरोध किया।

मैं इस सदन का ध्यान देश की सब से महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हम ऐक्य केरल स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। केरल को पृथक् प्रान्त बनाने का अब समय आ गया है।

गृह मंत्रालय की मांग संख्या ५२ में दो योजनाओं का निर्देश है, एक भाग क में के राज्यों में केन्द्रीय सचिवालय के अफसरों का प्रशिक्षण और दूसरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के शिक्षाधीनों का प्रशिक्षण। एक सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय का भी प्रावधान किया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन को स्थापित करने की क्या आवश्यकत

है । दूसरी बात यह है कि ऐसा मालूम होता है कि सन् १९५३-५४ के प्राक्कलन तैयार करते वक्त सन् १९५२-५३ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों का ध्यान नहीं रखा गया था । मांग संख्या ५३ में अधिकारियों के लिए सन् १९५३-५४ में १,८४,००० रुपये का आवंटन किया गया है । मांग संख्या ५४ जो कि दिल्ली के सम्बन्ध में है, में १,५१,००,००० रुपये के आवंटन में से १,४५,००,००० रुपये पुलिस बल के लिए है । यदि मांग संख्या ५३ में अपेक्षित रकम भी इस में मिला दी जाये तो पुलिस पर होने वाला कुल व्यय २,१४,००,००० रुपये होता है । इस से ही जाना जा सकता है कि कांग्रेस राज एक प्रकार से पुलिस राज ही है ।

रिपोर्ट में निवारक विरोध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२ के कार्यकरण पर सन्तोष प्रकट किया गया है । इस अधिनियम को रद्द कर देने की प्रार्थना करना तो व्यर्थ ही होगा परन्तु तो भी विभिन्न राज्यों में इस के कार्यकरण में एक-रूपता होनी आवश्यक है । मेरे राज्य में कैदियों तथा अभियोगाधीन अभियुक्तों की स्थिति और भी बुरी है । अतः मेरी सदन से प्रार्थना है कि बेकार की रिपोर्ट छापने के बदले सामान्य सुधार करना अधिक उत्तम है । कोड़े लगाये जाने के दंड को बन्द कर देना आवश्यक है और कैदियों को बीड़ी और तम्बाकू पीने की सुविधा देनी चाहिये । एक बीड़ी के लिये तनिक से तम्बाकू के लिये हमारे जेल में रहने वाले क्या कुछ नहीं कर डालने पर उतारू हो जाते हैं, इस का हमें ध्यान रखना चाहिये और यह सुविधा उन को दी जानी चाहिये ।

काश्मीर में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों का निर्देश किया गया है । मैं वहां चलाये जा रहे दमन चक्र के विरुद्ध हूं । दमन से स्थिति के और भी बिगड़ने की संभावना है । इस दमन नीति से अराष्ट्रीय तथा अप्रजातंत्रीय तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है, साम्प्रदायवादियों की स्थिति सुदृढ़ होती है । दुर्भाग्य से कांग्रेस की सदैव से ही यह रीति रही है । पहले उसने राष्ट्रीय आन्दोलन में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देकर अपना उल्लू सीधा किया था । पर स्थिति नियंत्रण से परे हो गई और डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना पड़ा । और अब जब वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए मंत्रिमंडल से पृथक् हो गये हैं तो कांग्रेस को ध्यान आता है कि स्थिति खतरनाक है । इस प्रश्न को तै करने के लिए क्या निश्चित कदम उठाये गये हैं । संभावना यही है कि स्वयं काश्मीर के शासन प्रबन्ध में ही कोई गड़बड़ी है, नहीं तो यह आन्दोलन इतना बढ़ न जाता । हमें इस सदन से किसी पूर्णतया असाम्प्रदायिक व्यक्ति को वहां भेज कर सारी स्थिति का पता लगाना चाहिये । फिर हमें जनता को विश्वास में ले कर कार्यवाही करनी चाहिये । परन्तु मैं जानता हूं कि सरकार जनता को अपने विश्वास में लेने को तैयार नहीं है । सरकार देश के भाग्य को, वामपंथी दल की सहायता प्राप्त करने के स्थान पर, इन साम्प्रदायिक तत्वों को सौंप देने को तैयार है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय निर्णयों से अवांछनीय पूर्वतायें स्थापित हो गई हैं, परन्तु गृह मंत्री का बार बार यह कहना कि उनके मंत्रालय की सम्मति ही कानून है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक तरह से अवमान्यता करना है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल के पद का लोभ दे कर उन्हें मार्गभ्रष्ट या मार्गच्युत नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : सभापति महोदय, कल से आज तक संसद् के बहुत से सदस्यों के भाषण सुनने का मुझे अवसर मिला और यहां पर बहुत सारी बातें होम मिनिस्ट्री और स्टेट्स मिनिस्ट्री के बारे में कही गईं। मैं गृह मंत्री को देश में शान्ति और अमन क़ायम रखने के लिये मुबारिकबाद देना चाहता हूं। कहने को तो हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के विषय में कह सकते हैं, मगर मुझे दुःख होता है कि सदस्यों में ऐसे भी हमारे मित्र हैं कि जो बिना सोचे विचारे हमारे मंत्रियों के कामों पर कड़ी आलोचनायें कर देते हैं और ऐसे ऐसे सख्त इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जिन की बुनियाद में कुछ भी नहीं होता। कल जब मैं संसद् की एक बहिन आनी मस्करीन के विचारों को सुन रहा था तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि एक ज़िम्मेदार बहिन ने गृह मंत्री के कार्यों पर ऐसी ऐसी आलोचनायें कीं कि जिन की हम उन से आशा नहीं कर सकते थे। यह ठीक है और हमारे मंत्री समय समय पर इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में जो नक़शा हम अपने गृह कार्यों का या अपनी सरविसेज का, सरकारी मुलाज़िमों का और उन के चरित्र का देखना चाहते हैं, वह नक़शा हम को अभी तक देखने को नहीं मिला है। हमारे देश में यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और मानते आये हैं कि कुछ ऐसे भ्रष्टाचार इत्यादि के मामले आते हैं, मैलऐडमिनिस्ट्रेशन (कुशासन) के मामले आते हैं कि जिन को देख कर हमें दुःख होता है और हमारी यह इच्छा होती है कि हम शीघ्रातिशीघ्र उन से नजात पावें। मगर मेरा अपना यह अनुभव है और अपने उस अनुभव की बिना पर मैं तमाम भाइयों और बहनों से जो संसद् के सदस्य हैं कहना चाहता हूं कि सारी उंगलियां एक सी नहीं हैं। हमारी सरकार के जो मुलाज़िम हैं उन में बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी मौजूद हैं और ऐसे आदमी भी मौजूद हैं जिन के कामों की वजह से हमें शर्म उठानी पड़ती है। मेरा यह अनुभव हुआ है कि जब कभी कोई ऐसा मामला मेरे सामने आया है तो सब से पहले मैं ने स्वयं ही उसकी छानबीन की है और उस छानबीन करने के पश्चात् जब मुझ को यह विश्वास हो गया कि इस में सरकारी मुलाज़िम का दोष है तो मैं ने उस मामले को उठाया।

पहले जो मुझे उत्तर मिला वह बहुत ही निराशाजनक था, जैसे साधारण तौर पर मिला करता है वह मुझे भी मिला, लेकिन जब मैंने पुनः मंत्री महोदय को और उन के सरकारी मुलाज़िमों को अपनी जांच के विषय में एक कड़ी चिट्ठी लिखी और मैं ने उन को बताया कि हम लोग संसद् में इसलिये नहीं बैठते हैं कि जो कुछ आप के कानों में डाला जाय, उस को आप सुन कर मामूली तौर पर अपने मुलाज़िमों के सुपुर्द कर दें और उस का एक साधारण सा उत्तर हमें दे दिया जाय, जब मैं ने दुबारा लिखा तो उस पर कुछ कार्यवाही हुई और ऐसे सैकड़ों मामले हमारे सामने मौजूद हैं कि जिन के फ़ैसलों से मुझे काफ़ी संतोष हुआ।

अभी चन्द दिन का जिक्र है कि यहां की ज़िला जेल के अन्दर एक आदमी काफ़ी सख्त बीमार था और मरने के निकट हो गया था। मैं ने दिल्ली की सरकार को लिखा कि एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना जो कि मृत्यु की घड़ियां गिन रहा हो और किसी क्षण भी मर सकता है किसी भी सरकार के लिए उचित बात नहीं है और उस को जेल से रिहा कर देना चाहिए।

उस का उत्तर मुझे हस्त मामूल निराशाजनक मिला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठा और मैंने फिर अधिकारियों को लिखा कि मैं पूरी जांच पड़ताल कर के इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस व्यक्ति को छोड़ना ही सरकार के हित में होगा और उस व्यक्ति के भी हित में होगा और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि मुझे इस कार्य में सफलता मिली और वह व्यक्ति जेल से रिहा कर दिया गया, मगर दुःख केवल इस बात का है कि जो काम फ़ौरन चौबीस घंटे के भीतर किया जाना चाहिये था, उस को करने में एक हफ्ता लग गया और वह व्यक्ति केवल २४ या ४८ घंटे तक ही जेल से बाहर आ कर जीवित रहा और तत्पश्चात् मर गया ।

इसी तरह एक दूसरा केस मैं आप को बताऊं कि यहीं दिल्ली के स्टेशन पर एक औरत को इस बात के लिए बुरी तरह मारा पीटा गया था कि उस पर यह इलज़ाम था कि उस ने चोरी की थी लेकिन वह इलज़ाम वास्तव में सही नहीं था, वह केस जब मेरे सामने आया तो मैं ने उस के बारे में सरकार को लिखा और मंत्री जी को भी लिखा जो रेलवे विभाग से सम्बन्ध रखते हैं वह भी मामला बहुत दिनों तक चलता रहा और पहले तो उसी तरह का एक साधारण उत्तर मुझ को दे दिया गया, लेकिन यह बात जांच करने पर ठीक साबित हो चुकी थी कि उस औरत को बिला किसी वजह के मारा गया था और इतनी ज़ोर से मारा गया था कि उस की चमड़ी तक उधड़ गयी थी मैं ने फिर उस के बारे में लिखा और कोशिश की और मुझे संतोष है कि मेरे प्रयत्न के फलस्वरूप उस पुलिस इंस्पेक्टर को, जिस ने उस औरत को मारा था वहां से हटा दिया गया और उस को सस्पेंड कर दिया गया । हमारे भाइयों में यह दोष है कि हम यह चाहते तो हैं कि हमारे देश में से करपशन हटे और देश में सुधार हो और यहां के सरकारी मुलाज़िम सही तौर से अपना काम करें, मगर हम बहुत सारी बातें जो उन के मुताल्लिक़ कहते हैं उन की अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं करते और बेबुनियाद चीज़ों को ले कर सारे देश में चर्चा करते हैं और अपनी सरकार को भला बुरा कहते हैं जिस से न तो हम कोई अपनी सेवा ही करते हैं, न सरकार की ख़िदमत करते हैं और न मुल्क की ही ख़िदमत करते हैं । मैं अपने भाइयों और बहिनों से जो इस संसद् में काम करते हैं यह निवेदन करूंगा कि उन्हें चाहिये कि वह ऐसे निश्चित इलज़ाम जो उन की निगाह में आते हैं, उन के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद सरकार और अधिकारियों के साथ उन के विषय में पत्र व्यवहार कर के उन मामलों को निपटावें और उन्हें उन की आख़िरी मंज़िल तक पहुंचावें और मुझे यह विश्वास है कि हमारे मंत्रियों की भी यह बड़ी भारी इच्छा और ख्वाहिश है कि जो ऐसे मामले और इलज़ाम उन के सामने लाये जायं, उनको वह दूर करे ताकि मुल्क की तरक्की हो और देश निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। आवश्यकता इस बात की भी है कि यहां के सरकारी मुलाज़िम भी अपने कामों और उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझें और निबाहने का प्रयत्न करें । इसलिये हमारा सब का यह कर्त्तव्य है कि गृह मंत्रालय के कठिन परिश्रम और लगातार कोशिश से देश के अन्दर जो एक शान्ति और अमन नज़र आता है उसको बनाये रखने के लिए और अपने देश को और मज़बूत और उन्नत करने के लिए हम सब मिल कर सामने की कुर्सियों पर जो मंत्रिगण बैठे हुए हैं उन के साथ सहयोग करें और उन का हाथ बंटावें और इस क़िस्म की जो बातें और मामले हमारे

[श्री राधा रमण]

नोटिस में आयें, उनकी पहले अच्छी तरह से छानबीन कर के मंत्रियों की ख़िदमत में पेश करें ताकि वह उनको हल करने और उन के बारे में फ़ैसला देने में ठीक क़दम उठा सकें।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और जिस की बाबत कल भी यहां ज़िक्र किया गया था वह है हमारे मुल्क के अन्दर राज्य-प्रमुखों की संस्था। यह मांग की गयी है कि यह राजप्रमुख और साथ में प्रिवी पर्स की जो प्रथा है, वह बहुत जल्द ख़त्म की जानी चाहिये। मैं उस भावना से जो इस मांग में निहित है, सहमत हूं कि हमारे देश के अन्दर जो यह राजप्रमुख की संस्था बनायी गयी और बड़ी बड़ी थैलियां प्रिवी पर्स की उन राजा महाराजाओं को दी गयीं, यह प्रथा वास्तव में कोई बहुत अच्छी नहीं मालूम पड़ती जब हम उन राजाओं के पिछले कारनामों पर दृष्टिपात करते हैं कि उन राजाओं ने पिछले ज़माने में क्या किया उन के कारनामों और काले इतिहास का स्मरण करके हमारे दिल में जो एक जख्म है वह फिर ताज़ा हो जाता है। मैं इस प्रथा की समाप्ति से पूर्णतया सहमत हूं और हम बराबर आवाज़ उठाते आये हैं कि यह संस्था बिल्कुल बुरी है, इसे फ़ौरन ख़त्म किया जाना चाहिये और यह भी सही है कि हम इस प्रथा को जारी रख कर अपने साथ एक अन्याय कर रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज इस को जारी रखना नहीं चाहेगा। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे नेताओं ने उन देशी रियासतों के शासकों से कुछ एग्रीमेंट्स किये हैं और उन एग्रीमेंट्स के फलस्वरूप यह राजप्रमुख संस्था बनी और उन को हम ने प्रिवी पर्सेज़ देना तय किया। यह होते हुए भी हम चाहते हैं कि यह संस्था और प्रिवी पर्सेज़ ख़त्म हो, तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क में एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि जिस में शोषण बिल्कुल ख़त्म हो जाय और जिस में अमीरी बिल्कुल ख़त्म हो जाय, यानी जिन लोगों के पास दौलत है, उस का राष्ट्रीयकरण हो जाय और वह दौलत उन चन्द पूंजीपतियों के पास न रह कर देश की दौलत बन जाय और जब हम ऐसा करने में असमर्थ हो जायेंगे तो आप देखेंगे कि वग़ैर कहे ही आप का यह काम सुलभ हो जायेगा। इस-लिये मैं तो आप से अर्ज़ करता हूं कि आप बजाय इस तरह की बातें कह कर उन लोगों को नाराज़ करें, इन बातों को छोड़कर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश से पूंजीवाद का नाश हो।

पार्ट सी० स्टेटस् की बाबत हमारे कानों में बराबर यह कहा जाता है कि पार्ट सी० स्टेट्स् को पास की दूसरी स्टेट्स् के साथ मर्ज कर देना चाहिये और इस संसद् के बहुत से सदस्यों ने इस हेतु पहले भी बहुत जद्दोजहद की मगर आख़िर में संसद् में काफ़ी ग़ौर के बाद यह फ़ैसला किया गया कि सरकार का हर जगह प्रजातंत्री शासन स्थापित करना फ़र्ज़ है और इसलिये पार्ट सी स्टेट्स् क़ायम की गयीं और वहां काम हो रहा है, लेकिन यह बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी उन को कार्य करते हुए मुश्किल से एक वर्ष भी नहीं गुज़रा है कि उन को मर्ज करने के लिए आवाज़ सुनी जाने लगी, मेरी समझ में ऐसी मांग गैर वाजिब और असंगत है। मैं समझता हूं कि इस संसद् और हम सब लोगों का यह फर्ज़ है कि हम ने जो फ़ैसला किया है और यह पार्ट सी० स्टेट्स् को प्रजातंत्री शसना

प्रदान किया है उस पर पाबन्द रहें और इस बात का तजुर्बा हासिल करें कि हमारा यह प्रयोग कहां तक सफल हुआ है। यह आप को और हम को अच्छी तरह से जानना है कि देश के लिए ही हम जीते हैं और देश के लिए ही हम कुर्बान होना चाहते हैं। विश्वास रखिये कि अगर किसी समय भी हम ने ऐसा समझा कि यह पार्ट ए०, बी० या सी० स्टेट्स् जो हमने बनायी हैं, देश के हित में उन स्टेटों को दूसरी स्टेटों में मर्ज कर देना चाहिये, या हमने ऐसी आवश्यकता महसूस की, तो हम उन्हें मर्ज करने से भी नहीं हिचकेंगे। हमारे सामने देश का हित सर्वोपरि है और सब बात पीछे हैं। अब मैं एक बात सिर्फ़ और अर्ज़ करूंगा कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली में पुलिस के सम्बन्ध में एक नई स्कीम जो डेढ़ साल पहले हमारे सामने रक्खी गयी थी, वह स्वीकार कर ली गयी है। पहले वह बीच में ही रोक दी गयी थी क्योंकि उस स्कीम के सम्बन्ध में स्थायी स्कीम के सम्बन्ध में स्थायी वित्त समिति ने एतराज़ किया था, अब उस को फिर से चालू किया गया है। दिल्ली शहर में अमनोअमान क़ायम रखने के लिये यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दिल्ली की पुलिस को बहुत ज्यादा मज़बूत बनायें ताकि हमारे शहर में जो भी शरारत करने वाली ताक़तें हैं और जो शान्ति के लिये गम्भीर ख़तरा सिद्ध हो रही हैं, उन को दूर रखने और ख़त्म करने में हमारा पुलिस विभाग सफल हो सके। बातें तो मैं और भी बहुत सी आप से कहना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है। आख़िरी बात मैं दिल्ली की जुडिशरी की बाबत कहना चाहता हूं। हमारे दिल्ली के अन्दर जो न्यायालय हैं और न्याय करने की जो मशीनरी है, उस में न्याय प्राप्त करने में लोगों को काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करनी होती है और देर लगने के साथ उन का रुपया भी काफ़ी बर्बाद होता है इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि ऐसा प्रबन्ध किया जाय ताकि हमारे यहां न्याय जल्दी और सस्ता हो, और आज जो जनता के अन्दर एक तरह का भाव है कि अदालतों के अन्दर पूरी तरह से इंसाफ़ नहीं मिलता है उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

इस मामले में भी आपने एक स्कीम मंज़ूर कर ली है और वह यह है कि न सिर्फ एक सूबे से ही वरन् दूसरे सूबों से भी जजेज़ बुलाये जायें। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बहुत ज़रूरी है। मगर आप जब दूसरे सूबों से जजेज़ बुलाते हैं तो उस में इतने अच्छे टैलेन्ट्स नहीं आ सकते क्योंकि वह लोग अपने अच्छे आदमियों को नहीं भेजते। आज दिल्ली में ऐसे वकील मौजूद हैं जिन की ख़िदमात इस मामले में हासिल की जा सकती हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करूंगा कि हमारे राज्यों के मंत्री इन दो तीन बातों पर ग़ौर करेंगे जो मैं ने आप के सामने रक्खी हैं और कायदों के अन्दर ऐसा सुधार करेंगे जिस से यहां की जनता को कुछ आराम हासिल हो सके।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): स्वामी रामानन्द तीर्थ ने कल अपने भाषण में हैदराबाद सम्बन्धी मेरी गतिविधियों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि किसी दल से सम्बन्ध न रखने के कारण मैं उक्त राज्य के भविष्य के सम्बन्ध में मनमानी कार्यवाही कर सकता हूं। मेरा निवेदन यह है कि मेरे अखिल भारतीय भाषावार राज्य सम्मेलन के सभापति होने के नाते मेरे प्रति

[डा० लंका सुन्दरम्]

स्वामी रामानन्द तीर्थ ने न्याय नहीं किया है। इस सदन में तथा बाहर लोग जानते हैं कि मैं निरन्तर हैदराबाद राज्य के तुरन्त विघटन और वहां के राजप्रमुख निज़ाम के हटायें जाने के पक्ष में हूं। इस सम्बन्ध में रामानन्द तीर्थ को कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये। मनमानी कार्यवाही मैं नहीं कर रहा हूं अपितु मेरे मित्र कर रहे हैं।

पुलिस कार्यवाही की जाने से पूर्व हैदराबाद राज्य कांग्रेस की जो अवस्था थी उससे मैं भली भांति परिचित हूं। पुलिस कार्यवाही से बहुत पहले ही मुझे हैदराबाद राज्य कांग्रेस की कार्यवाही समिति का सदस्य बना लिया गया था। मेरे मित्र स्वामी रामानन्द तीर्थ गेरुवा वस्त्र धारण करते हैं परन्तु राजनीति में उनका चोला बहुरंगी हो जाता है। पुलिस कार्यवाही से पहले स्वामी जी और उन के कुछ साथी और मुझ जैसे कुछ व्यक्ति जो राज्य की प्रजा न होते हुए भी राज्य कांग्रेस कमेटी की गतिविधियों में इसलिये रुचि रखते थे क्योंकि उनसे समस्त भारत का भाग्य जुड़ा हुआ था, हैदराबाद राज्य के विघटन तथा निज़ाम के पदच्युत किये जाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ थे। मेरे माननीय मित्र स्वयं सन् १९५० में निज़ामाबाद में हुए राज्य कांग्रेस के अधिवेशन के सभापति थे। उस अधिवेशन में डंके की चोट हैदराबाद राज्य के विघटन और निज़ाम के पदच्युत किये जाने की आवाज़ उठाई गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस के नानल नगर अधिवेशन के पश्चात् स्वयं स्वामी रामानन्द तीर्थ ने राजप्रमुख के पदच्युत किये जाने पर और राज्य के विघटन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था। पर अब उन्होंने अपना सुर बदल दिया है। अब वह एक साथ तीन घोड़ों पर, (१) अपनी राज्य कांग्रेस, (२) अपने राज्य के मन्त्रिमंडल तथा (३) भारत सरकार के राज्य मंत्रालय पर, सवारी गांठना चाह रहे हैं। अन्यथा वह कल यह न कहते कि वह भाग ख में के राज्यों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का स्वागत करते हैं।

हैदराबाद राज्य के विघटन और निज़ाम के पदच्युत किये जाने के सम्बन्ध में हो रहे आन्दोलन को विफल करने के लिये दिल्ली तथा हैदराबाद में उच्च स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। मुझे यह कहते दुःख होता है परन्तु मुझे बाध्य होकर ऐसा कहना पड़ता ही है। इस रंग बदलने के क्या कारण हैं यह तो बतलाना चाहता नहीं हूं परन्तु इतना मैं कह देना चाहता हूं कि हैदराबाद राज्य के विघटन सम्बन्धी आन्दोलन को दबाया नहीं जा सकता है। समय सभी कुछ बता देगा। आन्ध्र राज्य बनने वाला है और हैदराबाद में एक पृथक् आन्ध्र राज्य बनाये जाने की आवश्यकता भी शीघ्र ही मालूम होगी, अतः मेरा निवेदन है कि बिना किसी प्रकार का टंटा बावेड़ा किये या किसी को हानि पहुंचाये बिना ही देश की सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था तथा प्रणाली को पूर्णतया पुनः संगठित किया जाये।

अब मैं वार्षिक रिपोर्ट में वर्णित गृह मंत्रालय की गतिविधियों का निर्देश करता हूं। कल गृह कार्य मंत्रालय के कार्य संचालन के सम्बन्ध में गृह मंत्री की जो प्रशंसा की जा रही थी उस से उन को पूर्ण संतोष प्राप्त हो रहा था। किसी किसी सदस्य ने तो इस राज्य की उपमा राम राज्य से दे डाली थी। परन्तु देश की प्रतिक्रिया इस सम्बन्ध में क्या है इसके लिए मदरास से प्रकाशित होने वाले पत्र 'हिन्दू' के २८ तारीख के अंक में छपे एक लेख को मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में सत्तारूढ़ दल द्वारा नागरिकों के अधिकारों का अपहरण किये जाने के जो आरोप लगाये गये हैं वह ऐसी बात है जिस की ओर संसद् को ध्यान देना आवश्यक है.....निरोध की अवैधता तथा ऐसी ही अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्पष्ट निर्णय दिये हैं उन को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सरकार ने अपने अफसरों की कार्यवाहियों के लिए खेद प्रकट किया है तथा उनके पुनः न किये जाने का आश्वासन दिया है।"

परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया था ? उस निर्णय के अति आवश्यक भाग को मेरे किसी सहयोगी ने नहीं बताया है, मैं उस निर्णय के एक भाग को सुनाता हूं :

"न्यायालय ने इस से पूर्व भी यह बार बार कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने तथा कथित कर्तव्य पालन के सिलसिले में दूसरों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण करना चाहते हैं, उनको क़ायदे क़ानूनों का अक्षरतः पालन करना आवश्यक है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अतः हमारे समक्ष जो प्रार्थी हैं वह .....।"

डा० काटजू : क्या यह मजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में था ?

डा० लंका सुन्दरम् : मजिस्ट्रेट आपके आधीन हैं, यह आप की ज़िम्मेदारी है, कम से कम जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है ।

डा० काटजू : मैं न्यायिक की हैसियत से उस मजिस्ट्रेट के लिये उत्तरदायी नहीं हूं ।

डा० लंका सुन्दरम् : मेरा कहना यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति के मन में सुरक्षा की यह भावना होनी चाहिये कि विधि का उचित निर्वचन किया जायगा तथा विधि उसके पक्ष में रहेगी तथा उसके विरुद्ध नहीं जायगी।

सभापति महोदय : मैं माननी यसदस्य से पूछ सकता हूं कि क्या वह यह चाहते हैं कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करे ?

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, जी यह एक विधि सम्बन्धी तर्क है तथा मैं इसे अनावश्यक रूप से बढ़ाना नहीं चाहता। जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में लिखा है, जो कुछ हुआ है, उस सम्बन्ध में खेद प्रकट करने की बजाय.....

डा० काटजू : परन्तु मैंने क्या किया है जिसके लिए मैं खेद प्रकट करूं ?

डा० लंका सुन्दरम् : वास्तव में बात तो ही है। अस्तु मैं मामले को यहीं छोड़ता हूं।

अब मैं गृह-कार्य मंत्रालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस मंत्रालय पर केवल सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही नहीं, परन्तु एक विचार से देश भर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व आता है । भारत सरकार के कर्मचारियों की संख्या इस समय २५ से ३० लाख है जो और सब संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। देश चाहता है कि गृह-कार्य मंत्रालय इन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के निमित्त नियम बनाए। कर्मचारियों के प्रति न्याय तथा निरन्तर एक नीति के अभाव के फलस्वरूप पिछले कुछ दिनों में असन्तोष तथा रोष से जो 'शान्ति तथा व्यवस्था' की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे मुझे कुछ चिन्ता हुई है। देश में इस समय सर्वत्र छंटनी का चक्कर चला हुआ है। विशाखापटनम् में ८१३ व्यक्तिमों को खड़े खड़े पोत-घरों से निकल जाने का अभी कल ही नोटिस दिया गया था। यद्यपि अब उन्हें

[डा० लंका सुन्दरम]

१४ दिन के नोटिस के स्थान पर नकद भुगतान के दिये जाने की व्यवस्था की गई है तो भी धारा १४४ लगा कर तथा सरकार के सारी सैन्य शक्ति से उनका निकाला जाना उचित नहीं है।

सदन मुझसे सहमत होगा कि कर्मचारियों के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है तथा 'शान्ति और व्यवस्था' की परिस्थिति को जानते बूझते हुए पैदा किया जाता है। यदि उन मज़दूरों को १४ दिन का नोटिस दिया जाता तो वे मध्यस्थ या समझौता व्यवस्था तक पहुंच सकते थे या मामले का निर्देश मद्रास के श्रम आयोग तक कर सकते थे। परन्तु जब सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही के लिये जाने पर कोई घटना हो जाती है तो कानून का भारी डंडा उन पर पड़ता है और डा० काटजू 'शान्ति तथा व्यवस्था' का कारण हमें बतलाते हैं।

मेरी आकांक्षा है कि माननीय मंत्री सरकारी विभागों के कर्मचारियों के अधिकारों तथा उनकी सेवाओं की शर्तों के नियमों तथा विनियमों की जांच पड़ताल कराएं तथा ये देखें कि मज़दूर संघों को मान्यता देने या न देने का आधार क्या है क्योंकि सामूहिक रूप से सौदों के करने, संस्थाओं के बनाने आदि में अधिकार लिए बिना मालिक तथा कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्ध नियमित नहीं हो सकते——विशेषत: भारत सरकार के सम्बन्ध में तो इन्हें नियमित करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि सारा सदन मेरे इस रचनात्मक सुझाव का समर्थन करेगा। क्या मेरे माननीय मित्र सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये एक समान नियमों के बनाए जाने की व्यवस्था करेंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट में एक पैरा है जिसके अनुसार १० लाख रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में पृथक् नियमों के बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसका कारण ? गृह-कार्य मंत्रालय सारे देश के लिए उत्तरदायी है, केवल रेल कर्मचारियों के लिए ही नहीं !

श्रीमान्, एक अन्तिम बात मैं निर्वाचन क्षेत्र की आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के बारे में कहना चाहता हूं। आंध्र देश के दण्ड करायना क्षेत्र अर्थात् गोदावरी तथा विशाखपटनम् ज़िलों के अभिकरणों की इन जातियों के ६०,००० व्यक्तियों की पूर्णत: उपेक्षा की गई है। उस देश तक पहुंचना बहुत कठिन है। यद्यपि मैं आयोग महोदय की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने को तैयार हूं तो भी मैं चाहता हूं कि श्री श्रीकान्त तथा माननीय मन्त्री वहां जाकर उन लोगों की अवस्था को देखें तथा उसे सुधारने के कुछ उपाय करें।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : श्रीमान्, प्रारम्भ में मैं एक व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूं। गत कुछ दिनों से हम कटौती-प्रस्तावों सम्बन्धी वाद-विवाद में कुछ ऐसी बातें देख रहे हैं जो संसदीय वाद-विवाद में नहीं होनी चाहियें। हम विरोधी दल के बहुत से सदस्यों का यह ख्याल है कि हम जो प्रश्न उठाते हैं उनका उत्तर नहीं दिया जाता। इसके अलावा प्राय: यह प्रवृत्ति भी देखी गई है कि सब बातों का सामान्य उल्लेख तो कर दिया जाता है परन्तु विचाराधीन विषय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अत: मैं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें।

अब मैं गृह-कार्य तथा राज्य मंत्रालय के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। जहां तक मैं समझ सका हूं, सरकार ने नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यों के प्रशासनात्मक पुनर्संगठन

तथा दक्षिण के विभाजन आदि प्रश्नों पर विचार करते हुए पूर्ण उत्तरदायित्व का प्रदर्शन नहीं किया है। मैं नागरिक स्वतन्त्रता का प्रश्न यहां विस्तार से तो नहीं उठाऊंगा क्योंकि सदन उस प्रश्न पर नवम्बर में किसी दिन चर्चा करेगा; हां, मैं एक बात अवश्य कहूंगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और उसका सन्तोषजनक उत्तर भी देंगे ।

मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा था कि सरकार ने संसद् के तीन सदस्यों की अवैध नजरबन्दी के प्रश्न के सम्बन्ध में बड़ा निरंकुश रुख अपनाया है । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि इस प्रश्न पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है । मेरे मित्र, माननीय गृह-कार्य मंत्री, ने एक पूर्व अवसर पर कहा कि न्यायपालिका पर नियन्त्रण रखना उनका उत्तरदायित्व नहीं ह । परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि मजिस्ट्रेटों आदि के गलत निर्णयों से नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचता है तो इन क्षतिग्रस्त नागरिकों के प्रति कार्यपालिका का भी कुछ उत्तरदायित्व है । मैं एक उदाहरण देता हूं । संयुक्त राजतन्त्र में एक मामले में गलत निर्णय हो जाने पर वहां के गृह मंत्री ने 'हाउस आफ कामन्स' में क्षमायाचना की थी । इसका यह मतलब नहीं है कि उसका न्यायपालिका पर नियन्त्रण था। एक समय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह न्यायपालिका द्वारा किसी नागरिक को अनुचित नुकसान पहुंचाये जाने की दशा में खेद प्रकट करे— विशेष रूप से ऐसे मामले में जिसमें संसद् के कुछ माननीय सदस्यों को अपने संसदीय कृत्यों का निर्वहन करने से रोका गया हो और उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो ।

इसके बाद मैं दक्षिण के विभाजन का प्रश्न लेता हूं । मेरा ख्याल था कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद गृह-कार्य मंत्रालय कुछ आनुषंगिक विनिश्चय करेगा राजस्थान उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच प्रारम्भ की जाने से पूर्व उनको क्रियान्वित करायेगा । उदाहरण के लिये, यह निश्चय किये बिना कि नये आन्ध्र राज्य की स्थायी राजधानी कहां हो, मद्रास को अस्थायी राजधानी बनाने से क्या लाभ ? सरकार की कोई निश्चित नीति के अभाव में बचे हुए मद्रास राज्य के लोगों की यह आशंका करना शायद उचित लगता है कि अस्थायी राजधानी स्थायी ही बन जायेगी। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हम दक्षिण में जो विभाजन करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण वह नहीं होना चाहिये जो भारत तथा पाकिस्तान के बटवारे के प्रति था भारत तथा पाकिस्तान तो दो सर्वप्रभुत्वसम्पन्न राज्य बने । परन्तु यहां तो भारतीय संघ के अन्तर्गत दो एककों का निर्माण किया जा रहा है । अतएव इस मामले में आस्तियों और दायित्वों की सूची तैयार करते समय हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिये । मैं तो यह कहूंगा कि दक्षिण में परस्पर फूट तथा घृणा उत्पन्न करने में संघ सरकार ने दिलचस्पी ली । दक्षिण में परस्पर फूट डालने का उत्तरदायित्व गृह-कार्य मंत्रालय पर है । मेरा तो यह खयाल था कि राज्य का विभाजन करते समय गृह मंत्रालय उन दृष्टांतों का अनुसरण करेगा जो उन लोगों द्वारा स्थापित किये गये हैं जिन्होंने पूर्व काल में संघ के अन्तर्गत नये राज्यों को जन्म दिया है । राज्यों का विभाजन कोई नई बात नहीं है । पहले भी सिंध और उड़ीसा प्रान्तों को पृथक् किया जा चुका है । परन्तु हम जानते हैं कि तब आस्तियों और दायित्वों

[डा० कृष्णास्वामी]

का बटवारा किस प्रकार हुआ था। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में वे सिद्धान्त उल्लिखित हैं जिनके आधार पर संघ के अन्तर्गत किसी राज्य का विभाजन होने की दशा में आस्तियों और दायित्वों का बटवारा किया जाना चाहिये। आप पहली बातों को माने या न माने; यह तो आप की मर्जी है। परन्तु तथ्य यह है कि यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका अनुसरण किया ही जाना चाहिये। यदि आप किसी नये राज्य की रचना करने का विनिश्चय करते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये सहायता दें, न कि यह कि उसका सारा भार राज्य के बचे हुए भाग पर ही डाल दें। क्या आपने अपने इस कर्त्तव्य का पालन किया है ?

आयव्ययक में भी नये राज्य द्वारा राजधानी के निर्माण पर किये जाने वाले पूंजी व्यय के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। मैं यह चाहता था कि आप यह प्रकट कर देते कि आप नये राज्य में तथा बने हुए मद्रास राज्य में स्थिरता तथा दृढ़ता लाने के लिये क्या करने जा रहे हैं। आखिर इन दोनों राज्यों को मिल कर रहना है। परन्तु जब तक संघ सरकार अपना हिस्सा अदा नहीं करेगी तब तक इन दोनों राज्यों में वैमनस्य उत्पन्न होने की सम्भावना बनी ही रहेगी। सरकार की ढीली-ढाली नीति से ये दोनों राज्य भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी पृथक् हो जायेंगे और फिर इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण भावनाएं पुनः उत्पन्न करने में काफी समय लग जायेगा। मैं चाहता हूं कि नये आन्ध्र राज्य तथा मद्रास राज्य को एक साथ फलने-फूलने का अवसर दिया जाये। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस विषय में मैंने माननीय गृह-कार्य मंत्री का रुख अत्यधिक उपेक्षापूर्ण पाया है।

डा० काटजू : किस सम्बन्ध में ?

डा० कृष्णास्वामी : इन्हीं सब बातों के सम्बन्ध में।

डा० काटजू : इसका फैसला तो आप खुद ही करिये।

डा० कृष्णास्वामी : हम आप का फैसला नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों राज्य संघ के ही दो एकक होंगे और संघ सरकार को उनके लिये बहुत कुछ करना होगा। यदि हम ही फैसला कर सकते तो प्रधान मंत्री द्वारा दिसम्बर में—अपनी पिछली नीति का पुनरीक्षण करके—नई नीति की घोषणा किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट थी कि सरकार आन्ध्र राज्य के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही जारी रखेगी, चाहे आन्ध्र तथा मद्रास राज्यों के नागरिकों के बीच कोई समझौता हो या न हो। अतएव यह सरकार का ही उत्तरदायित्व है कि वह नये आन्ध्र राज्य को कुछ राजस्व-स्रोत उपलब्ध करे जिससे कि उसमें दृढ़ता आ सके। पंचवर्षीय योजना की बातें करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पहले आवश्यकता इस बात की है कि आन्ध्र, मद्रास तथा शेष भारत में शान्ति तथा स्थिरता स्थापित करने के लिये ठोस प्रयत्न किये जायें।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य): गृह-कार्य तथा राज्य मंत्रालयों द्वारा जो मांगें रक्खी गयीं हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। वस्तुतः गत वर्ष इन मंत्रालयों का कार्य अत्याधिक सन्तोषजनक रहा है। इसके लिये न

केवल मंत्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारी ही धन्यवाद के पात्र हैं, अपितु सारे देश के लोगों ने इसमें योग दिया है। अतएव वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इससे प्रकट होता है कि लोगों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो गई है जो कि हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिये एक बहुत अच्छा शकुन है।

सदन में सरकारी पदाधिकारियों की भी बहुत आलोचना की गई है। मैं यह तो नहीं कहता कि हमारे सरकारी पदाधिकारी त्रुटिविहीन हैं या उनमें अब सुधार किये जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ; परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में हमारे पदाधिकारियों ने जो काम किया है उसका मुकाबला किसी भी एशियाई देश के सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किये गये काम से कर लिया जाये और फिर उसके मूल्य का अनुमान लगाया जाये। हो सकता है कि उन्होंने गलतियां की हों, किन्तु सब बातों को देखते हुए वे कसौटी पर पूरे उतरे हैं। एक साथ सभी पदाधिकारियों की बुराई करना ठीक नहीं है। आखिर वे भी तो हम में से ही हैं। यदि उनमें दोष हैं तो सारे देश में दोष है। उनके नैतिक स्तर को उच्च बनाने के लिये सकल देश का नैतिक स्तर उठाना होगा। अतः मेरा कहना यह है कि सामान्य रूप से गृह-कार्य मंत्रालय का कार्य अति सन्तोषजनक रहा है।

भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भविष्य में यदि उन्हें समीपवर्ती राज्यों में मिला दिया जाये तो इन राज्यों को पृथक एककों के रूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हम धैर्य-पूर्वक इसी प्रकार कार्य करते रहे तो जल्दी ही ये भाग ग राज्य दूसरे राज्यों में विलय हो सकेंगे।

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सम्बन्ध में भी बड़ी बड़ी आलोचना की गई हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इन लोगों के लिये कुछ नहीं किया गया है। क्या हरिजनों की दशा आज भी वैसी ही है जैसी कि २५ वर्ष पूर्व थी ? क्या अनुसूचित आदिम-जातियों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है ? जहां तक इन लोगों का सम्बन्ध है, उनकी दशा में बहुत परिवर्तन हुआ है। यदि आप बम्बई राज्य में पिछड़े वर्गों की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन लोगों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं में बहुत सुधार हुआ है। अब उन्हें लगान बहुत अधिक नहीं देना पड़ रहा है। अब वे जमीदारों तथा साहूकारों के पंजों से मुक्त हैं। सरकार ने उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं की है, बल्कि उनके लिये छात्रावास स्थापित किये हैं जहां वे निःशुल्क रहते हैं। इन सब बातों को समझने से ही यह पता लग सकता है कि उनकी दशा में कितनी प्रगति हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों की उपेक्षा करके लोगों में गलत बातें फैलाते हैं क्योंकि यदि ठीक-ठीक बातें बतला दी जायें तो उनका मतलब पूरा नहीं होता। इस लिये मैं चाहता हूं कि वास्तविकता को समझा जाये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रश्न है, मैं कहता हूं कि इनकी दशा में अधिक सुधार किया जाना चाहिये। परन्तु कठिनाई यह है कि यदि सरकार उनके लिये कोई स्कूल खोलती है या ऐसा ही कोई अन्य कार्य करती है तो उनके नेता अपने जाति-भाइयों को उक्त स्कूल आदि से सम्बन्ध न रखने का परामर्श देते हैं। क्यों ? कारण स्पष्ट

[श्री जी० एच० देशपांडे]

है कि छूतछात खत्म होने पर उनकी नेतागीरी भी तो समाप्त हो जायेगी । अतः बहुत से लोग स्वार्थ के पीछे हजारों व्यक्तियों का नुकसान करवाते हैं । बहुत से लोग अकारण हड़तालें करवाते हैं । मैं यह बात कुछ उत्तरदायित्व की भावना के साथ कह रहा हूं । मैं ने ऐसी हड़तालें देखी हैं। जिनसे साधारण श्रमिकों को हानि पहुंची है ।

अन्त में मैं यह कहुंगा कि विचाराधीन वर्ष में गृह कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्रालय ने अपने कर्तव्यों का पालन बड़े सन्तोषजनक ढंग से किया है । कुछ सुधार की गुंजाइश अवश्य है, परन्तु उनका कार्य ठीक ढंग पर अग्रसर हो रहा है । इसीलिये मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन कर रहा हूं ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा दक्षिण) : चेअरमैन साहब, कल शाम को और आज जो आबू के बारे में जिक्र हुआ है उसी कारण से मुझे आज बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा है, नहीं तो पहले मैं ने इस बहस में शरीक होने की बात नहीं सोची थी ।

बहुत सी स्टेटों से मेरा कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा है । हम ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस के पहले और बाद में अलग अलग स्टेटों के मामले समय समय पर किस तरह से हल किये गये हैं उस का जितना तजुरबा मुझे है, शायद ही इस हाउस में किसी को होगा । सभी देशी राज्यों का विलीनीकरण, सारे देश का ख्याल करके और लोगों के हित का ख्याल करके किया गया था । तो क्या सिरोही स्टेट के बारे में यह नहीं सोचा गया होगा ? इस छोटी सी स्टेट के मामले में दूसरा ख्याल रखने की बात कहना क्या सही बात है ? सरकार की तरफ से सिरोही का मामला किस प्रकार से हल किया गया है उस का पूरा चित्र कभी यहां नहीं रक्खा गया है । मुझे एक एक कदम की पूरी जानकारी है । एक दलील यह भी दी गई कि सन् १९५० तक सिरोही स्टेट को नहीं मिलाया गया और विधान के पास होने के अगले ही दिन मिला लिया गया ? १९५० के पहले स्वयम् गोकुल भाई के आग्रह से नहीं मिलाया गया था । उन्होंने सन् १९५० में कहा था कि उस के मिलाने से राजस्थान में उनकी स्थिति मुश्किल हो जायेगी । इस लिये पहले मध्यस्त सरकार की तरफ से सिरोही स्टेट को बम्बई स्टेट में चलने दिया जाय । यह भी कहा कि और चल कर मिलाया जाय । इस प्रकार भी कहा गया है कि जबर्दस्ती सिरोही को काटा गया है और कुछ हिस्सा राजस्थान में और कुछ हिस्सा बम्बई में मिलाया गया है । यह बात भी ठीक नहीं है । गोकुल भाई उन दिनों सिरोही के प्रतिनिधि थे जैसे सब स्टेटों के मामले उन के प्रतिनिधियों को ले कर हल किये गये थे उसी तरह सिरोही के मामल में गोकुल भाई को साथ लिया गया था और जब सिरोही स्टेट के बारे में बम्बई स्टेट के साथ बहस हुई तो गोकुल भाई और स्टेट मिनिस्ट्री के एक आफिसर बम्बई गये थे, उन्होंने बम्बई के अफसरों के साथ मश्विरा किया और गोकुल भाई स्वयम् सिरोही का नक्शा ले गये थे । जिसमें उन्होंने डिमारकेशन लाइन खुदने की बात कही थी कि किस प्रकार से कौन सा भाग बम्बई स्टेट में मिलाया जाय और कौन सा भाग राजस्थान में मिलाया जाय । इस की काफी चर्चा हुई और बाद में यहां आ कर उन्होंने यानी गोकुल भाई ने सरकार के पास रिपोर्ट की कि उन्होंने क्या क्या किया है । बात तो यह है कि जयपुर कांग्रेस के पहिले सिरोही को बम्बई

में मिलाने का विचार था परन्तु सिलसिले में गोकुल भाई स्वागत समिति के चेअरमैन थे। उन्होंने और राजस्थान के कार्यकर्त्ताओं ने यह कहा कि आज अगर सिरोही बम्बई स्टेट में मिलाया जायगा तो हमारा काम मुश्किल हो जायेगा। हमें दूसरा स्वागताध्यक्ष चुनना पड़ेगा। इस लिये उस वक्त वह काम नहीं किया गया था। यह दुःख की बात है कि इस सब काम में गोकुल भाई शरीक थे फिर भी सब चीजों से इन्कार करते हैं। ऐसी हालत में क्या किया जाय। गुजरात प्रदेश समिति ने आबू के बारे में जो प्रस्ताव पास कर के सरकार के पास भेजा है, उस में से थोड़ा सा भाग मैं आप के सामने पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, सारा पढ़ कर मैं आप का समय नहीं लेना चाहती :

"गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने उस समय, जब कि जो स्थान इसमें मिलाये जाने के अन्य राज्यों में मिलाये गये, कोई विरोध नहीं किया क्योंकि इसने समझा कि देश की स्थिति तथा भारत की एकता सब से महत्वपूर्ण बातें थी। किन्तु जब राजस्थान आबू की मांग करता है तो गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समिति भी डूंगरपूर, बंसवारा आदि की मांग करती है जो कि राजस्थान में मिला दिये गये। इन स्थानों के निवासियों ने बम्बई राज्य में मिलने के लिये संकल्प पारित किये।

अत: समिति केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस प्रश्न को फिर से उठाये क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रश्न पर विचार भी किया जाना है तो बम्बई और राजस्थान की सीमा निर्धारित करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय। आयोग को गुजरात के स्थानों के सम्बन्ध में बम्बई के दावे सुनने का अवसर देना चाहिये।"

गोकुल भाई बार बार आबू को जाते हैं और लोगों के अन्दर, वैमनस्य पैदा करने की बातें करते हैं। राजस्थान के प्रधान भी वहां जाते हैं, वह बम्बई स्टेट के खिलाफ प्रचार करते हैं अगर बम्बई स्टेट के प्रधान डूंगरपुर और वंसवारा वगैरह जगहों में जा कर राजस्थान सरकार के विरुद्ध मीटिंग करें तो राजस्थान को कैसा लगेगा। डूंगरपुर और वंसवारा वगैरह से गुजरात कांग्रेस कमेटी के पास और स्टेट्स मिनिस्ट्री के पास चिट्ठियां तथा तार आये कि वे बम्बई स्टेट में मिलना चाहते हैं। आज मध्य भारत सीरोंज मांगती है, वह मध्य भारत के बीच में पड़ा है। राजस्थान क्यों नहीं देगा? कल एक भाई ने कहा कि झांसी डिवीजन के कुछ गांव हैं वह बुंदेलखंडी हैं इस लिये वह विन्ध्य प्रदेश को दिये जाने चाहियें। इस लिये मैं सरकार से कहती हूं कि जब रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ ब्राउन्ड्रीज को लिया जाय तब ये सब प्रश्न उठायें जान चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कल यहां राजाओं की प्राइवेट प्रापर्टी का जिक्र हुआ था। और यह भी कहा गया कि यह सब झगड़ा राउन्ड दि टेबल बैठ कर तय किया जायगा। यह ठीक नहीं है। मुझे हर एक बात मालूम है कि कैसे यह सब बात तय की गई थी। राजाओं से पहिले लिस्ट मांगी। उसे चेक करके मिनिस्ट्री को भेजा। सब जगह करीब पोपुलर मिनिस्ट्री थीं। उस के बाद चर्चा करके बात तय की गई। बात तो यह है कि अकसर पापुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज राजाओं को जितना देना चाहते थे स्टेट्स मिनिस्ट्री ने उस से कम दिया है। आज भी मुझे मालूम है कि कई स्टेटों के अन्दर कोई कोई मिनिस्टर राजाओं को ज्यादा देना चाहते हैं। आज यह कहना कि

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

सरकार ने उनको ज्यादा दिया है यह बिल्कुल गलत बात है ।

यहां प्रिविलेजेज़ के बारे में यह ज़िक्र किया गया था कि हम को मालूम नहीं है कि प्रिविलेजेज़ का क्या मतलब है । सही बात तो यह है कि अगर आप व्हाइट पेपर को पढ़िये तो उसमें सब कुछ दिया गया है कि किस को क्या प्रिविलेजेज़ हैं ।

प्रीवि पर्स की बात भी कही गई है । करीब २८१ में से १८६ ऐसे हैं जिन को ज्यादा से ज्यादा एक लाख और कम से कम दो सौ दिया जाता है ।

ज्यादातर तो इसमें वे हैं जो कि विधवा और जो स्त्रियां हैं उन्हें उनके लाइफ टाइम तक ही देना है ।

सी० क्लास स्टेट्स का खर्चा करीब ५ या साढ़े पांच करोड़ प्रतिवर्ष है। आज के सैट अप के कारण वह आगे बढ़ता ही जायगा। मैं तो सरकार से यह कहूंगी कि इन सी० क्लास स्टेट्स को वह बगल की स्टेटों में मिला दे और जो यह साढ़े पांच करोड़ रुपया उन पर खर्च किया जाता है यह रुपया उन लोगों की उन्नति पर खर्च किया जाय ।

आज राजाओं की प्रीवि पर्स पर बहुत हल्ला हो रहा है। लेकिन जब यह राजप्रमुख बनाये गये थे तब तो सब राजी थे और खुश थे । आज जब हमने उनकी संत्ता ले ली है और वह अपना बचाव नहीं कर सकते तो उनके लिए यह हल्ला किया जा रहा है । क्या यह हमारे लिए उचित है ? कल किसी ने यह भी कहा कि प्रीवि पर्स को दो साल के लिए ससपेंड कर दिया जाय । मैं कहती हूं कि अगर हम अपनी इस पार्लियामेंट को दो साल के लिये ससपेंड क्यों न कर दें तो कैसा होगा और हम सब फाइव इअर्स प्लान में लग जायें । आपको मालूम है कि जब यह हाउस चलता है तो दस पन्द्रह हजार रुपया रोज का खर्चा होता है । अभी दो दिन के लिये जब अपर हाउस बुलाया गया तो आपको मालूम है कि कितना खर्चा हुआ । डेढ़ लाख से ज्यादा खर्चा हुआ है । तो जब हम यह बात दूसरों के लिये कहते हैं तो उसको अपने ऊपर ही क्यों न लागू करें । अगर ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा होगा । क्योंकि हम तो दावा करते हैं देश की सेवा करने का । वह लोग तो ऐसा दावा नही करते। जिस तरह से राजाओं ने सरकार के कविनेन्ट को पालन करने को कहा और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस हाउस के फ्लोर से यह कहा था कि हम अपने वर्ड को आनर करेंगे । इसी तरह से जब स्टेटों का फाइनेन्शल इंटीग्रेशन किया गया उस वक्त जो वर्ड दिया गया था तथा सरकार की तरफ से दस्तखत किये गये थे उसका भी आनर करना चाहिए । अगर हमारी सरकार इस तरह नहीं करेगी तो कोई उसके वर्ड का भरोसा नहीं करेगा । आपकी मुश्किलात हैं यह ठीक है । इसी लिये किसी न किसी तरह से रास्ता निकालना चाहिए लेकिन आपने जो वर्ड दिया है उसका पूरा पालन करना चाहिए ।

एक बात मुझे और कहनी है जिसका ज़िक्र अभी आखिर के मेम्बर ने किया था । यह आन्ध्र के लोग अजीब हैं । कुछ भी हो सारा दोष सरकार के सिर पर डाला जाता है । अगर वह कैपीटल तय कर देती तो यह कहा जाता कि उसने कैपीटल तै कर दिया इससे हमको इतनी मुश्किल हो रही है । आज अगर उन पर छोड़ दिया कि जो चाहो करो, आपस में मिलो और तै करो कि टैम्पोरेरी कैपीटल कहां

होनी चाहिए, तो उसका दोष भी सरकार पर रखा जाता है कि सरकार ने यह काम नहीं किया।

मुझे इस समय पर जो बोलने का मौका दिया गया उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूं और मैं ने जो वाउंडरीज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा उस पर सरकार ठीक तरह से सोचे और तभी इस मामले को उठाये जब इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय।

श्री पुन्नूस (आलप्पी) : बम्बई के सदस्य यह कहते हैं कि हमारे दल के सदस्य इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। किन्तु जो यह कहते हैं कि देश में सब काम उसी प्रकार हो रहा है जैसे होना चाहिये और हमने उसी तरह प्रगति की है जैसे हमें करनी चाहिये थी तो क्या वे खुद धोखे में नहीं हैं। क्या दूसरे दल के सदस्यों का सदा यह कहना उचित है कि हमने पिछले वर्षों में प्रगति की और हम समृद्ध हुए हैं ? देश वासी इसका निर्णय करेंगे। आप लोग कहते हैं कि आपने हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लिये बहुत कुछ किया। किन्तु मैं बम्बई के माननीय सदस्य से पूछता हूं कि यहां जो कुछ हरिजन सदस्यों ने कहा क्या उन्होंने वह सुना। कांग्रेस, साम्यवादी तथा अन्य दलों के सदस्यों की एक सी तीन बातें सुनीं। और वे ये हैं: राजप्रमुख पद समाप्त किया जाय, भाग 'ग' राज्यों में उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाय तथा नौकर शाही खत्म की जाय। ये तीन मांगें रखी गई हैं और सभी दल इनका समर्थन करते हैं। मैं पूछता हूं कि हैदराबाद के निजाम को आपने किसके लिये रख रखा है, इन राजप्रमुखों और पटियाला के महाराजा को किस लिये रख रखा है ? सभी दल इनके विरुद्ध हैं। तो आपने इन्हें किनके लिये रख रखा है ? इसका उत्तर डा० कैलाश नाथ काटजू को देना है। वास्तविकता यह है कि १९५३ में भारत की वह स्थिति है जो १९४७ में थीं ; केवल अन्तर इतना है कि अब अंग्रेज नहीं हैं। लोगों के जीवन में कोई अन्तर नहीं हुआ। और कांग्रेस दल के लोग कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करते हैं।

उदाहरणार्थ कार्यपालिका को लीजिये। मैं यह नहीं कहता कि आपने बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न नहीं किये। किन्तु यह ऐसी बीमारी है जो आधा इलाज करने से ठीक नहीं हो सकती। या तो आप इसे जड़ से खत्म कीजिये अथवा इसके मरीज बन जाइये। अधिकारियों को जनता का सेवक होना चाहिये न कि उन्हें जनता का स्वामी होना चाहिये। मंत्रीगण शासन नहीं करते वे राज्य करते हैं और सचिवों के कहने पर काम करते हैं। मेरे राज्य के कुछ पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया कि वे हमारे विरूद्ध नहीं हैं और हमें उनकी स्थिति को गलत नहीं समझना चाहिये। वे कहते है कि अंग्रेजों ने अपने शासन काल में हमें कांग्रेसियों तथा अन्य साम्यवादियों को पकड़ने के लिये कहा, हमने ऐसा किया। तब कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आयी तो उसने साम्यवादियों को गिरफ्तार करने के लिये कहा। इसलिये हम उनको गिरफ्तार करते हैं। कल यदि आप लोगों के हाथ में शासन आ जायगा और यदि आप कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने के लिये कहेंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। आप के अधिकारी ऐसे हैं जो मंत्रियों से भी बड़े हैं। वे कहते हैं कि मंत्री तो आते हैं और चले जाते हैं किन्तु हम तो यहां हमेशा ही रहेंगे और अपने कार्यों के लिये हम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। जब तक ऐसी भावना के अधिकार हैं तो यहां किसी भी

[श्री पुन्नूस]

प्रकार के व्यक्ति क्यों न आयें देश का भला नहीं हो सकता ।

अब मैं राजप्रमुख पद को लेता हूं । इस पद को समाप्त क्यों न कर दिया जाय ? इसके विपरित कौन सा नैतिक तथा राजनैतिक तर्क हैं ? त्रावणकोर-कोचीन के राजस्व मंत्री ने वहां की विधान सभा में बताया था कि त्रावणकोर-कोचीन के राजप्रमुख के पास १६,४६९ एकड़ जमीन है । आप अंडमान में नई जमीन के लिये लड़ते हैं और देश की इतनी अधिक जनसंख्या है किन्तु राजप्रमुख के पास इतने एकड़ जमीन है ।

फिर हैदराबाद के अंग-भंग करने तथा विशाल आन्ध्र बनाने के बारे में क्या हुआ, जिसकी हम मांग करते हैं ? एक्य केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के बारे में क्य हुआ, जिनकी हम मांग करते हैं ? आपका यह कहना गलत है कि उससे भारत कई टुकड़ों में विभक्त हो जायगा , क्योंकि भाषावार प्रान्तों की संख्या प्रान्तों की वर्तमान संख्या से कम होगी । आप प्रजातंत्र की बातें करते हैं किन्तु सभी बातें पहिले जैसी हैं और मजदूर और किसान उसी प्रकार का दुखी जीवन बिता रहे हैं । यदि आप वास्तव में उनके लिये कुछ करना चाहते तो काम शुरू कीजिये । राजप्रमुखों को हटा दीजिये । इन अधिकारियों को जनता के नियंत्रण में रहना चाहिये । जब कभी मुझे अवसर मिलेगा तो मै बताऊंगा कि यह कैसे किया जा सकता है और ये भाषा वार राज्य बना दिये जाने चाहिये ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): दो मंत्रालयों के बारे में एक साथ चर्चा की गई है, यह संतोषजनक प्रक्रिया है क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्रालय दोनों का राज्यों में शामिल तथा व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्ध है । मैं समझता हूं कि कुछ वर्षों बाद दोनों के स्थान पर एक मंत्रालय ही रहेगा । भारत एक बड़ा देश है, चाहे आप इसे 'क' 'ख' तथा 'ग' भाग में बांट दें । संविधान के अन्तर्गत भाग 'ख' राज्यों के सभी भेद भाव सात वर्षों में समाप्त हो जायेंगे । भाग 'ग' राज्यों के विषय में मैं अभी कहूंगा । मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिये मैं यहां उठाई गई छोटी बातों पर कुछ नहीं कहूंगा । यहां जितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई मैंने उनको ध्यान से सुना और उन सभी सुझावों पर मैं ध्यान दूंगा ।

पहिले मैं राज्य मंत्रालय को लेता हूं । राजप्रमुखों, उनको दी जाने वाली निजी थलियों तथा उनकी निजी सम्पत्ति के विषय में बहुत कुछ कहा गया यद्यपि बात वित्तीय एकीकरण की उठाई गई थी । इसलिये यह वाद विवाद तो एक प्रकार से भारतीय रियासतों के भूत-पूर्व महाराजाओं के बारे में हुआ । सदन को मालूम है कि हम राजप्रमुखों को दिये गये वचनों से बद्ध हैं और मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी रामानन्द तीर्थ ने इस बात को माना । उन्होंने यह भी कहा कि वह नहीं चाहते कि इस मामले में जल्द बाजी से काम लिया जाय और कहा कि राजप्रमुखों से इस सम्बन्ध में परिवर्तन करने के लिये आग्रह किया जाय । मैं भी यही समझता हूं कि इस मामले में यही ठीक बात है । मैं यह अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । राजप्रमुखों को बनाये रखने में खर्च होता है । स्वामी रामानन्द तीर्थ ने इस विषय में कुछ भावुकता पूर्ण तरीके से बातें कहीं । वित्तीय मामले पर जोर न देकर उन्होंने ठीक ही किया । मैं उड़ीसा और बंगाल में राज्यपाल रहा हूं । राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया

जाता है और राज्य का स्वावैधानिक प्रमुख होता है उसे वेतन मिलता है, बहुत से भत्ते मिलते हैं और ये सब मिल कर दो लाख रुपये होते हैं। मैं समझता हूं कि राज्यपालों की तुलना में राजप्रमुखों को कम राशि मिलती है। मैं स्वामी रामानन्द तीर्थ की बात को समझता हूं। उन्होंने कहा कि जिस राजप्रमुख के साथ पहिले उनका मतभेद था उसके साथ वह कैसे व्यवहार रख सकते हैं। देश में सात राजप्रमुख हैं और जिस राजप्रमुख को वह जानते हैं उसके विषय में वह ठीक ही कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यदि वे पार्श्वस्थ राज्य के निवासी होते जिसके प्रमुख के विषय में यह समझा जाता है कि वह इस संविलयन से पूर्व भी एक अच्छे संवैधानिक प्रमुख थे, तो उनकी क्या भावनायें होती। मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के विषय में यदि हमें व्यक्तिगत अनुभव हो तो उसके विषय में हमें सामान्य रूप से बातें नहीं कहनी चाहिये। दक्षिण में तीन राजप्रमुख हैं। उनमें से प्रत्येक के विषय में अलग अलग राय हो सकती है। ऐसे उत्तर भारत के चार राजप्रमुखों के बारे में हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हम इस मामले में ऐसी बातें न करें जिससे हम पर यह आरोप लगाया जाय कि हम अपने बचनों को तोड़ रहे हैं।

अब मैं उन को दी जाने वाली निजी थैलियों के मामले पर आता हूं। मेरे पास यहां अक्टूबर, १९४९ को संविधान सभा में सरदार पटेल द्वारा दिये गये भाषण का एक भाग है जो अनुच्छेद २९१ की चर्चा के दौरान में उन्होंने कहा था। इस अनुच्छेद का सम्बन्ध इन निजी थैलियों के विषय में दी गई सांविधानिक प्रत्याभूति से है। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि इन महाराजाओं से ये समझौते न किये जाते तो वे काफी गड़बड़ी पैदा कर सकते थे। हमें उनके साथ न्याय करना चाहिये और अपने आपको उनकी स्थिति में रख कर यह देखना चाहिये कि अपनी शक्ति हस्तान्तरण करके उन्होंने कितना त्याग किया है। उन्होंने एक स्थान पर यह भी कहा कि हम ने राजा महाराजाओं को उनकी निजी थैलियों के सम्बन्ध में जो प्रत्याभूतियां दी हैं उन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने वचन का उल्लंघन करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सदन को मालूम है कि कई बड़े राजे महाराजाओं को दी जाने वाली निजी थैलियां दस लाख रुपये से अधिक हैं। किन्तु ये उनके जीवन काल तक ही हैं। जब कोई नया महाराजा गद्दी पर बैठेगा तो यह निजी थैली दस लाख रुपये कर दी जायगी। ऐसा सभी मामलों में किया जायगा। जोधपुर के स्वर्गीय महाराजा की मृत्यु पर उनकी निजी थैली सत्ताइस लाख से घटा कर दस लाख कर दी गई है। महाराजाओं की मृत्यु पर, उनकी मान्यता वापिस ले लेने पर तथा उनके सेवा निवृत्त हो जाने पर उनकी निजी थैलियों में कमी किये जाने के और भी मामले हुए हैं। सरदार पटेल ने कहा कि कुल निजी थैली, जब संविधान पारित किया जा रहा था, लगभग ५.८ करोड़ थी। जब वर्तमान राजा के स्थान पर दूसरे आ जायेंगे तो उस समय यह थैली ४ करोड़ रह जायेगी। मैं यह मानता हूं कि समय बदल रहा है और लोकमत भी बदल रहा है। मैं जानता हूं कि राजा, उनके परिवार, उनके पुत्र तथा पौत्र समय की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हैं। मैं समझता हूं कि श्री रामानन्द तीर्थ का यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा है कि इन

[डा० काटजू]

राजाओं से उचित प्रकार के समझौते या प्रबन्ध करने के लिये कहा जाये । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, एक बार जब हम भारत की जनता की ओर से संविधान सभा में वचन दे चुके हैं तो हमारे लिये उसकी उपेक्षा करना या उसका न निभाना उचित न होगा ।

इसके बाद, निजी सम्पत्ति का प्रश्न आता है । माननीया सदस्या ने जो कुछ कहा उसे सुन कर मुझे आश्चर्य सा हुआ । मैं देखता हूं कि निजी सम्पत्ति के प्रश्न पर पूरी पूरी सावधानी से फ़ैसला किया गया था । हर बार, स्थानीय सरकारों तथा मंत्रालयों से राय ली गई थी । मुझे इस मन्त्रालय का काम संभाले दस महीने हो गये हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी राज्य सरकार ने निजी सम्पत्ति की सूचियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है और न यह ही कहा है कि उन से राय नहीं ली गई या निजी सम्पत्ति की सूची ग़लत है । कुछ सूचियां अभी विचाराधीन हैं । इसके लिये हमारे अधिकारीगण राज्यों में जाते हैं और स्थानीय सरकारों से बातचीत करके सारी चीज़ तय करते हैं । मैं यहां यह भी बता दूं कि इन सूचियों में कुछ सम्पत्तियां विशाल महल आदि हैं । बेचने की दृष्टि से इनका अधिक मूल्य नहीं । आजकल के समय में महलों के ठाठ-बाट बनाये रखना बहुत कठिन है और विशेष रूप से जब कि महल एक अनजान जगह में हो । राजाओं को तो इन महलों के रखने में संतोष हो सकता है और वे जनता के प्रयोग के लिये भी इन महलों को दे सकते हैं । खैर, कुछ सदस्यों का यह विचार कि निजी सम्पत्ति की सूचियां ठीक तरह से नहीं बनाई गई हैं बिल्कुल ग़लत है ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों के वित्तीय एकीकरण के बारे में भी कहा गया । मैं भी ऐसी ही एक छोटी रियासत का रहने वाला हूं । मेरा अपना अनुभव यह है कि जहां तक छोटी रियासतों का सम्बन्ध है, सामान्य रूप से, लोगों की आर्थिक दशा इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि भारत के कुछ अन्य भागों में पाई जाती थी । यह ज़रूर है कि हालत हरेक रियासत में एक सी नहीं थी । परन्तु जहां का राजा जनता के प्रति उदार था वहां हालत बुरी नहीं थी । आप यह याद रखिये इनमें से कई राज्यों में जनसंख्या की घनता अधिक नहीं थी । मालवा में बंगाल या यू० पी० के मुकाबले में घनत्व केवल १९० या १८० प्रति वर्ग मील है । परन्तु वहां पिछड़ापन दूसरी बातों में है । डाक्टरी सहायता को लीजिये । इस मामले में रियासतें अच्छी थीं क्योंकि हर छोटे या बड़े राजा ने अपने यहां अस्पताल या डिस्पेंसरी का प्रबन्ध कर रखा था । पिछड़ापन शिक्षा के मामले में था । राजा लोग स्कूल खोलने के शौक़ीन नहीं थे । संचरण आदि की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी । इस मामले पर वित्त आयोग ने विचार किया था और एकीकरण के समय सरकार ने सौराष्ट्र, मध्य भारत और हैदराबाद के संघों से एक समझौता किया था कि वह इस पिछड़ेपन के बारे में जांच पड़ताल करेगी और उसे दूर करने में उनकी भरपूर सहायता देगी ।

फिर, पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा गया था कि उसमें भाग 'ख' राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है । यह बात ठीक नहीं क्योंकि मेरे पास योजना आयोग के आंकड़े हैं । मैं समझता हूं भाग 'ख' राज्यों के प्रति काफ़ी उदारता दिखाई गई है । उदाहरण के लिये, देखिये :

लेखा राजस्व में से उपलब्ध शेष

राज्यों से अंशदान

भाग 'क' राज्य	१३० करोड़ रुपये
भाग 'ख' राज्य	१९ करोड़ रुपये

प्राप्त की जाने वाली अतिरिक्त आय

भाग 'क' राज्य	१६७ करोड़ रुपये
भाग 'ख' राज्य	४३ करोड़ रुपये

बाज़ार से ऋण

भाग 'क' राज्य	७२ करोड़ रुपये
भाग 'ख' राज्य	१७ करोड़ रुपये

रक्षित निधि में से निकाली जाने वाली राशि

भाग 'क' राज्य	४६ करोड़ रुपये
भाग 'ख' राज्य	२२ करोड़ रुपये

राज्य मंत्री होने के नाते और इन्हीं में से एक रियासत का निवासी होने के नाते मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उनकी बातों को और उनके विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ सरकार के सामने रखूं। माननीय वित्त मंत्री ने चम्बल योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है और हमारे लिये यह एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सहायता देने का वचन दिया है परन्तु उनके पास रुपया नहीं है। उन्हें रुपया अन्य लोगों से इकट्ठी करना होगा। खैर, जो स्थिति है, वह मैंने आपके सामने रख दी है।

अब मैं भाग 'ग' राज्यों पर आता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य तो कहते हैं कि इन राज्यों को खत्म कर दिया जाये; इन से कोई फ़ायदा नहीं और कुछ कहते हैं कि इनके रहे चले आने में कोई नुक़सान नहीं। दिल्ली के एक माननीय सदस्य ने कहा कि 'ग' राज्यों को समाप्त करने की धमकी रोज़ रोज़ क्यों दी जाती है; हमें काम क्यों नहीं करने दिया जाता। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं; मेरी समझ में यह आर्थिक एककों वाली बात कभी नहीं आई। जहां तक भाग 'ग' राज्यों का सम्बन्ध है, सदन को पता होगा कि संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न राज्यों के आकार में काफ़ी अन्तर है परन्तु फिर भी अमरीका का संयुक्त राज्य आज २०० वर्ष से वैसा ही चला आ रहा है। वहां के संघ में ४८ राज्य हैं। एक ओर न्यूयार्क है जिसकी जन संख्या २ करोड़ है और दूसरी ओर रोड्स आइलैंड हैं जिसकी जनसंख्या केवल साढ़े तीन लाख है। एक अन्य राज्य वरमोन्ट है, जिसकी जनसंख्या पांच लाख है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य, चाहे बड़ा हो या छोटा, सीनेट के लिये दो सदस्य भेजता है; हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव में हर छः लाख पर एक प्रतिनिधि भेजा जाता है और इसमें वरमोन्ट या रोड्स आइलैंड द्वारा एक सदस्य भेजने का उपबन्ध है। तो इस प्रकार वरमोन्ट हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव में एक और सीनेट में दो सदस्य भेजता है। मैंने वहां के बारे में पूछताछ करके पता लगाया है कि छोटे राज्य अपने यहां की मंत्रिमंडल सम्बन्धी व्यवस्था में बड़े राज्यों की नक़ल नहीं करते। यह बात मैं भाग 'ग' राज्य वालों के लिये कह रहा हूं। खतरा यह है कि कहीं इन राज्यों का शासन-प्रबन्ध बहुत अधिक खर्चीला न हो जाये। मैंने यह प्रवृत्ति देखी है और यह एक सच्चा खतरा है। मैंने इसके बारे में भोपाल में भी कहा था और अजमेर में भी। वे कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में दस मंत्री हो सकते हैं तो हम क्या पांच भी नहीं रख सकते? जब वहां दस सचिव हैं तो क्या हम सात भी नहीं रख सकते? वहां एक विधि सचिव हैं, एक वित्त सचिव हैं, एक मुख्य सचिव है, एक लोक स्वास्थ्य सचिव है और बहुत से सचिव हैं। फिर वहां एक जन-शिक्षा संचालक है। उत्तर प्रदेश के लिये यहां ६३ ज़िले हैं, एक जन-शिक्षा संचालक तो ठीक है परन्तु जहां की जन संख्या पांच लाख हो वहां एक जन-शिक्षा संचालक रखना ठीक नहीं मालूम

[डा० काटजू]

होता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जहां तक बड़े बड़े टेकनिकल पदों का सम्बन्ध है पड़ौसी राज्यों से मिल कर काम चलाया जा सकता है। कुछ ऐसे पद हैं जैसे उद्योग-संचालक, जन शिक्षा संचालक, रजिस्ट्रार, सहकारी सभा, संचालक पशु चिकित्सा विभाग, जिनके सम्बन्ध में पड़ौसी राज्यों से सहायता ली जा सकती है। यदि हरेक भाग 'ग' राज्य अपने यहां इन बड़े बड़े पदों पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त करेगा तो उसे लाभ नहीं हो सकता। एक तो सम्बन्धित अधिकारी के पास काम अधिक न होगा दूसरे वित्त मंत्री कहेंगे कि मेरे पास इनके लिये खर्चा नहीं है। अतः यदि शासन बहुत खर्चीला न हुआ तो फिर राज्य कितना ही छोटा क्यों न हो, उससे कोई असर न पड़ेगा।

मैं सदन का अधिक समय न लूंगा; मैं यहां सामान्य रूप से बात कर रहा हूं। छोटे राज्यों में अजमेर, कुर्ग और दिल्ली हैं जो एक लम्बे समय के ऐतिहासिक उलट-फेर के कारण स्वतन्त्र एकक बने चले आये हैं। अजमेर वर्ष १८०३ से एक अलग एकक रहा चला आ रहा है; इसी प्रकार कुर्ग और कच्छ हैं। विन्ध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी शासन के दृष्टिकोण से अच्छे एकक हैं। कुछ दिनों से वहां एक संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित करने की बात चल रही है। न्यायिक प्रशासन को पड़ौसी उच्च न्यायालयों के साथ सम्बद्ध करने की चर्चा भी हो रही है। सदन ने समाचार-पत्रों में देखा होगा कि गत तीन या चार महीनों से मैं भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करता रहा हूं और इस बातचीत में बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। हर विषय पर हम कुछ नतीजों पर पहुंचे हैं और इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जाने वाले हैं जिनका परिणाम यह होगा कि प्रक्रिया बहुत कुछ सरल हो जायेगी और भाग 'ग' राज्य काफ़ी उन्नति कर सकेंगे।

फिर, मनीपुर और त्रिपुरा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। वहां के माननीय सदस्य काफ़ी जोश में बोले हैं, परन्तु जो बातें कही गई हैं उनका सचाई से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं स्वयं मनीपुर गया हूं, लोगों से मिला हूं और वहां की स्थिति मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। अभी मैं कच्छ हो कर भी आया हूं। इस सिलसिले में एक बात नहीं कही गई है; वह यह कि त्रिपुरा और मनीपुर दोनों सीमान्त राज्य हैं और सामरिक दृष्टि से उनका बहुत बड़ा महत्व है। अतः हम वहां कोई जोखिम नहीं उठा सकते। माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां अराजकता फैली हुई है। एक माननीय सदस्य बोले कि वहां उपनिवेशवाद है। ज़रा सोचिये। यह त्रिपुरा के एक सदस्य हैं जो यहां वादविवाद में भाग लेते रहे हैं और प्रश्न पूछते रहे हैं; वह कहते हैं कि "भारतीय साम्राज्यवाद त्रिपुरा और मनीपुर के उपनिवेशों पर शासन कर रहा है।" यह एक बिल्कुल ग़लत और बेकार बात है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं ? क्या आपको उपनिवेश समझा जाता है ? इससे मेरे माननीय मित्र की प्रवृत्ति का पता लगता है क्योंकि यदि उन्हें मौका मिल जाये तो वह ले भागें।

श्री रिशांग किशिंग (वाह्य मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मैंने केवल इतना कहा था कि हमारी दशा उपनिवेशों में रहने वालों से भी खराब है।

डा० काटजू : लोकतन्त्रीकरण की बात की जा रही है। जब मैं ऐसी बातों को सुनता

हूं कि मुझे कभी कभी तो आश्चर्य होने लगता है। आप जानते हैं साम्राज्यवाद क्या चीज़ है ? यदि वह होता तो क्या आप इस तरह संसद् में बैठे रह सकते थे ? आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहस नहीं कर पाते। अब तो आप यह भी पूछते हैं कि जेल में कितने कैदी हैं। आज दोपहर के पश्चात् एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार के प्रश्न उठाये थे, 'उस खेत्र का क्या हुआ, क्या उसको पानी मिलता है या सूखा पड़ा रहता है.....?' आप यहां पर इस प्रकार की बातें पूछते हैं। यहां पर जितने व्यक्ति बैठे हैं वे देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि लोकतन्त्रीकरण नहीं है, लोकप्रिय सरकार नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

मैं इस बात को समझता हूं कि वहां पर विधान-सभा नहीं है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। परन्तु बात यह है कि जिस प्रकार से कुछ व्यक्तियों ने, विशेषकर कुछ दलों ने कार्यवाही की है, उसे देख कर हमें कुछ सन्देह होने लगा है। मणिपुर तथा त्रिपुरा में गत वर्ष क्या हो रहा था ? मैं विवादास्पद बातों को उठाना नहीं चाहता हूं। आज दोपहर के पश्चात् एक मामले के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था जिसमें अभियुक्तों को मुक्त कर दिया गया था फिर भी २६ व्यक्ति अब भी फरार हैं और मेरे विचार में साम्यवादी दल के सदस्य मुझ से कहीं अच्छी तरह जानते हैं कि वे कहां हैं ?

अन्त में, मैं अण्डमान द्वीप को लेता हूं। वहां पर कार्यान्वित की जाने वाली उपनिवेशन योजना की सराहना के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहे गये थे। हमारा विचार वहां पर २०,००० एकड़ भूमि को अर्जित करने का है जिसमें अधिकतर जंगल लगे हुए हैं। वहां पर लगभग ४००० परिवारों को बसाया जायेगा। इस कार्य के लिये एक करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि मंजूर कर दी गई है तथा परिवारों को वहां भेजा जा रहा है। परन्तु कार्य धीरे धीरे चल रहा है और शायद इसके समाप्त होने में दो से तीन साल तक लग जायेंगे। इस समय वहां यातायात के साधन बहुत ही सीमित हैं। मैं उन्हें सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। संचरण मंत्रालय ने वहां पर हवाई अड्डा बनाने का निश्चय किया है। सड़कों की मरम्मत हो जाने तथा उनका विकास कर दिये जाने पर तथा हवाई अड्डे का निर्माण हो जाने पर मुझे आशा है कि हम अण्डमान के लिये साप्ताहिक सेवा आरम्भ कर सकेंगे। कुछ माननीय सदस्य वहां गये थे तथा उन्होंने जो कुछ वहां देखा उससे वे बहुत प्रभावित हुए। जल तथा वायु दोनों ही सेवाओं में सुधार हो जाने पर मुझे आशा है कि इन द्वीपों का भविष्य बहुत उज्ज्वल हो जायेगा।

कुछ सदस्यों ने आबू के बारे में अपने विचार प्रगट किये हैं। वह मामला विचाराधीन है तथा उसके बारे में कुछ करना ही होगा। निस्सन्देह, ऐसा करने में समय तो लगेगा ही।

इसके पूर्व कि मैं राज्य मंत्रालय के बारे में अपना भाषण समाप्त करूं मैं राज्य उपदेष्टाओं के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न विचार हैं। यदि मैं इन राज्यों में से किसी में होता तो मैं अवश्य उपदेष्टाओं को रखना पसन्द करता क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य उपदेष्टा हस्तक्षेप तो कर ही नहीं सकते हैं। वे तो वहां पर इसलिये होते हैं कि यदि उनसे राय मांगी जाये तो वे अपनी राय दे दें। वर्तमान स्थिति यह है कि मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन तथा सौराष्ट्र में कोई उपदेष्टा नहीं है। मध्य भारत का मामला रोक रखा गया है। बात वास्तव में यह है

[डा० काटजू]

कि हमें इसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है यदि आप चाहते हैं तो हम आप के लिये उसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

श्री नम्बियार: हम हैदराबाद में नहीं चाहते।

डा० काटजू : मैं जानता हूं कि आप वहां पर किसी को नहीं चाहते। हैदराबाद में एक वित्तीय उपदेष्टा है जिसका कार्य वित्तीय मामलों में सहायता देना है।

अब मैं गृह मंत्रालय को लेता हूं। कुछ घटनाओं को छोड़ कर गत वर्ष भारत की आन्तरिक हालत अच्छी रही है। देखा जाये तो सामान्य रूप से शान्ति और व्यवस्था होने पर भी तीन बातें मुख्य थीं--भारत के कुछ भागों में संगठित डकैतियों के कारण कुछ अव्यवस्था फैल गई थी, विशेष कर, एक स्थान पर तो राज्य के मंत्रि-मण्डल के अनियमित रूप से कार्य करने के कारण तथा अन्य स्थानों पर सत्याग्रहियों द्वारा कानून भंग करने, हड़ताल आदि करने के कारण। हम ३६ करोड़ हैं। समस्त संसार अशान्ति की हालत मे है तथा हम किसी "लोहे के परदे" के पीछे भी नहीं हैं। मेरे विचार में इस देश को जितनी अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य तथा सभा स्वातंत्र्य प्राप्त है वह ईर्ष्या का विषय है। हमारे देश की प्रेस भी खूब है। उन्हें हर बात की छूट है। इतना होने पर भी शान्ति का राज्य है। मेरे विचार में इसका कारण जनता में सद्भावना की प्रबलता है। गांववालों के सामने अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं--उनको सब्ज़ बाग दिखाये जाते हैं, उन से कहा जाता है कि उनके लिये इसी पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया जायेगा--किन्तु इस पर भी वे डटे रहते हैं, भटक नहीं जाते।

अब मैं हड़तालों का मामला लेता हूं जो हमारे ऊपर हर दम सवार रहता है। यह एक बहुत ही हानिकारक बात है। मेरा निवेदन है कि हम जो बातें विदेशियों के शासन में करते आये हैं अब हम उन्हें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब जो सरकार है उसके आप भी एक अंग हैं। आप प्रतिदिन लोकतन्त्रीकरण, लोकतन्त्री सरकार आदि के नारे लगाते रहते हैं किन्तु लोकतन्त्री सरकार का पहला नियम है बहुमत का शासन। (**अन्तर्बाधा**) यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह इस सदन अथवा राज्य की विधान-सभाओं द्वारा पारित किये गये कानूनों को स्वीकार नहीं कर सकता है ऐसा करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह अनशन करने जा रहा है तो उसे अनशन करने दीजिये। यदि वह ऐसा अपने घर पर करता है तो और भी अच्छा। परन्तु जब वह ऐसा चांदनी चौक या उत्तर प्रदेश की विधान-सभा के भवन के सामने करता है तो कुछ बात और ही हो जाती है। यदि लोग कानून भंग करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिये। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे लोग जो जलूस निकालते हैं उनमें न केवल जीवित व्यक्तियों की सहायता लेते हैं बल्कि मरे हुए व्यक्तियों को भी खींच बुलाते हैं। मरे हुए व्यक्तियों की अस्थियां निकाली जाती हैं। मैं यह तो नहीं बतला सकता कि वास्तव म वह अस्थियां होती भी हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की अस्थियां जो दो या तीन महीने पहले मर चुके होते हैं, जलूस के साथ निकाली जाती हैं। दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। यह घोषणा की गई थी कि एक बूढ़े व्यक्ति की अस्थियां निकाली जायेंगी जो लगभग दो महीने पहिले मर चुका था। मैं नहीं जानता कि उस मिट्टी के घड़े में क्या चीज़ थी। इस बात का प्रचार किया गया

था कि वे अस्थियां रेलवे स्टेशन पर साढ़े पांच बजे आयेंगी; लोगों को वहां जाकर इकट्ठा होना चाहिये और तब अस्थियां के दर्शन कराये जायेंगे। शाम को चांदनी चौक और नगर के अन्य अन्य भागों में से उनका जलूस निकाला जाएगा तथा बाद जमुना में विसर्जित कर दी जाएंगी। यह कहा गया था। शायद वे मट्टी के घड़े में रखी गई हों। उनका प्रयोग अन्य अवसर पर किया जा सकता था। क्या यह उचित है। यदि हम ये बातें हटा सकें तो हम शान्ति स्थापित कर सकेंगे।

श्री अलगूराय शास्त्री : ये बातें क्यों होने दी जाती हैं ?

डा० काटजू : नागरिक स्वतन्त्रता और निवारक निरोध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने काकद्वीप के कैदियों का उल्लेख किया है। आप को यह स्मरण रखना चाहिये कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का पहला काम है। इन कैदियों के मामले पश्चिमी बंगाल के नये अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन हैं।

जहां तक नज़रबन्दों का सम्बन्ध हैं, अन्तिम जानकारी यह है कि सारे पश्चिमी बंगाल में केवल ६ नज़रबन्द हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनावश्यक कार्रवाई न की जाये।

वेतनों के—अधिक वेतन और थोड़े वेतन—के प्रश्न पर बहुत चर्चा की गई है। इस सम्बन्ध में एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव यह है कि वेतन की उच्चतम और निम्नतम सीमा निश्चित होनी चाहिये। किसी ने कहा है कि यदि निम्नतम वेतन १०० रुपये हो, तो उच्चतम वेतन १,००० रुपये से, अर्थात् उस के १० गुना से अधिक नहीं होना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव से सहमत होने के लिये तैयार हूं किन्तु मैं इसमें यह संशोधन करना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार के काम करने वालों को आयु-वर्गों में बांट दिया जाये। आप निम्नतम वर्ग, अर्थात् २० से २५ वर्ष तक के वर्ग के वेतन की तुलना ५० से ५५ वर्ष तक वाले वर्ग के वेतन से करते हैं और कहते हैं कि यह तो ३,००० रुपये पाते हैं। मैं समझता हूं कि निम्नतम आयु-वर्ग की सीमा की, उच्चतम आयु-वर्ग के साथ तुलना करना बिल्कुल अनुचित है। इसके साथ मैं आप को कहूंगा कि मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ भी न्याय करना चाहिए। जब आप वेतनों में कमी करने की बात करते हैं, तो स्मरण रखना चाहिए कि हम से अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के हैं आप उन से मांग करते हैं कि वे कार्यभार संभालें, अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलाएं और उन्हें राष्ट्र की सेवा करने के योग्य बनाये। इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

अब मैं न्याय के प्रशासन के बारे में एक दो शब्द कहना चाहूंगा। यह शिकायत तो हम सदा सुनते हैं कि न्याय विलम्बकारी हैं, महंगे हैं इत्यादि। मैं स्वयं चाहता हूं कि न्याय प्रशासन में जनता को भाग देना चाहिए। हमारी सब कठिनाइयां इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि लोग न्यायालयों और पुलिस स्टेशनों को अपने न्यायालय और अपने पुलिस स्टेशन नहीं समझते। वे इन के काम में कोई सहयोग नहीं देते और सच्ची गवाही नहीं देते। मैं एक समाचार की ओर सदन का ध्यान दिलाता हूं। इसे सुन कर सब को हर्ष होगा। उत्तर प्रदेश ने न्यायपालिका पंचायतें स्थापित करने के लिए १९४८ में एक कानून बनाया था। ये निर्वाचित पंचायतें पिछले दो साल से काम कर रही हैं। मैंने इनके काम के बारे में कुछ आंकड़े इकट्ठे किये

[डा० काटजू]

हैं और आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले नौ मासों में इन पंचायतों ने २,३०,००० मामलों को निपटाया है। ९४ प्रतिशत मामलों में कोई अपील या पुनर्विचार आदि की प्रार्थना नहीं की गई और उनका निर्णय स्वीकार किया गया था। केवल ६ प्रतिशत मामलों में पुनर्विचार की प्रार्थना की गई थी, किन्तु इनमें से ४ प्रतिशत में मजिस्ट्रेटों ने निर्णयों की पुष्टि की। दूसरे शब्दों में २,३०,००० मामलों में से, ९८ प्रतिशत निर्णय ज्यों के त्यों स्वीकृत हुए। इन पंचायतों में अशिक्षित और ग्रामीण लोग थे और प्रक्रिया या साक्ष्य के किन्हीं कठोर नियमों का प्रश्नों ही नहीं था। अतः यह इस बात का प्रमाण है कि यदि जनता को न्याय प्रशासन में भाग दिया जाये और लोग यह समझने लगें कि वे स्वयं न्याय प्रशासित कर रहे हैं, तो यह बहुत सफल सिद्ध होता है। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि अन्य बहुत से राज्यों ने भी उत्तर प्रदेश का अनुसरण किया है।

पारपत्रों का भी उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि पारपत्र कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। प्रत्येक सरकार को यह जांच करने का अधिकार है कि कौन कौन से लोग बाहर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरी ईमानदारी से काम लेना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप पारपत्र तो विदेश में अपनी चिकित्सा करवाने के लिये लें, परन्तु वहां पहुंच कर शान्ति सम्मेलनों या अन्य कार्यों में भाग लेने लगें। हम यह नहीं चाहते कि लोग बाहर जा कर सरकार की अप्रतिष्ठा करें या इसकी जड़ काटें।

कई माननीय सदस्य: नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): स्पष्ट रूप से कहिए।

डा० काटजू: मुझे केवल इतना ही कहना है। मुझ से कहा गया था कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं खेद प्रकट करूं। यदि मैंने अनुचित बात की होती तो मैं स्वयं खेद प्रकट करता। 'हिन्दू' के अग्रलेख का भी उल्लेख किया गया था। मैंने कुछ नहीं किया। यदि दंडाधीश ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो ठीक ही है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय ने जांच नहीं की। वहां पर विख्यात वकील थे। जिन पर अभियोग लगाया गया था, वे भी वकील थे। अन्वीक्षा जेल में हुई थी। यदि वे जाना चाहते तो जा सकते थे। उन्हें कोई जेल में न रखता। पर वे बाहर नहीं जाना चाहते थे। एक व्यक्ति तो जेल में रहने के लिये तत्पर था। यह बात समाचार-पत्रों में छपी है। यदि मैं भली बुरी सब बातों के लिये खेद प्रकट करने लगूं तो वह व्यर्थ होगा।

मांगें पारित कर दी जाएं।

श्री सारंगधर दास: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

डा० काटजू: उस पर विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले गृह मंत्रालय के सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

सब कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमपत्र में उल्लिखित मांग संख्या ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ और १२७

के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को क्रमपत्र में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं राज्य मंत्रालय की मांगों के सब कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमपत्र में उल्लिखित मांग संख्या ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ और १३५ के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को क्रमपत्र में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुदानों की मांगों के जिन प्रस्तावों को सदन ने स्वीकार किया वे नीचे दिये जाते हैं। सम्पादक संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या ५२—गृहकार्य मंत्रालय—१,१७,४३,००० रुपए।

मांग संख्या ५३—मंत्रिमंडल—२१,८८,०००रुपए।

मांग संख्या ५४—दिल्ली—१,३८,५८,००० रुपए।

मांग संख्या ५५—पुलिस—६३,३७,००० रुपए।

मांग संख्या ५६—जनगणना—९,६२,००० रुपए।

मांग संख्या ५७—गृह मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय—१०,१५,००० रुपए।

मांग संख्या ५८—अन्दमान निकोबार द्वीप—१,६१,२९,००० रुपये।

मांग संख्या १२७—गृह कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय—२६,२८,००० रुपए।

मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय—१०,६३,००० रुपए।

मांग संख्या ८९—भारतीय नरेशों की निजी थैली तथा भत्ता—१,९२,००० रुपए।

मांग संख्या ९० — कच्छ—१,०१,८३,००० रुपये।

मांग संख्या ९१—बिलासपुर—२३,४३,००० रुपए।

मांग संख्या ९२— मनीपुर—५८,१९,००० रुपए।

मांग संख्या ९३—त्रिपुरा—१,११,२,२००० रुपए।

मांग संख्या ९४—राज्यों के साथ सम्बन्ध—५६,९५,००० रुपए।

मांग संख्या ९५—राज्य मन्त्रालय का विविध व्यय—५४,६६,००० रुपए।

मांग संख्या १३५—राज्य मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय—३,६७,३५,००० रुपए।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, १ अप्रैल, १९५३ के २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।